महानगर नई दिल्ली शनिवार 3 सितंबर, 2022, रु. 6.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री ने कहा

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं।

मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित नौसेना के नए निशान (ध्वज) का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज देश ने भारत ने गुलामी के एक निशान, 'गुलामी के एक बोझ' को सीने से उतार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है। यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में स्वदेश निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज 'विक्रांत' के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विमानवाहक पोत की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे 'फ्लोटिंग एअरफील्ड, एक तैरता हुआ शहर' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि आइएनएस विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है उससे पांच हजार घरों को रोशन किया जा सकता है।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह आइएनएस विक्रांत को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय नौसेना के झंडे पर अब तक गुलामी की पहचान बनी हुई थी। लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा।' नौसेना ने पहले कहा

बाकी पेज ८ पर

विशाल, विराट, विहंगम

विक्रांत

कोच्चि में शुक्रवार को विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

-संबंधित खबर पेज ९

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी मिस्त्री को पत्र लिखकर निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव

उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़

बाकी पेज ८ पर

बेबाक बोल

भाग दरबारी

आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है।

पेज 7

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

चंडीगढ़, 2 सितंबर (एजंसी)।

हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस कारण कथित तौर पर महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना महिला के नौ साल के बेटे की मौजूदगी में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी। जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गुरुवार रात की है। जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने

दिल्ली से टोहाना जा रही ट्रेन में हुई वारदात

महिला के नौ वर्षीय पुत्र की मौजूदगी में हुई घटना।

कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने कहा, 'यात्री ट्रेन दिल्ली से टोहाना जा रही थी और महिला और उसका बेटा लखन माजरा से उसमें सवार हुए थे।' कुमार ने कहा कि अधिकांश यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और घटना के दौरान ज्यादातर डिब्बे खाली थे।

उन्होंने कहा कि टोहाना स्टेशन पर महिला का पति उनका इंतजार कर रहा था। अधिकारी

बाकी पेज ८ पर

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में हैं।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ

बाकी पेज ८ पर

अहमदाबाद में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान तीस्ता सीतलवाड़।

न्यायाधीशों ने कहा, तीस्ता एक महिला हैं। वे दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है।

उनके खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में थीं।

ट्विटर ने जानबूझकर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी।

-पूरी खबर पेज ९

सागर व भोपाल में चार चौकीदारों की हत्या का 18 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के सागर एवं भोपाल शहरों में पिछले पांच दिन में चार चौकीदारों की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान शिव प्रसाद धुर्वे (18) के रूप में उसके आधार कार्ड से हुई है। उन्होंने बताया कि उसने सागर शहर में तीन चौकीदारों और भोपाल में एक चौकीदार की हत्या की है।

उन्होंने बताया कि घटना के वक्त ये चारों चौकीदार ड्यूटी पर थे और सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि उसने शुक्रवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले भोपाल में चौकीदार की हत्या कर दी थी। सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि 18 साल और आठ महीने के धुर्वे ने चार हत्याओं को कबूल करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से प्रभावित था और प्रसिद्ध होने के लिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। धुर्वे की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर नायक ने कहा कि वह सामान्य प्रतीत होता है। नायक ने कहा कि यह 'साइको किलर' मामला नहीं है। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चार चौकीदारों की हत्या के आरोपी धुर्वे को सागर पुलिस ने भोपाल में शुक्रवार तड़के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया।

नया निशान औपनिवेशिक पहचान वाली लाल धारियां हटाई गईं

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय नौसेना को शुक्रवार को नया ध्वज मिला। नए ध्वज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाल धारियों को हटा दिया गया है जिसे 'क्रास आफ सेंट जार्ज' कहा जाता है। यह औपनिवेशिक युग की याद दिलाता था। नए ध्वज में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। नौसेना के मूल मंत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में नया ध्वज और चिह्न, राष्ट्र को समर्पित किया।

ब्रिटिश शासन से लेकर गणराज्य के प्रतीक तक यह झंडा सदियों में विकसित हुआ है। यह ध्वज अनिवार्य रूप से एक विशेष डिजाइन वाला झंडा होता है, जो जहाजों या नौसैन्य बल की पहचान और राष्ट्रीयता को दर्शाता है, खासकर गहरे समुद्र में। ध्वज के 'फ्लाई' क्षेत्र में जुड़वां सुनहरी सीमाओं के साथ एक अष्टकोणीय आकार शामिल किया गया है, जो शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। नौसेना द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार, नीले अष्टकोणीय आकार में एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल किया गया है जो दृढ़ता को दर्शाता है। यह नौसेना के आदर्श वाक्य 'शं नो वरुणः' के साथ एक ढाल पर लगाया गया है, जिसका अर्थ है: 'हमारे लिए शुभ हो हे वरुण'। अष्टकोणीय आकार आठ दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय नौसेना की बहु-दिशात्मक पहुंच और बहु-दिशात्मक

नए ध्वज में प्रतीक शिवाजी महाराज की मुहर पर आधारित।

बाकी पेज ८ पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Virender Singh Malhan So Shri Cap. Rishal Singh Malhan Ro RZ-122, X- Block, New Roshan Pura, Najafagrh, New Delhi 110043 here by inform that Virender Singh Malhan and Vijay Singh Malhan are the same person. 0050203634-1

I, Neha Sareen Trivedi W / o Abhinav Trivedi, R / o Flat No1201,Tower - 7, Omaxe The Nile Sector -49,Gurugram, Haryana-122018, have changed my daughter's name from Shanaya Trivedi to Keemaya Trivedi. 0050203609-1

his is to inform that in my service records the name of my daughter Sheetal is wrongly mentioned as Shital. Hari Ram Gurjar service no 300739M,Rank HAV, unit-4 Rajput c/o 56APO Res. Village-Pathredi Dhani Biharipur Wali, Tehsil- Kotputli Pathredi, Dist Jaipur - Rajasthan 303107 0060094140-1

I,Vinod Sharma W/o Jai Bhagwan R/o H.No-592/18, New Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Vinod. 0040630108-2

I,Vandana Chugh W/o Sandeep Kumar R/o 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Vandana for all purposes. 0040630101-2

I,VAISHALI GARG,W/O PIYUSH GARG D/O,ASHOK KUCHHAL, R/O.417 STARLITE APARTMENT SECTOR-14 EXTN.ROHINI DELHI-85 HAVE CHANGED MY NAME VAISHALI GUPTA. 0040630243-2

I,Udaya Chand Yadav,S/o Kehar Singh Yadav,H.No.24, Old Khaira-Road Najafgarh, Delhi-110043,have changed my name to Uday Chand. 0040630203-9

I,Surender Singh Latwal, R/O. RZ-13A,Old Rajapuri,Uttam Nagar,New Delhi-110059,Have Changed my Minor-Son's Name Aditya Singh to Aditya Singh Latwal. 0040630197-1

I,Shiv Prakash Avana,S/O Lakhi Ram,R/O, H.No-3448,Gali No-1,Hansa Puri Main Road,Tri-Nagar,Delhi-110035,have changed my name to Shiv Prakash. 0040630051-6

I,Shaeed S/O Abdul Razaque,R/O,A-533, J.J.Colony Ph-2,Nangloi Delhi-110041, have changed my name to Mohd Shahid. 0040630197-3

I,Sarita Agarwal,W/O Pawan Kumar Agarwal R/O GD-Block, H.No.24,Pitam Pura, Delhi-88,hereby declare that Sarita Agarwal,Sarita Aggarwal and Sarita all are the names of same & one Person. 0040630203-11

I,Sandeep Chugh S/o Ram Parkash R/o 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Sandeep Kumar for all purposes. 0040630101-1

I,SATISH S/O SH KIRORI MAL, R/O.A-164, 2ND-FLOOR MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87 HAVE CHANGED MY NAME TO SATISH GARG. 0040630243-3

I,Reena Singh W/o Late Amarjeet Chopra R/o-86 Pkt-9,Sector-21,Rohini Delhi-110085,changed my name to Reena Chopra. 0040630203-8

I,Ravindra Ram Raoji Sakhare,S/o Sh.R.G. Sakhare,R/o,B-84,Vikas Vihar,Vikas Nagar,Uttar Nagar,Delhi-110059,declare that my name has been wrongly-written as Ravindra Sakhare in my minor son's Ankit Sakhare School-Records and his Identity Proof Documents.The actual-name of mine is Ravindra Ram Raoji Sakhare,for all purposes,Which may amended-accordingly. 0040630243-9

I,Rajeev Kumar/Rajeev Kumar Gupta,S/O Prem Chand Gupta,R/O, Flat.No-143,SFS-Flats-Golden Jubilee-Apartment Pkt-10, Sec-11, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Rajeev Gupta. 0040630051-5

I,Ujjwala Sharma D/o Dayanand Sharma R/o-158, Sharda Niketan, Pitampura, Delhi 110034 have changed my name to Kanan Sharma for all purposes. 0040630068-1

I,RAJ BALA W/O SATISH GARG,D/O SATYA NARAYAN JINDAL,R/O.A-164,2ND FLOOR, MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87,HAVE CHANGED MY NAME TO RAJ BALA GARG. 0040630243-4

I,Purnima Singh D/O Vinod Kumar R/o B-10/50,Block-B Pocket-10 Sector-18 Rohini Delhi-110089,changed my name to Purnima. 0040630203-5

I, Ruby Sharma, W/o Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes. 0040630115-2

व्यक्तिगत

I,Pankaj Kumar Sharma S/o,Irwin Pritam Singh R/o,D-12,2nd Floor, Jangpura, A-B,south Delhi-14,have only changed my name to David Singh, not my religion. 0040630243-6

I,Palwe Bharati Pralhad,W/O Rajendra Athale,R/O,H.No-E-22, G/F, Avantika Sector-1,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Bharti Athale. 0040630051-7

I,PUJA VISHWAKARMA,D/O OM PRAKASH VISHWAKARMA, R/O.FLAT.NO-005,TOWER-C1,SUPERTECH LIVINGSTON, CROSSING-REPUBLIC, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH-201016,have changed my name to POOJA VISHWAKARMA, for all,future purpose. 0040630051-3

I,PRABHJOT SINGH,S/O JASBIR SINGH R/O.A-55, AMAR COLONY,LAJPAT NAGAR-4, DELHI-110024, has changed my name to PRABHJOT SINGH ANAND. 0040630051-1

I,Manoj Kumar,S/o Sh.Darogi Shah,R/o 254 -255,S/F Back-Side Om-Vihar Phase -1A,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059,That I,have changed the name of my-minor son aged about 8-Years,from Daksh Kumar to Daksh Kumar Gupta,for all future purposes. 0040630197-7

I,Manish Gupta S/o.Sh.Mohan Gupta R/o.102, LGF,Kailash Hills,East of Kailash,New Delhi-110065 have changed my minor Son's Name Ayaan Gupta to Mivaan Gupta for all purposes. 0040630096-1

I,MD Shahabuddin Siddiqui, S/O MD Rafique Alam,R/O Plot No-40,Block-A, Sector-8, Dwarka,New Delhi-110077, Have Changed my Name to MOHD Shahabuddin Siddiqui. 0040630243-5

I,Lila Vati Gupta,W/o-Brajendra Kumar Gupta,R/o-H.No.409, Sector-9A,Gurugram, Haryana,inform you that my,name was wrongly-written as Neelam Gupta in the documents of my,daughter Prachi Gupta.My correct name is Lila Vati Gupta. Please make the changes in school and councils records. 0040630197-8

I,Kulvinder Singh,S/O Nazar Singh R/O,D-1/47-48,Ground Floor,Sector-16,Rohini Delhi-110086,have changed my name to Kulvinder Singh Pandher. 0040630197-2

I,Kuldeep kumar,S/o-Hari Kishan Gupta R/o-341/1C,Gali No.2,Shalimar Park,Bhola nath nagar,Shahdara Delhi-32,have changed my name to Kuldeep Kumar Gupta,for All Purposes. 0040630203-4

I,Jai Bhagwan Sharma S/o Kanwar Lak R/o H.No-592/18, New Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Jai Bhagwan. 0040630108-1

I,Inderjeet Singh S/O.Lal Singh R/O.WZ- 37,Ram Nagar ext.Tilak-Nagar,New Delhi-110018,have changed my name to Inder Singh,for all purposes. 0040630197-6

I,Hitherto Known As Suraj Thapa Alias Suraj,S/o Khushiman Thapa,Residing At,H.No.38,Block-A,Gali. No.1, Phool-Bagh Colony,Shastri Park Extn.Burari,Civil Line, North Delhi-110084,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Surya Kumar Sarki. 0040630203-2

I,Rahul Arora,S/o-Shri.Subhash Arora,R/o-2/57,Nehru Nagar,New Delhi-110065,inform that my,daughter's Birth Certificate name Anayta Arora is written-wrongly instead of correct name Amayra Arora and Date-of-birth is 02-08-2022,for all future purposes. 0040630197-10

I,Himanshu Kumar Jha,S/o Naveen Jha R/o.H.No.-90A,Dabar Enclave,Jaffarpur, New Delhi-110073,have changed my name to Himanshu Jha,permanently. 0040630250-2

I,HITHERTO KNOWN AS AVINASH KUMAR SHARMA, S/O SH.ZILE SINGH SHARMA, R/O-30/4,DAKSHA-ROAD VISHWAS-NAGAR, SHAHDARA, DELHI-110032,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HERE-AFTER BE KNOWN AS AVINASH SHARMA. 0040630051-8

I,GAURAV JAIN S/O-VIJAY KUMAR JAIN R/O.87 2ND FLOOR POCKET E-4 SECTOR-7,ROHINI,DELHI-85,HAVE CHANGED MY SON NAME YUVAN JAIN TO YUVAAN JAIN 0040630243-1

I,Bidisha Garg,D/O Buddha Kanti Basu,R/O E- 97/8, Bengali Colony,Mahavir Enclave,Palam Village,Delhi-110045,have changed my name to Bidisha Basu(both are same person) permanently. 0040630203-10

I,Bhoomika Rajput,D/O Kamal Kant,R/O H.NO-1119/1,Ward. No.1,Dayanand Colony ,Gurgaon-122001,Haryana Have Changed my Name to Bhoomika Rajpoot. 0040630051-2

I,Anil Kumar Nagar from 3/406,2nd floor,Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Adhaar was known with both Anil Nagar and Anil kumar Nagar.In future I will be known for Anil Kumar Nagar,for all purposes. 0040630197-9

I,Deepti Batra,W/o-Vikram Batra , Address- A7/2,Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepti Mahajan Batra. 0040630203-7

I,BHAVITA BHUPENDRA MODI,W/O NAKUL SACHDEVA R/O-FLAT.NO.440 MANDAKINI-ENCLAVE ALAKNANDA DELHI-110019,HAVE CHANGED MY NAME TO BHAVITA MODI. 0040630203-3

I,Ashok Kumar Tuteja,S/O Pari Ram Tuteja,R/O,2310,Bawana-Road Padam Dham-Colony Mandi-Extension Narela, Delhi-110040,have changed my name to Ashok Tuteja. 0040630051-4

I,Anjeet Singh S/o Om Parkash Malik R/o-A-39,Laxmi Kunj Plot,No.6 Sector-13 Rohini Delhi-110085,changed my name to Anjeet Singh Malik. 0040630203-6

I, ZUBAIDA KHATOON w/o MOHD NADIM r/o E-281, 4th floor, Budh Nagar, J.J. Colony, Delhi-110012 declare that my date of birth has been wrongly written as 09/06/2002 in Aadhaar no. 777154526889. My correct date of birth is 09/06/2004. 0040630063-2

I, VICKAS ZADOO, S/o SHIBEN KRISHEN, R/O- D D A Flat no-47-B, D G-2, Vikaspuri West Delhi-110018 have changed my name to VIKAS ZADOO for all purposes. 0070802164-1

I, Shradha W/o Sunil Kumar Choubey R/o.Flat No.-503, Aristo Tower, 34 Pavillion, Supertech, Sector-34, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201301 have changed my name to SHRADHA CHOUBEY for all future purposes. 0070802193-1

I, Seema Kumari W/o Rajesh Kumar Raghav R/o H.No: 286, Gali No.13, Laxman Vihar, Phase-2, Gurgaon, Haryana. have changed my name to Seema Singh for all Purpose. 0070802159-1

I, Sanjay Sharma S/o Bisha Sharma R/o Janta-Flat No.68, Pocket-1, Block-A, Madipur, Paschimpuri, New Delhi-110063,have changed my minor daughter's name Jahnavi Sharma to Jhanvi Sharma. 0040630209-4

I, Sangita Pathak W/o Navin Tripathi R/o 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Sangeeta Tripathi. 0040630209-3

I, Roseline Boje Thakuri d/o Raju Boje r/o 195, G/F, Humayunpur, Safdarjung Enclave, Delhi-110029 have changed my name to Roseline Boje. 0040630074-2

I,Farukh S/O Alla Banda R/O,H.No-810, P-4 Block,Sultan Puri,Delhi-110086,have changed my name to Farukh Khan. 0040630197-4

I, Reena Mittal W/o Sandeep Mittal R/o G-27/236 Sector-3 Rohini Delhi have changed my name as Reena Sandeep Mittal. 0040630119-2

I, Ravinder Singh S/o Sunder Singh R/o 3, PWD Colony Session Marg, Karnal, Haryana-132001, have changed my minor daughter's name from Vaishnavi Gusain aged 14 years to Yashika forever 0070802192-1

I, Ramesh Kumar Kadian,S/o-Dilbagh Singh,Resident of Flat.No.322, Sector-A-6, Pocket-1, Narela, Delhi-110040,have changed,my name RAMESH KUMAR,to RAMESH KUMAR KADIAN,for future,purposes. RAMESH KUMAR is wrong in,my passport. 0040630216-1

I, Rajesh Kumar Goyal,S/o-Bishan Swaroop Goyal,R/o-28,Samman Bazar Lane, Bhogal Jangpura,New Delhi-110014,have changed my minor,daughter name,from Aanya Goel,to Aanya Goyal,for all purposes. 0040630216-4

I, Raj W/o Late Mr Vikesh Kumar R/o H.No.-37A, Kamla Nagar, Delhi, North Delhi, Delhi-110007 have changed my name to Raj Ahuja for all future purposes. 0040630050-1

I, Omkar Yadav S/o Lala Ram Yadav R/o 993P Upper Ground Floor Sector-10 Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name as Onkar Nath Singh Yadav permanently 0040630119-3

I, Niharika Tewari R/o Flat 8120, Tower 8, Mahagun Mywoods, Gaur Ciry2, Sector 16C, Noida, 201309 have changed my name to Niharika Tiwari 0070802196-1

I, Narinder Singh Matta,alias Narinder Singh,S/o-Late Chunni Lal,R/o-2/11,Double Storey,Jangpura Extension,New Delhi-110014,have changed my name,from Narinder Singh Matta,alias Narinder Singh,to Narender Singh,for all purposes. 0040630216-2

I, Naresh Chander Joshi S/o Sadanand Joshi R/o 228/14, Khasra No-14/14, Gali No-29, Chandan Vihar, Kamal Pur Majra Burari, Delhi-110084, declare That name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chandra Sharma and Sadanand Sharma in my ESIC CARD and EPF Records DLCPM/26887/1122750 and name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chand Sharma and Sadanand Sharma in my LIC Policy and SBI Bank Account and name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chand Sharma and S N Sharma in my Driving Licence No-DL01 20010093588. The actual name of mine and My father are Naresh Chander Joshi and Sadanand Joshi, which may be amended accordingly. 0070802133-1

व्यक्तिगत

I, Narender Kumar Gupta S/o Rameshwar Dass Gupta R/o NS-7 Upper Ground Floor, Miya Wali Nagar,Sunder Vihar, Punjabi Bagh Delhi have changed my name as Narender Gupta permanently 0040630119-1

I, Lokesh S/o Sanjay R/o Village Jhinjauli (234) Sonipat Haryana-131103 have changed my name to Sangam for all future purposes. 0040630048-1

I, Lakshaya Chopra S/o Sumeet Chopra R/o E-15, Mansarovar Garden, N.Delhi-15, have changed my name to Lakshya Chopra. 0040630209-1

I, Hema Devi w/o Sh. Vijay Singh Bisht r/o E-184, Gali No. 3, West Vinod Nagar, New Delhi-92 have changed my name from Hema Devi to Hansi Devi for all future purposes. 0040630046-1

I, Lakhbir Singh, S/o Late Sh. Dalip Singh R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Lakhbir Singh to Lakhbir Singh Chauhan, Lakhbir Singh & Lakhbir Singh Chauhan is a same person. Now onwards, I will use my name as Lakhbir Singh Chauhan for all purposes. 0040630115-1

I, Kusum Devi W/o Bhupendra Singh Rawat R/o 687-A, Munirka Village Delhi-67, declare that my nickname is Pooja Singh. Kusum Devi and Pooja Singh is one and the same person. Hereafter I will use my name Kusum Devi for all purposes. 0040630171-1

I, Jagdish Kumar Nagpal S/o Lachman Dass Nagpal R/o 73C, BW-Block, Shalimar Bagh, Delhi have changed my name to Jagdish Nagpal for all purposes. 0040630044-1

I, GAURAV CHADDA, S/o HARISH CHADDA, R/O- 141 SF, Ashiyana Green, Ahinsha Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name to GAURAV CHADHA for all purposes. 0070802171-1

I, Bhupinder Kaur Chadha,W/o-Narender Singh,R/o-2/1, Double Storey Jangpura Extension,New Delhi-110014,have changed my name,from Bhupinder Kaur Chadha,to Bhupinder Kaur,for all purposes. 0040630216-3

I, Ajit Kaur W/o Malkeet Singh R/o.J-65, Gali.No.-1, Swaroop Nagar, Delhi-110042, have changed my name to AJEET KAUR for all future purposes. 0070802200-1

I, Abdul Wakif,S/o Gulam Nabi,R/o-1019, Rajan Street,Farash Khana, Delhi-110006,have changed my name to Abdul Waqif,for all purposes. 0040630216-5

I, KUNAL KWATRA, S/o SUNIL KUMAR, R/O-H No- 150A, Near Masjid, Mundka Village, West Delhi-110041 inform that KUNAL KWATRA and KUNAL both are same and one person. 0070802162-1

I Sonal Kalra S/o Sh. Subhash Chander Kalra R/o H.No.407, Dhakka Johar, Behind Parmanand Colony, Nirankari Colony, North West Delhi,Delhi-110009 have changed my name to Sahil Kalra for all purposes. 0040630041-2

I Saakir Ahmed,S/O Khurshid Ahmed R/O,H.No-283-284, Block-P-P, Sultan Puri Delhi-110086,have changed my name to Sakir 0040630197-5

I Krishna Nand Sharma S/o Late Sh. Keshwa Prasad R/o C.No.1803, Gali No.5, Shiv Mandir, Sangam Vihar, Wazirabad, Timarpur, North Delhi, Delhi-110054 have changed my name to Krishna Nand Rai for all purposes. 0040630041-3

I Jai Kumar S/o Hari Ram Borkar R/o F-1/44, Budh Vihar, Phase-1, Delhi, 110086 have changed my name to Jai Kumar Borkar for all future purposes. 0070802154-1

I Jai Krishan, R/O. House No 6 and 7, 2nd floor, Pocket 11, Sector 22 Rohini New Delhi 110086 Have Changed My Name From Jai Krishan To Jai Krishan Jha For All Purposes. 0070802132-1

I Hitherto Known As Anuj,S/o Suraj,Residing At,H.No.38, Shastri Park,Phool Bagh Colony,Ibrahimpur Ext. Gali No.1,Alipur North-West,Delhi-110036,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Anuj Basyal. 0040630203-1

I Devendra S/o Amar Singh R/o Village- Duka, Post- Khadi, Tehsil- Ashta, Distt- Sehore, Madhya Pradesh-466116, have changed my name to Hirdesh Mewada 0070802204-1

I,Thinley Tharchin S/o L.C. Bhutia R/o H/no.8, Block.No.4,Old Camp,Tibetan Colony,Majnu ka Tila,New Aruna Nagar,Delhi-54,have changed,my,name,to Thinley Tharchin Bhutia for all.Purposes. 0040630243-7

I, ABHINAY SEMWAL S/o HARI BALLABH SHARMA R/o HOUSE NO-283 GR GARDEN -1, CHIPYANA BUZURG GREATER NOIDA WEST, GAUTAM BUDH NAGAR, UP-201009 have changed my name to ABHI-NAYA SEMWAL 0070802197-1

I, Rita W/o Anil Kumar Singhal R/o 388/1, First Floor, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Rita Singhal for all purposes 0040630112-1

मैं , आशिमा पुत्री श्री प्रमोद तंवर, निवासी डब्ल्यू जेड-908, नारायणा रिंग रोड, नई दिल्ली-110028 ने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम आशिमा से बदलकर आशिमा तंवर कर दिया है।

सर्व विदित हो कि मैंने (मनीष गुप्ता पुत्र स्व0 बी0के0 गुप्ता निवासी-91, समर विहार कॉलोनी, आलमबाग, लखनऊ) अपने पुत्र का नाम Arav Gupta से बदलकर Aravv Gupta रख दिया है। अतः भविष्य में उसे समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों में Aravv Gupta के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

मैं, शंकर प्रसाद सिंह S/o स्वर्गीय सरयुग सिंह निवासी, ग्राम- छोटी पसराहा, वार्ड नंबर-2, पो.-पसराहा, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया (बिहार) पिन-851212 ने अपना नाम शंकर प्रसाद सिंह से शंकर सिंह शपथ पत्र 3649 तिथि 27 अगस्त 2022 के सभी उद्देश्यों के लिए बदल दिया है।

I, Navin Chander S/o M.R. Tripathi R/o 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Navin Tripathi. 0040630209-2

I,JESMIN KAUR LAMBHA alias JASMINE LAMBA D/o Charanjit Singh Lamba R/o A-24, Naraina Vihar, Delhi-110028 have changed my name to JASMINE LAMBA for all purposes. 0040629935-3

खोया+पाया

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position letter for the above mentioned property. If found contact 9315304900 0040630054-1

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार अपने पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश एवं पुत्रवधु पूजा पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश निवासी E-2/9, शिव राम पार्क, कमरुद्दीन नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110041, को इनके शत्रुतापूर्ण और आक्रामक व्यवहार के कारण अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी संबंध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इनके द्वारा किये गए किसी भी तरह के लेनदेन और कृत्यों एवं पुलिस केस के लिए मेरे मुवक्किल और उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ता/-
अधिवक्ता
(अमित कुमार)
D/7901/2020

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री अशोक कपूर निवासी A-90, प्रथम तल, जैन पार्क, किरन गार्डन, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली -110059, (आधार न. 7514 5205 7322) ने अपने पुत्र अरुण कपूर को अपने चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। तथा अभी से उससे सारा सम्बन्ध खत्म कर लिया है क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर है तथा मेरे मुवक्किल एवं उनके बेटी दामाद के साथ दुर्व्यवहार करता है। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की लेन-देन बात-विचार अगर अरुण कपूर से करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करे। मेरे मुवक्किल एवं उनके परिवारों की उनके द्वारा किया गया किसी कृत्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

मिथिलेश कुमार झा
अधिवक्ता
Enr no. D-1267/07

PUBLIC NOTICE

My client, Smt. Tara Devi, W/o Sh. Prakash Chand, H. No. 279, Upper Ground Floor, Vipin Garden, Kashmiri Gali, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has severed her all relations from her son namely Rohit and sister-in-law (Bahu) namely Aarti, W/o Rohit, D/o Sh. Inder Singh and disowned them from all her movable and immovable properties including the properties bearing H. No. 279, Upper Ground Floor, Vipin Garden, Kashmiri Gali, Uttam Nagar, New Delhi-110059 due to their disobedience. My client shall not be responsible for any of their criminal acts and civil liabilities.

Sd/-
Abhishek Kumar
Advocate
Enrl. No. D/4903/18
Ch. No. 442-A, Lawyers Block, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My client Sh Pritam Singh S/o Late Pratap Singh, R/o 35/11, Old Rajender Nagar, ND-60, got a Public Notice published, on 02/09/2022 in Indian Express, Page No.14, (English) & Jansatta Page No.2 (Hindi) both Delhi Daily Edition, wherein Khasra No.38/13 was mistakenly written as 38/11. Kindly read the correct Khasra No.38/13 instead of 38/11. Rest of the contents of above Public Notice would remain the same with above correction.

Mohd. Arif Advocate
Office: K-153A, Tishazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client SH. DALIP KUMAR (aged about 65 years old, Senior Citizen of India) S/O LATE SH. SOHAN LAL R/O A-141, NAND RAM PARK, UTTAM NAGAR, D.K. MOHAN GARDEN, WEST DELHI, DELHI - 110059, has served all their relations from his son LOVE MALHOTRA (AGED ABOUT 30 YEARS), disowned and debarred him from all his moveable and immoveable properties with immediate effect because of disobedience and temperaments issues with the son and atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them shall be doing so that their own risk, cost and consequences. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Sd/-
NAKUL GROVER (Advocate)
G-22, Suneja Tower-1, District Centre Janakpuri, New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRIMATI SHUSHMA SHARMA** WIFE OF SHRI RAMESH CHAND SHARMA R/o House No.111, Rani Garden, Shastri Nagar, Delhi-110031, have disowned her son namely **SHIVA SHARMA** and he shall have no right or concern with her moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts & deeds of said **SHIVA SHARMA.**
Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi.

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all that, my client ABDUL HAFIZ S/o ISLAMUDDIN and ZAMILA KHATOON W/o ABDUL HAFIZ R/o R-3 A2/23 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi-59 have disowned their son MOHD. SALIM and his wife NUSRAT KHATOON severed all their relations social and financial with them due to their disobedience. They have debarred them from inheriting their properties movable and immovable. They shall not be responsible for any of their acts, deeds and things, Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk.

Sohan Kumar (Advocate)
B-5,Suneja Tower-1,District Center Janakpuri, New Delhi-110058
Mobile No. 9268276091

PUBLIC NOTICE

It is notified that my client Shri Sadhu S/o. Shri Dhan Singh R/o. H.No. 279, Gali No. 6, Village Jagatpur, Burari, Delhi has disowned his grandson Akash and his wife Komal along with children from all his moveable and immoveable properties and my client has no concern whatsoever. Any person dealing with the said grandson Akash and his wife Komal along with children would do at their own risk and cost and my client will not be responsible for any of their acts.

RAJEEV KUMAR TOMAR (Advocate)
Ch. No. C-54, C.L. JOSEPH BLOCK, TIS HAZARI COURTS, DELHI -110054

शिक्षा संबंधित

निश्चय IAS
Since.2009
MEDIUM हिंदी & ENGLISH Certainty of Success..
MEGA OFFER
Complete Preparation For.
IAS / PCS
Just ₹35000/-
Last Date for Admission 05 SEPTEMBER 2022
Only 50 Students
7390000900, 7390090001
Kapoorthala, Aliganj, Lucknow.

TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
SECTOR - 9, DWARKA
(Affiliated to GGSIPU & Approved by BCI, Delhi)
Admission Under Management Quota (Session - 2022-23)
Open for the following Courses:
BBA (G)
BA (JMC)
B.COM (H)
BCA
B.A. LLB
Reservation as per rules
Applications are invited
(Apply within 18 days)
www.tips.edu.in

ADMISSION for NURSING
Estd. : 1999
Baba Haridass Institute of Nursing Education
(Recog. by INC & DNC)
Jharoda Kalan, Najafgarh
New Delhi - 110072
(On Najafgarh Bahadurgarh Road)
GNM & ANM COURSE (2022-23)
Applications are invited for 3 yrs Dip. in General Nursing & Midwifery (GNM) and 2 yrs Dip. in Auxiliary Nurse & Midwife (ANM) on prescribed form available with prospectus.

Eligibility:	Age:
ANM - 12th pass	17-30 yrs.
GNM - 12th pass with 40% marks (any stream)	17-35 yrs.

All other information available in the prospectus. Principal
7840021047, 9318307459

APPOINTMENT
NCPE COLLEGE OF LAW
(Run by Mahavira Pupils Education Society)
(To be Affilated to Ch. Charan Singh University, Meerut)
Required Following Faculty of B.A.LL.B (5 years integrated Course) for the session 2023-24
PRINCIPAL - 1 NO.
(Ph.D. with 15 years teaching exp. in law college)
ASSISTANT PROFESSOR in Law - 6 Nos.
ASSISTANT PROFESSOR (English, History, Hindi, Pol. Sci., Economics, Sociology) 12 Nos. (Qualification as per UGC & University Norms)
Notes: 1. Educational qualification as per BCI, UGC & University Norms.
2. Salary as per U.P. Govt. & University Norms.
Please send your resume along with photo and all testimonials latest by 18-09-2022 for the below mentioned address.
College Campus: Jawahar Vidyalaya Road, Village Dhoom Manipur, Near Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar - 203207, U.P
Administrative Office: Main Road, I-Block Market, Sector-22, Noida-201301, G.B. Nagar, U.P
Ph.: 9467774070, 9818938400, 9718832248
E-mail: ncpedadri@gmail.com
Last date: 18.09.2022 (Dr. Anil Kumar) Director

NOIDA COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION
(Approved by NCTE & Under Section (F) & 12(B) of the UGC Act)
(To be Affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut)
Required Faculty of the following department for the session 2023-24
PRINCIPAL - 1 NO.
(Ph.D. with 15 years teaching exp. at UG/PG Level)
Management Department
B.Com-06 Asstt. Professor
B.B.A.-06 Asstt. Professor
B.C.A.- 06 Asstt. Professor
B.Sc. (Maths Group)
Mathemetics - 02 Asstt. Prof.
Physics - 02 Asstt. Prof.
Chemistry - 02 Asstt. Prof.
B.Sc. (Biology Group)
Botany - 02 Asstt. Prof.
Zoology - 02 Asstt. Prof.
Chemistry - 02 Asstt. Prof.
Notes: 1. Educational qualification as per BCI, UGC & University Norms.
2. Salary as per U.P. Govt. & University Norms.
Please send your resume along with photo and all testimonials latest by 18-09-2022 for the below mentioned address.
College Campus: Jawahar Vidyalaya Road, Village Dhoom Manipur, Near Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar - 203207, U.P
Administrative Office: Main Road, I-Block Market, Sector-22, Noida-201301, G.B. Nagar, U.P
Ph.: 9467774070, 9818938400, 9718832248
E-mail: ncpedadri@gmail.com
Last date: 18.09.2022 (Dr. Anil Kumar) Director

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Smt. Darshan Kaur W/o. Lt. Sh. Kulwant Singh presently at 3, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, New Delhi -8, has disowned his son Mr. Deepak Karir with his wife Ms Payal Talwar & grand daughter baby Rhythm Kaur due to their cruel behave and misdeeds towards my client from all moveable and immoveable properties. My client severed all relation with her.

AMIT KHANNA (Advocate)
CH. NO. K-73, TIS HAZARI COURTS, DELHI -110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh. Anil Kumar Gupta S/o Sh. Yashpal Gupta R/o H.No. 1-2, First Floor, Block-G, Opp. SDM Market, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have severed all his relation with his Son Mr. Vikas Gupta, his Daughter-in-law Mrs. Honey Gupta W/o Mr. Vikas Gupta and his Grand daughter Ms. Kiyara Gupta D/o Mr. Vikas Gupta from the date of this public notice. Now my client has no relation with his Son, Daughter-in-law and Grand Daughter. My client declare that his abovesaid son, daughter-in-law and grand daughter shall have no right, title or interest whatsoever in any manner in the movable and immovable property of my client and if anybody made dealing with them shall do at their own risk, cost and consequences.

Sd/- **ROHIT ARORA** (Advocate)
Ch. No. P-36, Post Office Lane, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

I Harvinder Kaur D/o Rajendra Singh Bhui R/o C-18, Hazara Park, Shiv Puri, Delhi-110051 have lost my(1) GPA & ATS executed on 05.11.1979 by Gurbux Singh, Kashmiri Lal & Chander Paul in favour of Raj Pal Chawla, (2)GPA & ATS executed on 10.09.1980 by Raj Pal Chawla in favour of Satya Parkash Chugh(3) GPA, ATS & Will executed on 08.07.1999 by Satya Parkash Chawla in favour of Kunti Devi all W.R.T Property No. C-18, Hazara Park, Near Shiv Puri, Delhi-110051. Finders may contact at above address.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRIMATI RAJNI VIJ** WIFE OF LATE SHRI SATISH VIJ R/o House No.E-35, Preet Vihar, Delhi-110092, have disowned her son namely **GAGAN VIJ** and he shall have no right or concern with her moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said **GAGAN VIJ**.
Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **SHRI GYAN KAUSHAL** S/O SHRI KANHAIYA LAL KAUSHAL R/o H.NO.75-A, GALI NO.11, NEW LAHORE SHASTRI NAGAR, DELHI-110031, have disowned his son namely **JITENDER KAUSHAL** alias **MINTOO** and he shall have no right or concern with his moveable and immoveable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts & deeds of said **JITENDER KAUSHAL** alias **MINTOO.**
Tarun Babbar (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi-110091

PUBLIC NOTICE

Be it known to all the general public that my client Owner Mr.Samrender Kumar (Seller) S/o Sh. Ram Iqbal Shah R/o R-301, Vrandavan Heights Vrandavan Garden Ghaziabad UP have sold Vehicle No.UP14DT-5348 Chassis No. MAT457403D7E15488 Engine No.497TC92EWY824998 Makers:Tata LPT 1109 Model:2013 Open Body Truck Goods Carriers to Mr.Gurdev Singh (Buyer) R/o Sarsol, Kol, Aligarh, Uttar Pradesh-202001. If anybody have any dispute/claim/ objection, please contact mobile no.: 9599239753 within 7 days of publication of this notice, and any claim/objection thereafter shall be treated as null and void.

PRAVEEN RASTOGI (Advocate)
ENRL No.D-244/06

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Mr. Chanchal Singh S/o Sh. Gurbaksh singh R/o W2-53, Ist Floor, Gali No. 6, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018, has disowned and debarred his son KAWALJEET SINGH S/o Sh. Chanchal Singh, from all his movable and immovable properties with immediate effect and severed all their/his relations and connections with him because he is out of control of my client and misbehave with him. Anybody dealing with him shall do so at his/her their own risk and responsibilities thereto and my client, shall be no way responsible for any act, deeds and things done by him.

Sd/-
M.K. JHA (Advocate)
G.F. SR.-II, Authority Building Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public at large that my client Ashok Jain R/o F-26/34, Sec-7, Rohini, Delhi have lost/misplaced the Original Registered cancelled Prepeutal Lease Deed Dated 11.12.1986 having registration No.10282, of Property No. F-26/34, Sector-7, Rohini, Delhi. If any person found said documents, kindly inform/return to me at below mentioned address.

Sd/-
VIKAS KUMAR JAIN
Advocate
Enrol. No. D/1062/01
12, RU-Market, Pitampura, Delhi.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अमरेश तिवारी सुपुत्र अयुध्या प्रसाद व तारावती पत्नी अमरेश तिवारी निवासी 1 हनुमान मन्दिर टैगोर गार्डन एक्स. नई दिल्ली-110027 ने अपने पुत्र सुनील कुमार उसकी पत्नी पुष्पलता व उनके बच्चो हिमांशु एवं विशाल को उनके गलत आचरण के कारण अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है व अपने सभी सम्बन्ध समाप्त कर लिए है। भविष्य में इनका किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन होगा तो वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। मेरे मुवक्किल इनके किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगे। **Mohinder Dhawan** (Advocate)
Bar Room 3 Civil Side TisHazari, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To be known to all that We, M/s KULDIP SINGH & ASSOCIATES Chungwa Restaurant M-34, Greater Kailash Part-2, M- Block Market New Delhi-48 owner of Plot No-01 Shopping Complex underneath Defence Colony Fly over Market has applied for conversion of the aforesaid plot from leasehold to freehold vide application/Request ID No.77891 Dt. 01.03.2013 in DDA. That the original documents i.e 1. Allotment Letter 2.Bid form dt. 14.9.76 3. Auction letter dt. 96.05.86. 4. Site Possession letter 5.Deposit Demand Slip have been lost, An FIR Vide LR NO.744835/222. Dt 31/8/22 against this effect has been lodged in Crime Branch Police station Delhi. Any persons claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write or contact with above named person at above address/ phone No. 9810004503 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right ,interest, objections with respect to this property can personally inform or right, to Dy. Director (C L) or Director(C L)with, A-Block, 1st floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023. along with the documents.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 'Scheduled Property' i.e. Plot No. 4, 4-A, 4-B, each 125 Sq. Yds. bearing part of Mustatil No.54, Killa No.14, Village Hastsal, Hastsal Road, Uttam Nagar, New Delhi-110058 is owned by and is in actual physical possession of Prajapati Brahma Kumaries Ishwaria Vishav Vidhalya, Mount Abu (Rajasthan Head Quarter) Regd. Office 25, New Rohtak Road, New Delhi for more than 35 years. (hereinafter referred as 'Absolute Owners'), as the sole and absolute right, title and interest holders thereof. All vested interests related to the property are subject of the absolute owners. Authorized representatives of the Owner have full rights to use the property as per stipulated guidelines of the Owner & local Government authorities.
Sd/-
Prajapati Brahma Kumaries Ishwaria Vishav Vidhalya. Mount Abu (Rajasthan Head Quarter) Regd. Office 25, New Rohtak Road, New Delhi.
Abhimanyu Sangwan (Advocate)
Ch. No.121, W-Wing, Tis Hazari Court, Delhi.

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Malvinder Singh had entered into an agreement to sale with Sh. Ram Lal Jain for sale and purchase of a property bearing Khasra No. 67/8, (4-16), situated in revenue Estate of Village Karala, Delhi-110081 vide Entry No. 7640, Page No. 135, Dated 19th July 2022.

The said Sh. Ram Lal Jain miserably failed to pay the consideration amount of the said Agreement to Sale with immediate effect.

Through this Public Notice we warn every individual not to indulge or enter into any Agreement with the said defaulter Sh. Ram Lal Jain in the connection with the above mentioned property.

SD/-
Bhavya Nayyar (Advocate)
ConceptLegal International LLP
E-155/156 Basement,
Kamla Nagar Delhi-110007

Classifieds
EXPRESS EDUCATION

Since: 2001
LAW AMBITION LAW INSTITUTE
MOCK INTERVIEW FOR HARYANA JUDICIARY
JUDICIARY/IAS/CLAT
8800660301/2140/0380

TOPPERS IAS
IAS MANUFACTURING INSTITUTE
9773636100
www.toppersias.in
SOCIOLOGY
FOUNDATION CLASS
by RITESH KUMAR SINGH Starts From 10th October
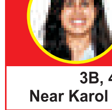
3 AIR GAMINI SINGLA
UPSC CSE 2021

67 AIR ANAND MALHOTRA
3B, 4th Floor, Croma Building, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Pillar No.110, New Delhi-110005

SOCIOLOGY
Routledge in association with DIAS organizes MEET THE AUTHOR of
Introduction to Sociology: Concepts and Theories
(Routledge, 2022) (With Prior Registration)
ORIENTATION LECTURE: 1 October 2022 (5 PM)
(Collect a copy of the book signed by the author at a discounted rate)
FOUNDATION COURSE (MAINS 2023)
Starts on 10 October 2022; 2 Demo Classes; Seats: 50
(Discount for SC/ST/OBC/EWS Candidates)
POSTAL COURSE (June 2022 Edition)
Aditya Mongra DIAS
26/3, Basement, Near Madonna Hotel, Opp. Vijay Photostat, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60. Contact: 9999663160, Email: adityadse@gmail.com
Website: www.sociologybyadityamongra.com Facebook Page: Sociology By Aditya Mongra

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
(M): 9212665841, 9212008155

खबरों में शहर

शूरबीर सिंह दिल्ली ट्रांसको के नए सीएमडी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी शूरबीर सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार संभाला। शूरबीर साल 2004 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई किया है। दिल्ली सरकार के अलावा वे केंद्र सरकार में भी उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। इससे पहले भी वे दिल्ली ट्रांसको में सेवा दे चुके हैं।

पुलिस आयुक्त ने पूर्वी दिल्ली का जायजा लिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली जिले का दौरा किया। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था दीपेंद्र पाठक, पूर्वी रेंज के अतिरिक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह और ओएसडी रोमिल बनिया मौजूद रहे। उन्होंने उत्कृष्ट, संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण मामलों में अवलोकन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि मीटिंग के दौरान पुलिस आयुक्त ने जिले के अधिकारियों के साथ जिले में हुए अपराध के बारे में विस्तार से बातचीत की।

तीन दिन बाद मिला यमुना में डूबे युवक का शव

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 सितंबर।

थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के रायपुर खादर गांव के सामने यमुना में डूबे युवक का शव शुक्रवार को मिल गया। वह बुधवार को मछली पकड़ने नदी में गया था। इस दौरान पांव फिसलने से वह नदी में गिरकर डूब गया था। तभी से गोताखोर उसकी तलाश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट निवासी सनोज रायपुर खादर स्थित फार्म हाउस में काम करता था। पुलिस ने शव बरामद होने की सूचना परिजनों को दे दी।

फिक्की के कार्यक्रम में पुलिसकर्मी सम्मानित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स इंडस्ट्री (फिक्की) में शुक्रवार को आयोजित स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड-21 कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। हेड कांस्टेबल सुकन्या को बाल सुरक्षा और मानव तस्करी मामले में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से भारत के विभिन्न हिस्सों से कई नाबालिग बच्चों की बरामदगी की गई है। सुकन्या को अब तक अधिकारियों से 217 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं।

उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को शुक्रवार को इस बात से अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला उपभोक्ता फोरम के स्वीकृत 30 पदों में से 26 पर नियुक्तियां कर दी गई हैं और शेष पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एससी शर्मा और न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने उपभोक्ता अदालतों की सभी समस्याओं को दूर करने, रिक्त पदों को भरने और न्यायिक अधिकारियों, वादकारों तथा वकीलों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और मोहलत दे दी। दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट को रिकार्ड में दर्ज करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है और राज्य सरकार को ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने करने का भी निर्देश दिया है। अदालत को राज्य सरकार की ओर से इस बात से भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित 30 स्वीकृत पदों में से 26 पद भरे जा चुके हैं और शेष चार पद के लिए साक्षात्कार जारी है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों को भरने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार माह की मोहलत देने का अदालत से अनुरोध किया। अदालत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दिल्ली में स्थापित उपभोक्ता अदालतों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा थी।

नई दिल्ली नगर निगम ने दी जानकारी

लुटियन दिल्ली में तीन साल में साढ़े तीन सौ पेड़ उखड़े

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

लुटियन दिल्ली क्षेत्र में तीन वर्षों के दौरान बारिश और आंधी के कारण 350 पेड़ नष्ट हो गए। नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। आंकड़ों के अनुसार, दो साल के दौरान क्षेत्र में आठ लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए।

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) के जवाब में नगर निकाय ने कहा कि उसने हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय निवासियों को भी पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल किया। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसीयर लुटियंस को 1911 में जब नई दिल्ली का शहरी योजना बनाने का काम सौंपा गया था तब उन्होंने एनडीएमसी क्षेत्र में नीम,

पीपल, पिलखन, जामुन, अर्जुन, खिरनी और इमली के पौधे लगाए थे।

एनडीएमसी ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान भारी बारिश और आंधी के कारण कुल 345 पेड़ गिरे। एनडीएमसी का बागवानी विभाग पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर काम कर रहा है। पिछले दो साल में एनडीएमसी क्षेत्र में 8,38,675 पौधे लगाए गए हैं। निगम ने कहा कि वर्तमान में एनडीएमसी क्षेत्र में डेढ़ लाख पेड़ हैं।

कुतुबगढ़ में बनेगा चंदन वन, कन्नौज के विशेषज्ञ आएंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कुतुबगढ़ में आने वाले दस से बारह वर्ष में चंदन वन तैयार होगा। इसकी शुरुआत के लिए, शुक्रवार को एक हजार चंदन के पौधे लगाए गए। उपराज्यपाल वीके के सक्सेना ने इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। गांव के 500 किसानों द्वारा ये 1000 पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को इन पेड़ों की देखभाल तथा रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

थमी रफ्तार

नई दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज पर जाम में फंसे वाहन।

लुफ्थांसा की दो उड़ानें रद्द होने पर यात्रियों का हंगामा

पायलटों की हड़ताल का पड़ा असर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

लुफ्थांसा एयरलाइन के पायलटों की हड़ताल के कारण गुरुवार रात को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाईअड्डा से उड़ान भरने से पहले ऐन पहले दो उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानें रद्द होने से नाराज यात्रियों और उनके परिजनों ने हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर आधी रात को जमकर हंगामा किया।

यात्रियों की मांग थी कि या तो उनके किराए के पैसे वापस किए जाएं या फिर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसकी सूचना गुरुवार रात करीब 12:15 बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर हंगामा कर रहे यात्रियों के परिजनों और टर्मिनल के अंदर न्याय की मांग कर रहे यात्रियों को समझा कर मामले को शांत करवाया।

आइजीआइ हवाईअड्डा उपायुक्त तनु शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार देर रात सवा 12 बजे उन्हें हवाईअड्डा के टर्मिनल-3 के एक नंबर द्वार के बाहर लोगों के एकत्रित होने की जानकारी मिली। जानकारी मिली थी कि भीड़ से जाम भी लग गया।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और हवाईअड्डा कर्मचारियों ने उन्हें शांत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि लुफ्थांसा ने

अफरा-तफरी का रहा माहौल

टर्मिनल तीन पर सैकड़ों यात्री फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को आइजीआइ हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर लगभग सात सौ यात्री फंस गए। परेशान यात्री विमानतल पर बैठकर "हमें न्याय चाहिए" का नारा लगाने लगे। वहीं कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर सरकार से गुहार लगाई। लुफ्थांसा शीघ्रातिशीघ्र उड़ानें सामान्य करने का प्रयास कर रही है। वहीं, शनिवार और रविवार को भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं।

फ्रैंकफर्ट के लिए 300 यात्रियों के साथ देर रात दो बजकर 50 मिनट पर रवाना होने वाली उड़ान और 400 यात्रियों के साथ म्यूनिख के लिए देर रात एक बजकर 10 मिनट पर रवाना होने वाली उड़ान रद्द कर दी थीं। पुलिस ने बताया कि लुफ्थांसा के पायलटों की एक दिन की हड़ताल के कारण दोनों उड़ानें लुफ्थांसा के मुख्यालय द्वारा ही रद्द की गईं। इसकी जानकारी पूर्व में किसी को नहीं दी गई थी।

मुंबई खादी ग्रामोद्योग मामले में 'आप' नेताओं ने उपराज्यपाल को घेरा, आया जवाब

पेश किए जा रहे आंकड़े गलत : उपराज्यपाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

'आप' के सांसद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया था कि सक्सेना ने केवीआइसी के अध्यक्ष के रूप में मुंबई के एक खादी लाउंज का डिजाइन अपनी बेटी से मुफ्त बनवाया था, जो एक डिजाइनर है।

मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) लाउंज से जुड़े आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं के आरोपों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर सफाई आई है। 'आप' नेताओं ने लाउंज की लागत और इसकी आंतरिक सज्जा का काम वीके सक्सेना की बेटी को देने पर सवाल उठाया था, जिसका शुक्रवार को सक्सेना की ओर से ट्वीट कर सफाई दी गई।

उपराज्यपाल सचिवालय ने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया-खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके मुंबई स्थित लाउंज की परियोजना की कुल लागत 27.3 लाख रुपए थी और एक राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हैं।

इससे पहले गुरुवार को 'आप' संजय सिंह ने ट्विटर पर उपराज्यपाल सक्सेना से पूछा था कि क्या उन्होंने खादी और केवीआइसी के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी बेटी को बिना किसी निविदा के ठेका दिया था। शुक्रवार को इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस कर पद के दुरुपयोग पर उपराज्यपाल को घेरा और प्रधानमंत्री से उनको पद से हटाने की मांग की है। सांसद ने पूछा था कि केवीआइसी के अध्यक्ष अपने रिश्तेदार को ठेका कैसे दे सकते हैं? राजनिवास के स्पष्टीकरण पर सिंह ने कहा कि केवीआइसी कानून में स्पष्ट रूप से उसके अधिकारियों को अपने परिवार के सदस्यों को कोई ठेका या काम देने पर पाबंदी है।

खालिस्तान के प्रस्तावित जनमत संग्रह के खिलाफ कनाडा उच्चायोग पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त से 18 सितंबर को कनाडा में प्रस्तावित जनमत संग्रह रोकने की मांग की गई है। यह जनमत कथित तौर पर खालिस्तान को लेकर कराया जा रहा है।

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से शुक्रवार को कनाडा उच्चायुक्त पर सांकेतिक प्रदर्शन करके वहां तथाकथित खालिस्तान समर्थकों द्वारा 18 सितंबर को प्रस्तावित जनमत संग्रह पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो को संबोधित एक ज्ञापन भी कार्यालय में दिया गया है।

डीयू के कालेज कर सकेंगे शिक्षकों की भर्ती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने कालेजों से कहा है कि वे नियमित प्राचार्य नहीं होने पर भी अपने यहां शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। इससे पहले विश्वविद्यालय ने कहा था कि स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं होने पर कालेज तदर्थ या किसी भी आधार पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते।

डीयू की ओर से 31 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि विवि ने छात्रों के वृहद हित को देखते हुए पहले दिए गए अपने निर्देश की समीक्षा की है। विवि के सहायक रजिस्ट्रार ने कालेजों की प्रशासकीय इकाइयों को 18 मई को लिखे पत्र में कहा था कि जब तक नियमित प्राचार्य न हों तब तक निविदा, अस्थायी या नियमित आधार पर भी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति न की जाए। इसके बाद डीयू के 'एकेडमिक्स फार एक्शन एंड डेवलपमेंट' के सात सदस्य शिक्षकों ने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया था। कई कालेजों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और इस निर्देश से पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज सुमन ने कहा इससे युवा शोधार्थियों को उच्च शिक्षा में आने का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के नेता, सरकार की बर्खास्तगी की होगी मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भाजपा के विधायक दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जानकारी छह सितंबर को राष्ट्रपति को देंगे और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी करेंगे। भाजपा विधायकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारे नियम-कायदों को ताक पर रखकर दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सूचना देते हुए बताया कि 6 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने का समय तय हुआ है और भाजपा के सभी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दागी मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

निगम चुनाव के लिए जमीनी तैयारियां शुरू की भाजपा ने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जमीनी तैयारियां तेज कर दी है। इसकी पहल शुक्रवार को पार्टी के विधानसभा विस्तार की एक बैठक के साथ हुई। पार्टी ने दिल्ली के प्रभारियों को आने वाले उनके क्षेत्र की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सौंपा है। इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव तैयारियां शुरू हो जाएंगी।

बताया जा रहा है कि किसी भी चुनाव से पूर्व विस्तारकों के माध्यम से ही रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी चुनावी मुद्दों और चुनावी रणनीति तैयार करती। दिल्ली में सबसे पहले निगम चुनाव होंगे। इन चुनाव के लिए चुनाव आयोग नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पर काम कर रहा है और आयोग को दिल्ली के सभी 272 वार्ड की संख्या को सीमित कर उन्हें 250 तक सीमित करना है।

आबकारी नीति के लिए 'आप' और भाजपा जिम्मेदार : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा को बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि शंकर गुप्ता ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि दिल्ली कांग्रेस मांग करती है कि शराब घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि सीबीआइ जो जांच कर रही है। वह जांच प्रभावित नहीं हो।

उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के खिलाफ भाजपा पूरी दिल्ली में शराब नीति को बंद करने का विरोध शराब नीति बंद हो जाने के बाद कर रही है। भाजपा विधायक विधानसभा में चर्चा करने की बजाय बाहर रहकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुक्त भाषण देने का अवसर दिया।

सदन और सरकार

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र कई मायनों में बना इतिहास

प्रस्ताव न प्रतिवेदन, सिर्फ पार्टी के पक्ष में दिखा सदन

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली विधानसभा का इस बार अचानक बुलाया गया विशेष सत्र कई मायने में अलग रहा। सदन पांच दिनों तक चली लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जिसमें न तो कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही पहले से तय प्रतिवेदन (सेवा विभाग) को प्रत्यक्ष तौर पर पटल पर रखा गया। सदन में सिर्फ पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखी गई।

तकनीक के आधार पर यह सत्र सातवीं विधानसभा के तीसरे भाग का तीसरा सत्र था जिसे एक दिन का विशेष सत्र कहकर बुलाया गया था। लेकिन एक-एक दिन करके इसे पांच दिनों तक खींचा गया। हालांकि यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वह सत्रों की समय सीमा तय करें लेकिन सदन का उपयोग नीति निर्माण की जगह एक खास उद्देश्य के लिए होता दिखा। विशेष सत्र में कई चीजें पहली बार दर्ज हुईं। हालांकि उन पर सवाल खड़े किए गए। विधानसभा का सत्र पांच दिन चला लेकिन दिल्ली से जुड़ी किसी जनसमस्या पर पर्चा नहीं हुई। कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। एक प्रतिवेदन (सेवा विभाग) जो कार्य सूची में दर्ज था, उसे भी प्रत्यक्ष तौर पर पेश नहीं किया जा सका।

सातवीं विधानसभा

2020: पांच सत्र हुए। पहला तीन दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा एक-एक दिन, पांचवां दो दिन।

2021: चार सत्र बुलाए गए। पहला पांच दिन, दूसरा और चौथा दो-दो दिन। तीसरा एक दिन।

2022: अभी तक कुल तीन सत्र बुलाए गए। पहला छह दिन, दूसरा दो दिन, तीसरा पांच दिन।

पहली बार हुआ सदन में

संविधान में उपराज्यपाल के नाम पर सदन और सरकार चलती है, उन्हीं के खिलाफ सरकार के विधायकों से सदन में उन्हें अपमानित होना पड़ा।

कार्यवाही का एक रिकार्ड इस बार सदन के बार बार स्थगन को लेकर भी बना। पहली बार सदन की कार्यवाही चार दिनों में दस बार स्थगित हुई। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।

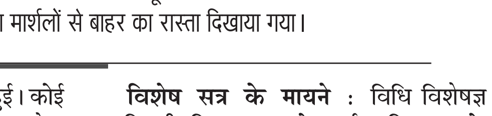

हर बार सदन का स्थगन सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से हुआ। हर बार सत्ता पक्ष के विधायक ही वेल में आए, जबकि अमूमन यह काम विपक्ष की ओर से होता रहा है।

पहली बार विधानसभा परिसर में विपक्ष का पुतला सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर फूंका गया।

पहली बार हुआ जब पूरे विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष सहित रोजाना मार्शलों से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

विशेष सत्र के मायने : विधि विशेषज्ञ व दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा बताते हैं कि विशेष सत्र केवल 'विशेष और आपातस्थिति' में ही बुलाया जा सकता है। जब प्रदेश या देश के समक्ष कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है या कोई जनहित-देशहित के मुद्दे पर तुरंत फैसला लेना होता है। पूर्व में मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज की सरकार ने एक भी बार विशेष सत्र नहीं बुलाया। शीला दीक्षित सरकार ने पूरे 15 साल में केवल तीन बार विशेष सत्र बुलाया जब दिल्लीवालों के समक्ष भारी संकट खड़ा हो गया था। सरकार ने सदन में विपक्ष के साथ मिलकर विशेष सत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपजे संकटों का समाधान किया।

सदन ने इसके जरिए विपक्ष की सहमति से प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से 'सीएनजी बसों' की व्यवस्था करने लिए और समय ले लिया। इसी प्रकार दिल्ली से छोटे उद्योगों को हस्तांतरित करने के आदेश पर भी सदन के प्रस्ताव से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मोहलत दे दी।

खबरों में शहर

दिल्ली में कोविड के 299 नए मामले, दो की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति गुरुवार की तरह ही रही। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 299 नए मामले सामने आए और दो लोगों की मौत हो गई। संक्रमण दर 2.17 फीसद रही। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 271 नए मामले मिले थे और तीन मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी। वहीं संक्रमण दर 2.07 फीसदी पर आ गई थी। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, एक दिन पहले 13,772 नमूनों की जांच की गई थी। दिल्ली में बुधवार को 377 मामले मिले थे और दो संक्रमितों की जान गई थी तथा संक्रमण दर 2.58 फीसद थी। बुलेटिन में बताया गया है कि शुक्रवार को 299 और मरीज मिलने के बाद कुल मामले 20 लाख को पार कर गई। सरकार के मुताबिक दिल्ली में अब तक कुल कोविड मरीजों की संख्या 20,00,187 हो गई जबकि मृतक संख्या 26,474 पहुंच गई है।

करंट लगने से मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

नेब सराय थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान अफरोज खान के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि अफरोज पानी के मोटर का स्विच बंद कर रहा था, तभी करंट में चपेट में आ गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से अफरोज कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल का रहने वाले थे। वे देवली गांव में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स को पानी के मोटर का स्विच बंद करने के दौरान करंट लग गया है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त बेनिता मैरी जयकर ने शुक्रवार को बताया कि किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं जताया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा।

छात्र की चाकू से वार कर की गई हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

वेलकम थाना क्षेत्र में एक नौवीं कक्षा के छात्र की चाकू मार कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना बीती बुधवार को घटी थी। छात्र की पहचान अरबाज (17) के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में शामिल होने के शक में अरबाजद के दो जानकारों को हिरासत में लिया गया है और उसने से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अरबाज अपने परिवार के साथ ज्योति नगर में रहते थे। वह शिवाजी पार्क स्थित सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। परिवार में पिता मसरूर अहमद, मां फरजाना, एक भाई व तीन बहने हैं।

झूले में उतरे करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 सितंबर।

थाना बीटा टू क्षेत्र के सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क में गुरुवार रात गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में झूला झूल रहे दो बच्चे करंट की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। घटना में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी झूला संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा एडीसीपी विशाल पांडे के मुताबिक, बिरौंडी गांव में धर्मेंद्र परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार रात धर्मेंद्र का बेटा हर्षित अपने पड़ोस में रहने वाली महिला आरोही और उनके बच्चे के साथ सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क में मेला देखने गया था। झूलने के बाद उससे उतरते समय हर्षित (12) और आरोही का बेटा प्रियांश (3) करंट की चपेट में आने से झुलस गए।

श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी निचली अदालत ने खारिज की

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 सितंबर।

ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता और मारपीट के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब इस मामले में श्रीकांत त्यागी के वकील हाई कोर्ट में अपील करेंगे। श्रीकांत गत नौ अगस्त से जेल में बंद है। इससे पहले तीन मामलों में त्यागी को जिला न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। वहीं, शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी और उनके परिजनों से मुलाकात की। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने इस मुलाकात पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सपा गुंडों का साथ दे रही है।

अनु त्यागी से मिला सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

श्रीकांत त्यागी मामले में शुक्रवार को सपा के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने करीब 40 मिनट तक उनसे बात की और हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

अनु से मुलाकात के बाद सपा नेता श्रवण कुमार त्यागी ने कहा कि श्रीकांत ने गलती की, लेकिन इसके लिए उनकी पत्नी अनु, बच्चों को सजा क्यों मिल रही है। उनके बच्चे डरे और सहमे हैं। पूर्व मंत्री और मेरठ के किठौर से विधायक शाहिद मंजूर ने इसे बहुत मामूली विवाद बताया, कहा कि मामले में जरूरत से ज्यादा पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग उठाई। महिला को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने पर भी सवाल उठाए गए। मामले की पूरी रिपोर्ट सुप्रीमो अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गत 27 अगस्त को एक निजी कार्यक्रम में नोएडा आए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से श्रीकांत त्यागी के बहाने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था।

वहीं, सपा प्रतिनिधिमंडल को लेकर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोगों में काफी रोष है। खासकर सोसाइटी की महिलाओं में खासा गुस्सा है। महिलाओं का कहना है कि सपा एक गुंडे का साथ दे रही है।

सपा प्रतिनिधिमंडल में तीन पूर्व मंत्री नारद राय, शाहिद मंजूर और भूषण त्यागी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण कुमार त्यागी, सुनील चौधरी शामिल थे।

पुलिस की वर्दी में करोड़ों के आभूषण लूटने वाले गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

मध्य जिला पुलिस ने पहाड़गंज थाना क्षेत्र में दो कर्मचारियों के आंखों में मिर्च पाउडर डालकर करोड़ों रुपए के गहने लूटने वाले आरो पयों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और घटना के वक्त एक कार में सवार था।

इनकी पहचान नजफगढ़ निवासी नागेश कुमार (28), शिवम (23) और मनीष कुमार (22) के रूप में हुई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने छह करोड़ रुपए के आभूषण बरादम किए हैं। हालांकि, पुलिस ने घटना वाले दिन बताया था कि शिकायतकर्ता ने बयान दिया है कि आभूषण दो कारोड़ रुपए के थे। पुलिस ने इन आरोपियों को करीब 700 सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर पहचान किया और उसके बाद दबोचा। घटना बीती बुधवार को घटी थी। उसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में थी। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने शुक्रवार को बताया कि शिकायतकर्ता सोमवीर ने बताया कि वह चंडीगढ़ की एक कंपनी में पार्सल डिलिवर करने का काम करता है। बुधवार शाम करीब सवा चार बजे उसने अपने सहकर्मी जगदीप सैनी के साथ पहाड़गंज स्थित कार्यालय से पार्सल लिया और डीबीजी रोड जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी बताया कि मिलेनियम रोड के पास उन्होंने दो लोगों को खड़ा देखा, जिनमें से एक ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और उसने उनसे अपने बैग की जांच कराने को कहा । पुलिस ने बताया कि इस बीच और दो लोग आए और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और धमकी दी कि बैग उनके हवाले कर दें वरना उनकी हत्या कर देंगे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उनसे गहने का पार्सल लूट लिया और फरार हो गए।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सड़क का एक हिस्सा धंसा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 सितंबर।

सेक्टर-142 के पास (एडवांट अंडरपास) नोएडा -ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे का हिस्सा धंस गया। इससे करीब 12 से 15 फीट लंबा और दो फीट चौड़ी दरार पड़ गई। हालांकि जिस समय यह हादसा हुआ, वहां यातायात की रफ्तार काफी कम थी। गड्ढे की वजह से यहां यातायात काफी धीमा रहा। हालांकि अवरोधक लगाकर एक्सप्रेस-वे के सेंट्रल वर्ज की ओर की दो लेन को बंद कर वाहनों को निकाला गया।

सेक्टर-142 के पास प्राधिकरण अंडरपास का काम किया जा रहा है। इसे पुशबैक तकनीक से बनाया गया जा रहा है, जिसमें यातायात को बंद या वैकल्पिक मार्ग देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पूरी जमीन ही दरक गई और एक्सप्रेस-वे की सड़क में दरार आ गई। पुशबैक में बाक्स के जरिए सड़क को संभाला जाता है और नीचे की मिट्टी को हटाया जाता है। वहीं, यहां सडक़ का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सड़क धंसी थी। इस दौरान यहां लंबा जाम लग गया। इसके बाद धीरे धीरे कर वाहनों को निकाला गया। गड्ढे के चारो ओर अवरोधक लगा दी गई। जाम की एक वजह एक्सप्रेस की री-सर्फेसिंग भी बताई जा रही है।

आठ दिन पहले भी धंसी थी सड़क

आठ दिन पहले भी सेक्टर-96 के पास एक्सप्रेस-वे धंस गया था। इस दौरान भी अंडरपास में पुश बैक तकनीक से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल सड़क की मरम्मत कर दी गई है।

फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश, दस युवतियों सहित 11 गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

केशवपुरम थाना पुलिस ने कन्हैया नगर में बेरोजगारों से ठगी करने वाले एक फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश कर इसके मालिक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दस युवतियां हैं। मुख्य आरोपी ने इन युवतियों को फोन करने (टेलीकालर के तौर पर) के लिए नौकरी पर रखा हुआ था। मालिक की पहचान फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी अनिल कुमार (26) के तौर पर की गई है। अनिल एक मशहूर पर्वतारोही है।

पूछताछ में पता चला कि ये लोग ''वर्क इंडिया पोर्टल'' से इन तीनों राज्यों के जरूरतमंद लोगों के डाटा एकत्रित करते थे और उनसे फोन पर संपर्क कर उनके साथ ठगी करते थे।

रिमझिम दिल्ली में हुई बारिश के बाद सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते लोग ।

वर्चस्व की जंग में पुराने दोस्त ने की थी हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

बीती 26 अगस्त को आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर कुख्यात बदमाश कपिल पवार की हत्या में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कई मामलों में वांछित शार्प-शूटर देवली गांव के प्रवीण (30) को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कपिल का साथी प्रमोद घायल हो गया था। प्रवीण हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूटपाट, वाहन चोरी और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के बदमाशों की हत्या समेत कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है।

उसने बताया कि वह और कपिल पहले अच्छे दोस्त थे लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए हैं। विशेष प्रकोष्ठ के उपायुक्त राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नेब सराय थाना क्षेत्र में कपिल पवार की हत्या करने के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। इस बीच टीम को सूचना मिली कि आरोपी पुलप्रहलादपुर गांव आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार तड़के 4:50 बजे उसे दबोच लिया। आरोपी प्रवीण ने गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन टीम में तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई में एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठने के बाद उसे जानकारी मिली थी कि कपिल उसकी हत्या करने की योजना बना रहा है। इसी वजह से उसने मनीष उर्फ नाटा के साथ मिल कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि बीती 26 अगस्त को मनीष मौके पर स्कूटी से पहुंचा और कपिल की हत्या करने के इरादे से ताबड़तोड़ कई गोलियां उसकी कार पर चलाई, जिसमें कपिल बुरी तरह से जख्मी हो गया था।

कुख्यात बदमाश कपिल पवार की हत्या का मामला सुलझा, एक गिरफ्तार

महिला की मौत के आरोपी डाक्टर की डिग्री फर्जी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 सितंबर।

इलाज करने के दौरान घोर लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत के मामले में आरोपी डाक्टर प्रिय रंजन ठाकुर की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी पाई गई है। इसके बाद थाना बिसरख पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा राजेश एस के अनुसार आरोपी ने बताया था कि उसे 2005 में भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय बिहार से डिग्री मिली है। जांच में पता चला है कि विश्वविद्यालय की तरफ से उसे कोई डिग्री जारी नहीं की गई है। उसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा के साथ धोखाधड़ी की धारा भी जोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

ठाकुर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ईको विलेज-टू मार्ट में आइवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक वसुंधरा, गाजियाबाद की रहने वाली महिला ललिता प्रसव के लिए आइवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर ईको विलेज-टू आई थी। उसका करीब दो महीने से इलाज चल रहा था। आरोप है कि 19 अगस्त को इलाज के दौरान बरती गई घोर लापरवाही व आपातकालीन सुविधा की कमी के चलते महिला कोमा में चली गई। हालत नाजुक देख महिला के परिजन उसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक नामी अस्पताल ले गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

'मानसिक दिव्यांगता के 50 फीसद मामलों के पीछे आनुवंशिक कारण'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 सितंबर।

सेक्टर 30 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट आफ चाइल्ड हेल्थ (चाइल्ड पीजीआइ) में शुक्रवार को 'बाल चिकित्सा में आनुवंशिकी' पर एक संगोष्ठी में डाउन सिंड्रोम, म्यूकोपालीसेकेराइडोस, विकासात्मक देरी वाले बच्चे के प्रति दृष्टिकोण, डिस्मार्फिक विशेषताओं वाले बच्चे और विभिन्न जन्मजात त्रुटियों वाले बच्चों के इलाज और उनकी देखरेख जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

डा. पीयूष गुप्ता ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण सत्र चिकित्सकों के लिए एक वरदान रहे हैं और इन दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के शीघ्र निदान और उपचार में मदद कर रहे हैं। चाइल्ड पीजीआइ के ब्रिगेडियर डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि मानसिक रूप से मंद पाए गए करीब 50 फीसद व्यक्तियों में उनकी दिव्यांगता का आनुवंशिक आधार होता है। उचित निदान के लिए अधिकांश सूक्ष्म डिस्मार्फिक विशेषताओं को समझने की आवश्यकता होती है और आनुवंशिक परीक्षण के प्रकार को तय करने में इसका महत्व है। चयापचय की जन्मजात त्रुटियों का यदि जल्दी निदान हो तो मस्तिष्क को होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति को रोका जा सकता है।

ग्रेनो प्राधिकरण बनाएगा आठ नए औद्योगिक सेक्टर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 2 सितंबर।

औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा में बढ़ती मांग के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आठ नए औद्योगिक सेक्टर बसाने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण करीब 900 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। अब तक आधी से ज्यादा जमीन खरीदी जा चुकी है। शेष जमीन खरीदने के लिए प्राधिकरण गांवों में शनिवार से शिविर लगाएगा।

प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र के मुताबिक उद्योगों के लिए जमीन की मांग को देखते हुए आठ नए सेक्टर ईकोटेक 7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और ईकोटेक 21 बसा रहा है। इन सेक्टरों के लिए प्राधिकरण करीब 900 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम करेगा। सेक्टरों के बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी जिससे सैकड़ों करोड़ के निवेश से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन लेने के लिए गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं।

इन गांवों में ली जा रही जमीन

नए औद्योगिक सेक्टर बसाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पौव्वारी, इमिलियाका, अटाई, मुरादपुर, लुक्सर, दादूपुर, लड़पुरा, खानपुर, सिरसा, वैदपुरा, जौन समाना, सुनपुरा, भोला रावल, धूममानिकपुर, खेड़ी, आमका, किराचपुर, कैलाशपुर, खोदना कला, भनौता व खोदना खुर्द गांव की जमीन ले रहा है।

इसके लिए शनिवार को सुबह 11 से शाम पांच बजे तक कैलाशपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर को आमका के प्राथमिक विद्यालय में, 17 सितंबर को खेड़ी के प्राथमिक विद्यालय में, 24 सितंबर को सुनपुरा के प्राथमिक विद्यालय में, 1 अक्तूबर को जौनसमाना के प्राथमिक विद्यालय में, 8 अक्तूबर को धूम मानिकपुर के प्राथमिक विद्यालय में, 15 अक्तूबर को भोला रावल के प्राथमिक विद्यालय में, 22 अक्तूबर को खोदना कलां के प्राथमिक विद्यालय में, 29 अक्तूबर को लड़पुरा के प्राथमिक विद्यालय में और 5 नवंबर को अटाई मुरादपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर सुबह 11से शाम पांच बजे संचालित किए जाएंगे।

रवींद्र त्रिपाठी

दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब

कठपुतली

★★½

निर्देशक : रंजीत एम तिवारी

कलाकार : अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह, सरगुन मेहता, चंद्रचूड़ सिंह, रेनाए तेजानी

लगातार तीन फ्लाप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार ने आखिर अपनी राह थोड़ी बदली है और उनकी नई फिल्म 'कठपुतली ओटीटी डिस्ने हाटस्टार पर रिलीज हुई है। ये फिल्म चार साल पर आई साइको सीरियल किलर पर आधारित तमिल फिल्में रतसासन का हिंदी रिमेक है और हां, इसमें संदेह नही कि एक चीज को छोड़ दें तो ये फिल्म अक्षय कुमार की हालिया फिल्मों से बेहतर है। जिस पहलू पर उंगली उठाई जा सकती है वो ये है कि इसकी कहानी को हिमाचल प्रदेश के कसौली इलाके पर आधारित रखा गया है लेकिन ज्यादातर शूटिंग लंदन में कई गई है और इसी कारण इसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है। फिर भी एक रहस्यपूर्ण थ्रिलर के रूप में ये दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है और आखिरी लम्हों मे ही जाकर इस बात पर से पर्दा उठता है कि सीरियल किलर कौन है?

अक्षय कुमार ने अर्जन सेठी नाम के एक ऐसे पुलिस अफसर का किरदार निभाया है जो बनना तो चाहता था फिल्म मेकर लेकिन बन जाता है और पुलिस कर्मी। और जैसे ही वह हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में अपना पद संभालता है कि कि वहां स्कूली लड़कियों की हत्या शुरू हो जाती है। पुलिस शुरू में इसे साधारण हत्या समझती है लेकिन अर्जन बार बार कहता है कि ये सीरियल किलिंग का मामला है।

आखिरकार अर्जन की ही बात सही साबित है लेकिन मसला इस बात पर अटकता है कि हत्यारा कौन है और किस वजह से वो ये सब कर रहा है। अक्षय ने अपनी भूमिका प्रभावशाली तरीके से निभाई है।

जहां तक रकुलप्रीत सिंह का मामला है वो इसमें वो अंग्रेजी की शिक्षका बनी हैं लेकिन उनको किसी क्लासरूम में अंग्रेजी पढ़ाते नहीं दिखाया जाता है। हां शुरूआती दृश्य में उन्होंने अक्षय कुमार की जो क्लास ली है वो मजेदार है। पर सरगुन मेहता ने थाना प्रभारी की जो भूमिका निभाई है वह काफी दमदार है। एक अरसे के बाद चंद्रचूड सिंह फिल्मी पर्दे पर आए हैं लेकिन वे कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाते।

सेंट्रल विस्टा : नए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) ने मंजूरी दे दी है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पिछले सप्ताह एसईआइएए को परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईआइएए ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी।

वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून, 1994 के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से 807 में से 487 पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। बैठक में एसईआइएए ने कहा कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60 फीसद पेड़ों को हटाया जाएगा। सीपीडब्लूडी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को गत वर्ष दिसंबर में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था। परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एसईआइएए के पास भेजे जाने से पहले उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उप–समिति का गठन किया था। सरकार ने दिसंबर, 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा था कि संबंधित एजंसियों को उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80 फीसद पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था।

पेंशन घोटाला : मप्र सरकार ने नहीं दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

इंदौर, 2 सितंबर (भाषा)।

इंदौर की विशेष अदालत ने वर्ष 2005 के कथित पेंशन घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही खत्म कर दी है क्योंकि 17 साल बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। प्रदेश कांग्रेस इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने 33 करोड़ के इस कथित घोटाले को लेकर यह शिकायत दायर की थी।

विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने राज्य सरकार द्वारा विजयवर्गीय और अन्य तत्कालीन लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए शिकायत की कार्यवाही खत्म करने का आदेश 29 अगस्त (सोमवार) को जारी किया।

आदेश में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति की प्रत्याशा में शिकायत पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और मामले को अनंतकाल तक लंबित भी नहीं रखा जा सकता।

विशेष अदालत ने हालांकि अपने आदेश में जोड़ा कि अगर शिकायतकर्ता को प्रदेश सरकार की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होती है, तो वह इस मामले में अदालती कार्यवाही बहाल कराने के लिए स्वतंत्र है।

भारत जोड़ो यात्रा : राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सात सितंबर को 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे।

महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जाएंगे जहां से यात्रा शुरू की जाएगी। पार्टी ने गांधी सहित 118 नेताओं को 'भारत यात्रियों' के रूप में वर्गीकृत किया है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की दूरी तय करेंगे। वे प्रतिदिन औसतन 20–25 किमी की दूरी तय करेंगे। 'भारत जोड़ी यात्रा' वेबसाइट पर 37,000 से अधिक ऐसे आम लोगों ने भी पंजीकरण कराया है जो पार्टी से संबंधित नहीं हैं।

कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जम्मू– कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआइटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथारिटी के सामने जाने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

> इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

एक गैर सरकारी संगठन वी द सिटीजन ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के संहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग की गई थी। साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था। जिसमें 1989–90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की गई थी।

JINDAL

जिंदल सॉ लिमिटेड
सीआईएन - L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालय: ए–1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403

नोटिस

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य आडियो वीजुवल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने कि नोटिस 2 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया हैं, जो 19 अगस्त, 2022 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@jindalsaw.com पर एक ई–मेल भेज सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग :

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहां नीचे दी गई तारीखों ("रिमोट ई–वोटिंग") पर दूरस्थ रूप से भी डाल सकते हैं। कंपनी ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया है।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण किताब 21 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एजीएम की सुचना में जानकारी और निर्देश प्रदान किया गया है जिसमें डीमैटीरियलाइज्ड मोड,फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया सदस्य द्वारा मतदान सहित दूरस्थ रूप से मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि (नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर धारण करता है/सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इसे प्राप्त/उत्पन्न कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:
रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ : शनिवार 24 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 26 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त अवधि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई–वोटिंग मॉडयूल को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम मेइलेक्ट्रानिक रूप से वोट कर सकेंगे। एक व्यक्ति, जिसे कट–ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल एजीएम में ई–वोटिंग या रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए ई–वोटिंग निर्देश को पढ़ सकते हैं या https://evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
सुनिल के जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस–3056

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

RAKAN STEELS LIMITED
CIN: L27320UP1985PLC007582
R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza) Umran, Rania,Kanpur Dehat-209311
Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002
E-Mail: support@rakansteels.co.in
Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the the 35TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone) for the financial year 2021-2022, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website and on the website of the Stock Exchange, i.e. MSE Limited at www.msei.in. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Services Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

(a) The cut off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 22nd September, 2022.
(b) The remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 09:00 a.m. IST and end on September 29, 2022 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
(c) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e. 02nd September, 2022 and holding shares on cut off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the procedure to login by sending request at www.evoting.nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.
(d) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.skylinerta.com click on email registration and upload required documents therein.
(e) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts.
(f) The Notice of AGM is available on the Company's website www.rakansteels.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com;
(g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 35th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to evoting@nsdl.co.in and/or support@rakansteels.co.in;
(h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during the AGM.

Date- 03/09/2022
Place- Kanpur

By the order of the Board
For: Rakan Steels Limited
Sd/- Madhu Bansal
Company Secretary

जे.के. कॉटन लिमिटेड

सीआईएन : U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर–208001, उ.प्र. (इण्डिया)
फोन : +91 512 2371478–81, फैक्स : +91 512 2332665
ई–मेल : abhishek.pandey@jkorg.co.in वेबसाइट : www.jkcotton.com

99वीं वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र ('परिपत्रों') द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से वार्षिक आम सभा ('AGM') आयोजित करने की अनुमति दी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को संपादित करने के लिये जे के कॉटन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 99 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM के नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगें। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने में सक्षम होंगे। AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये जायेगें और VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को AGM के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा के साथ–साथ AGM के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश AGM के नोटिस का हिस्सा बनेंगे।

जिन सदस्यों के ई–मेल पते DP या कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई–मेल पते पंजीकृत करायें:

1– फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कृपा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को abhishek.pandey@jkorg.co.in पर ईमेल में जमा कर दे।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए–कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट करे। यह ई–वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमो के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्य के रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता0/–
(अभिषेक सिंघानिया)
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः कानपुर
दिनांकः 02.09.2022

GIC Re
आपत्काले रक्षिष्यामि

भारतीय साधारण बीमा निगम
(भारत सरकार की कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020
टेली: + 91–22–2286 7000 **फ़ैक्स:** + 91–22–2288 4010,
वेबसाइट: www.gicofindia.com, **ई–मेल:** investors.gic@gicofindia.com,
सीआईएन: L67200MH1972GOI016133, **आईआरडीएआई पंजी. सं.** 112

50 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वार्षिक आम बैठक की सूचना:

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम तथा सेबी विनियम (सामूहिक रूप से सांविधिक प्रावधान के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों का लेन–देन करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम की **50 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 26 सितंबर 2022 दोपहर 3:00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो–विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी. एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी.

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट :

एजीएम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट **शुक्रवार, 2 सितंबर 2022** के ईमेल से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) रजिस्ट्रार / ट्रांसफ़र एजेंट्स (आरटीए) के पास उपलब्ध हैं. उक्त दस्तावेज़ निगम की वेबसाइट www.gicofindia.com, स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) एवं ई–वोटिंग एजेंसी मेसर्स नेशनल सेक्युरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई–वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, निगम ने मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाओं को दूरस्थ ई–मतदान सुविधा के प्रावधान के लिए निम्नवत् लागू किया है :

विवरण	एजीएम से पूर्व	एजीएम के दौरान
दूरस्थ ई–वोटिंग का आरंभ	**बुधवार, 21 सितंबर 2022 को सुबह 09:00 बजे से (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022**
दूरस्थ ई–वोटिंग का समापन	**रविवार, 25 सितंबर 2022 को शाम 05:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)**	**सोमवार, 26 सितंबर 2022 (एजीएम समाप्त होने के 15 मिनट बाद)**
कट ऑफ डेट (वोट के लिए हकदार)	**सोमवार, 19 सितंबर 2022**	
एक्सेस के लिए वेबलिंक	https://www.evoting.nsdl.com	
ई–वोटिंग इवेंट नंबर	EVEN–121687	

टिप्पणियाँ:

1. केवल वही व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तारीख अर्थात **सोमवार, 19 सितंबर 2022** तक सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई–मतदान की सुविधा प्राप्त करने के साथ–साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा.
2. सदस्यों का मतदान अधिकार **19 सितंबर 2022** तक निगम की चुकता साम्य शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा.
3. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट ऑफ़ तारीख से पहले यानि **19 सितंबर 2022** तक निगम का सदस्य बने हों, सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए फोलियो नं./डीपी–आइडी क्लाइंट आइडी का उल्लेख करते हुए निगम को investors.gic@gicofindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करें.
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग से अपने वोट डाले हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे.
5. जो सदस्य वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान वोट करने के हकदार होंगे.
6. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सांविधिक रजिस्टरों / दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, एजीएम की तारीख तक अपनी डीपी–आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो का उल्लेख करते हुए इस संबंध में निगम को ईमेल आईडी cs.gic@gicofindia.com पर मेल डाल सकते हैं.
7. जो सदस्य एजीएम के दौरान सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें **सोमवार 19 सितंबर 2022 (09:00 बजे भारतीय मानक समय) और बुधवार, 21 सितंबर 2022 (05:00 बजे भारतीय मानक समय)** के बीच gicagm.speakers@gicofindia.com पर अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा. केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने वक्ता के रूप में पूर्व–पंजीकृत किया है, ई–एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी. निगम के पास ई–एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है.
8. किसी भी प्रकार की पूछताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज़) और एनएसडीएल के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं. सदस्य निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं:
   टोल फ्री नं.: 1800–222–990 या 1800–22–44–30 या श्री अमित विशाल या सुश्री पल्लवी म्हात्रे से एनएसडीएल से ईमेल evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.
   यह सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट (www.gicofindia.com) पर भी उपलब्ध है.

कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ताक्षरित/–
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान: **मुंबई**
दिनांक: **02.09.2022**

COURT NOTICE
In The Court Of
Harpreet kaur Nafra
JMIC -4, Jalandhar
Sandeep Narang
Vs
Nazar
CNR NO: PBJL03-024311-2019
Next Date : 23-09-2022
Publication Issued To: Nazar - Prop Of Ms City Sports Near Cine House Moohnu Mukku Attingal Kerla 695101
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-09-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC-4, Jalandhar

ऋण वसूली न्यायाधिकरण– I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ. ए नं. 99/2020
भारतीय स्टेट बैंक
विरूद्ध आवेदक
मयंक रस्तोगी एवं अन्य
सेवा में प्रतिवादी

1. मयंक रस्तोगी व अन्य पुत्र श्री संजीव कुमार, जी–34/यूजी–2, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली–110095, ईस्ट दिल्ली 110095 और: विजमोर कम्युनिकेशन प्रा. लि., बी–53/2, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110021 **प्रतिवादी 1**

(2) मैसर्स एम.जी. हाउसिंग प्रा. लि., 12वीं मंजिल, हिमालय हाउस, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001 **प्रतिवादी 2**

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **39,21,104/- (रु. उनतालीस लाख इक्कीस हजार एक सौ चार मात्र)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 12-09-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट **www.etribunal.gov.in** देखें) फोन : **011-23748473**

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:–

(xxii) सभी अधिवक्ता/पात्रगण ''सिस्को वेबेक्स'' एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(xxiii) ''रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर– I/ और रिकवरी ऑफिसर– II द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए ''मीटिंग आईडी'' और ''पासवर्ड'' DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात **"drt.gov.in"**

(xxiv) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 011–23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत **11 जुलाई, 2022** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,
रजिस्ट्रार

प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है। अमित के. दार, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी– I, नई दिल्ली, फोनः 011-23748473, ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.in

---

DELHIVERY
डेल्हीवरी लिमिटेड

(पूर्व नाम डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड)
सीआईएनः L63090DL2011PLC221234

वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना ("**सूचना**") में निर्धारित व्यवसाय(यों) के लेन-देन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के समस्त प्रयोज्य प्रावधानों, उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा इस सम्बन्धि जारी अनुगामी परिपत्रों, नवीनतम 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं इस सम्बन्ध जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "**परिपत्र**" सम्बन्धित) के अनुपालन में डेल्हीवेरी लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 11वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए की जायेगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 ("**वार्षिक रिपोर्ट**") उचित समय पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स ("**डीपी**") के साथ पंजीकृत हैं। यह कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर, कम्पनी के डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **https://www.evoting.nsdl.com/**तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("**लिंक इनटाइम**") की वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना की प्रतियां इसके लिए निवेदन करने वाले सदस्यों के पास भेज दी जायेंगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका :

सदस्य सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। अभौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूरस्थ वोटिंग ("**रिमोट ई-वोटिंग**") सहित वोटिंग का तरीका सूचना में दिया गया है। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने की रीति :

क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य : लिंक इनटाइम के साथ ई-मेल पता पंजीकृत करके। उनकी वेबसाइट **www.linkintime.co.in** पर लिंक **Investor Services** टैब को क्लिक करके **E-mail Registration** शीर्षक चुनें और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जायेगा। किसी भी जिज्ञासा के मामले में, सदस्य लिंक इनटाइम को **rmt.helpdesk@linkintime.co.in** पर ई-मेल भेज सकते हैं।

ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डीपी के साथ डीमैट धारिता के संबंध में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करके।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस और विषेश रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते डेल्हीवेरी लिमिटेड
ह./–
सुनील कुमार बंसल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 01 सितम्बर, 2022
स्थान : गुरुग्राम

पंजीकृत कार्यालयः एन24-एन34, एस24, एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर-II, सामने गेट 6 कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा–122002
वेबसाइटः www.delhivery.com; **ई–मेलः** corporateaffairs@delhivery.com; **दूरभाषः** +91 124 6225602

जनसत्ता

सामरिक उपलब्धि

स्वदेशी तकनीक से बने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत के जलावतरण से भारत की सामरिक ताकत और आत्मविश्वास निस्संदेह काफी बढ़ गया है। करीब सोलह सौ सदस्यों वाले चालक दल के लिए तैयार किया गया यह युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलती-फिरती वायु और जलसेना छावनी की तरह काम करेगा। इस पर एक समय में करीब तीस हल्के लड़ाकू विमान और हेलिकाप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इस तरह यह देश का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस के पास इससे कुछ अधिक क्षमता वाले पोत हैं, पर विक्रांत के जलावतरण के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की कतार में खड़ा हो गया है। भारत के पास एक और विमानवाहक पोत सक्रिय है- विक्रमादित्य। यानी अब भारत के पास दो ऐसे युद्धपोत हो गए हैं। चीन के पास भी इतने ही पोत हैं। विक्रांत के संचालन से इसके जरिए मिग आदि लड़ाकू विमानों को समुद्र में उतारने और उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रांत खुद एक युद्धक जलपोत है। इस तरह हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। स्वाभाविक ही विक्रांत के संचालन से खासकर पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अभी तक हिंद महासागर में चीन का दबदबा बना हुआ था और अपनी सामरिक ताकत के बल पर वह भारत को धौंस देता रहता है। इससे उसका मनोबल कुछ कमजोर होगा।

विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें देश की करीब पांच सौ छोटी-बड़ी कंपनियों ने सहयोग दिया। इसके पहले वाला विक्रांत युद्धपोत ब्रिटेन से मंगाया गया था। विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। इस तरह विक्रांत की सफलता के बाद भारत का स्वदेशी सैन्य साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प विक्रांत के जलावतरण से साकार होता दिख रहा है। भारत उन देशों में है, जो अपने सैन्य साजो-सामान पर काफी धन खर्च करता है। इसलिए कई देश उससे सैन्य उपकरणों की खरीद आदि के लिए लालायित रहते हैं और इसके मद्देनजर अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और रणनीतियों में बदलाव भी करते रहते हैं। कई बार इसी आधार पर वे भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। दरअसल, कई देशों की अर्थव्यवस्था सैन्य साजो-सामान के कारोबार पर निर्भर है। वे बिचौलियों को मोटा कमीशन, घूस आदि देकर लड़ाकू विमान, हेलिकाप्टर, पनडुब्बी, हथियार आदि खरीदने का सौदा कराते रहते हैं। अगर भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाता है, तो न सिर्फ इन अड़चनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह खुद एक सैन्य साजो-सामान के बाजार में खड़ा हो सकता है। इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसलिए भी हथियार बनाने वाले देशों को विक्रांत का जलावतरण खटक रहा होगा।

सबसे बड़ी बात कि विक्रांत की हिंद महासागर में मौजूदगी से चीन का एकाधिकार समाप्त होगा और वह भारत को जब-तब आंखें दिखाने से बचेगा। अभी भारत को हिंद महासागर में सबसे अधिक चुनौती चीन की तरफ से ही मिलती रही है। पाकिस्तान भी उसी की शह पर भारत को उकसाने का प्रयास किया करता था। अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस युद्धपोत में पानी के भीतर से आसमान में मार करने वाले अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। दुश्मन पनडुब्बियों की टोह लेने में भी आसानी हो गई है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति का वातावरण बनेगा।

टकराव का हासिल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच औपचारिक बैठकों तक में स्थिति जैसी होती जा रही है, उससे सवाल यह पैदा हो रहा है कि इससे राजधानी और यहां के लोगों का क्या भला हो रहा है! शुक्रवार को दोनों के बीच होने वाली साप्ताहिक बैठक टलने की वजह यह बताई गई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिनों के दौरे पर हैं, इसलिए उपराज्यपाल के साथ होने वाली बैठक में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार हर सप्ताह होने वाली बैठक में शामिल नहीं होना यह बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर हो रहे टकराव की वजह से पैदा होने वाला तनाव अब किस रूप में दिखने लगा है। सवाल है कि अगर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक का मकसद राजधानी दिल्ली में सरकार चलाना और शासन का सहज रूप से कामकाज सुनिश्चित किया जाना है तो इसमें निजी आग्रहों की जगह क्यों होनी चाहिए। वहीं, अगर बैठकें नहीं हो पाने की वजह कोई आग्रह, तनाव या टकराव नहीं है तो क्या इसे शासन चलाने के लिए जरूरी कामों की प्राथमिकता सूची में कम महत्त्व का माना जा रहा है?

दरअसल, पिछले काफी समय से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जिस स्तर की खींचतान चल रही है, उसमें यह साफ दिख सकता है कि इसकी वजह केवल तकनीकी बाध्यताएं नहीं होंगी। दिल्ली में 'आप' की सरकार की ओर से कई पार्टी के नेता यहां के विकास को बाधित करने के आरोपों के साथ उपराज्यपाल को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से कुछ तकनीकी आधार के चलते सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों पर सवाल उठाया जा रहा है। मसलन, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई सैंतालीस फाइलों को इसलिए वापस भेज दिया कि उन पर संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बीच, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े विवाद ने कई स्तर पर जो संदेह खड़े किए हैं, वह अब एक सार्वजनिक बहस का विषय हो चुका है। फिर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से यहां के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में भी रिपोर्ट तलब की। जाहिर है, इन मसलों पर दिल्ली में 'आप' एक तरह से घिरी हुई है।

यह बेवजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी उपराज्यपाल पर चौदह सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि जब वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे, उस दौरान यह घोटाला हुआ था। जाहिर है, दोनों पक्षों के बीच टकराव ने जो शक्ल अख्तियार कर लिया है, उसमें मामला अब केवल आपसी तनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर अब राज्य के सामान्य कामकाज पर भी पड़ने लगा है। पिछले कई हफ्तों से जिस तरह उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बैठकें रद्द होने का जो क्रम चल रहा है, उसका हासिल आखिर क्या होने वाला है? दिल्ली को देश के सभी राज्यों से अलग और विशेष चेहरा देने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यहां के विकास और लोगों के हित प्राथमिक हैं या आपसी खींचतान के बीच पलता कोई अहं? वहीं, अगर उपराज्यपाल के सामने भी अगर कोई बड़ी बाधा नहीं है तो उन्हें भी टकराव या तनाव के बजाय जनहित में दोनों पक्षों के बीच सौहार्द के हालात बनाते हुए अपनी गरिमा को कायम रखने की जरूरत है, ताकि दिल्ली और यहां के लोगों के लिए एक बेहतर शासन और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

कल्पमेधा

रहस्य सत्य का मित्र नहीं है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान देकर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है।

- वोल्तेयर

बढ़ते हाथ, घटते काम

सरोज कुमार

इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

बाजार जब रोजगार पैदा करना बंद कर दे तो समझिए अर्थव्यवस्था नीतिगत बीमारी की शिकार हो गई है, जिसका इलाज मुश्किल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। चिंता की बात यह है कि कुशल हाथ बेकार हैं, फिर भी श्रम बाजार सिकुड़ रहा है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बेशक दुनिया के देश कमोबेश कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की कठिनाई अलग तरह की है। विशाल उपभोक्ता बाजार और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद यहां मांग और आपूर्ति का संकट है। बेरोजगारी की लंबी खिंचती परिस्थिति के बीच मांग में अतिरिक्त गिरावट की आशंका है। मांग खर्च पर निर्भर होती है और खर्च कमाई पर। कमाई की क्या स्थिति है, आंकड़े नहीं, जेब टटोल कर देख लीजिए।

मांग की एक नई खिड़की निर्यात में वृद्धि के साथ खुली थी, और उसके साथ ही रोजगार बाजार के पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी थी। मगर भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में मंदी की आहट के साथ यह खिड़की भी बंद होती दिख रही है। निर्यात घटेगा तो जाहिर है विनिर्माण का इंजन सुस्त पड़ जाएगा। रोजगार की पैदावार रुक जाएगी। भारतीय निर्यात में उछाल से उत्साहित कारपोरेट जगत ने 2021-22 में 791 परियोजनाओं के लिए 1,94,548 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जो 2020-21 की 576 परियोजनाओं के लिए 1,16,603 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा से काफी अधिक है। अगर यह सारा निवेश बाजार में उतरता तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनते। मगर जब मांग की ही संभावना धूमिल हो चली है, तो ऐसी स्थिति में भला कौन निवेशक अपनी पूंजी गड्ढे में फेंकना चाहेगा?

महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया के बाजार खुले तो मांग में भी तेजी आई। भारत ने 2022 में अब तक के रिकार्ड 421.89 अरब डालर का निर्यात किया। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने परिस्थिति को पलट दिया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट के कारण मांग घटने लगी है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ा है। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात गिर कर 35.24 अरब डालर हो गया, जो जून में 35.51 डालर था।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने अपने एक अध्ययन रपट में कहा है कि निर्यात में वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2022 में जो तेजी आई थी, निर्यात में गिरावट के कारण वह 2023 में नहीं रहने वाली है। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता और चीन में कोविड नियंत्रण के कड़े उपायों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारत का वार्षिक औसत निर्यात 297.02 अरब डालर रहा था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़ कर 330.08 अरब डालर हो गया। और 2021-22 में यह रिकार्ड 421.89 अरब डालर पर पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई। यानी विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन किया, और इसके कारण 2022 में नौकरियों की उम्मीद भी वापस लौटी। लेकिन मंदी के आसन्न संकट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के दो सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून 2022 में घट कर उनतालीस फीसद रह गई, जो अप्रैल 2022 में इकसठ फीसद और मई 2022 में चालीस फीसद थी। इसी तरह अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून में घट कर उनतीस फीसद रह गई, जो मई में बत्तीस और अप्रैल में इकतीस फीसद थी। वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत ने यूरोप को 19.3 अरब डालर, और अमेरिका को 21.7 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात किया। भारतीय सामान के चौथे सबसे बड़े ग्राहक चीन के लिए निर्यात जून तिमाई में इकतीस फीसद घट कर 4.7 अरब डालर रह गया। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका और यूरोप की सम्मिलित हिस्सेदारी 2022 में तैंतीस फीसद थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी पांच फीसद। यानी भारतीय निर्यात का अड़तीस फीसद हिस्सा संकट में है। निर्यात के इतने बड़े हिस्से के संकटग्रस्त होने से घरेलू उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, और इसका रोजगार पर क्या असर होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस साल गेहूं का उत्पादन दस से तीस फीसद घट गया। अब असमान बारिश के कारण धान का उत्पादन भी आठ फीसद कम होने का अनुमान है। यानी जिस कृषि क्षेत्र ने महामारी के दौरान रोजगार बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा दिया था, वहां से भी घरेलू मांग में किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजगार बाजार इस समय एक विचित्र स्थिति में पहुंच चुका है। यह बूढ़ी और कम पढ़ी-लिखी श्रमशक्ति की एक बस्ती बन चुका है। यहां कामकाजी उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए काम नहीं है। कामकाजी उम्र (15-24 वर्ष) का हो जाने के बाद भी युवा आबादी विद्यार्थी जीवन जीने को मजबूर हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां कामकाजी उम्र के लगभग पंद्रह फीसद लोग विद्यार्थी थे, वहीं 2019-20 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर अठारह फीसद हो गई। 2020-21 में इक्कीस फीसद और 2021-22 में तेईस फीसद हो गई। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच देश में कामकाजी आबादी 12.10 करोड़ बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में श्रमशक्ति एक करोड़ घट गई।

वित्त वर्ष 2016-17 में देश में रोजगार में लगी कुल श्रमशक्ति का एक-चौथाई हिस्सा तीस साल तक की उम्र के लोगों का था। जो 2019-20 में घट कर इक्कीस फीसद और 2021-22 में अठारह फीसद रह गया। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। किसी देश की कामकाजी युवा आबादी वहां की बड़ी पूंजी मानी जाती है। जब देश अपनी उपलब्ध पूंजी का ही उपयोग न कर पाए तो वह किस घाट लगेगा, कह पाना कठिन है।

भारतीय श्रम बाजार में पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी जगह नहीं रह गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां स्नातक और परास्नातक श्रमिकों की हिस्सेदारी 13.4 फीसद थी, वहीं 2021-22 में यह घटकर 12.2 फीसद रह गई। भारतीय श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा छठी से बारहवीं पास लोगों का है। वित्त वर्ष 2016-17 में दसवीं, बारहवीं पास श्रमिकों का हिस्सा अठाईस फीसद था, जो 2021-22 में बढ़ कर अड़तीस फीसद हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 में श्रमशक्ति में ऐसे श्रमिकों की हिस्सेदारी अठारह फीसद थी, जो 2021-22 में बढ़ कर उनतीस फीसद हो गई।

बाजार में मांग नहीं, श्रम बाजार में रोजगार नहीं, और निजी निवेशक तैयार नहीं। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो भविष्य बेरोजगारी और बदहाली का ही है।

जड़ता की अंधी गलियां

भावना मासीवाल

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया भी गया। इस महोत्सव के मूल में ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी है। हम बाहरी ताकतों से देश के आजाद होने का उत्सव हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन यह वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तरफ जब पूरा देश आजादी के इस महापर्व के उल्लास और उमंग में था तो दूसरी तरफ राजस्थान के एक स्कूल में हुई घटना हमें देश के भीतर की अराजक व संकीर्ण मानसिकता से भरी ताकतों से घिरे होने का अहसास कराती हैं। बाहरी ताकतों से तो हमें आजादी मिल गई और हम देशवासी फिर से बाहरी ताकतों से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, अलग-अलग अपेक्षाएं और उनकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो ताकतें देश के भीतर विराजमान हैं, उनसे लड़ना और उनकी सीमाओं का निर्धारण करना सरल नहीं है।

दरअसल, हम आजाद देश के नागरिक जरूर हैं, मगर भीतर से परंपरा के नाम पर कई विकृत रूढ़ियों से बंधे हैं। ये रूढ़ियां हमारे विचार व व्यवहार में इतनी अधिक संकीर्ण है कि समाज को भीतर से खोखला और अपंग बना रही हैं। यह अपंगता व्यक्ति के विचार और व्यवहार में देखी जा सकती है। हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कहीं राजस्थान में मासूम बच्चे द्वारा पानी पीने के मटके को छू देने भर के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोने की खबर आती है तो कहीं स्त्री होने के कारण यौन शोषण के त्रासद अपराध के दौर से गुजरना पड़ता है और जीवन भर अपने ही खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत-सी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें खुद से ही सवाल करने पर मजबूर करती है। लेकिन सच यह है कि हम उन सवालों के जवाब न पाकर व्यवस्था के प्रति आक्रोश जाहिर करने लगते हैं। यह आक्रोश कभी न्याय का मजबूत पक्ष बनता है तो कभी अन्याय का।

यह हमारे समय की विडंबना ही कही जाएगी कि एक तरफ हम देश को वैश्विक फलक पर मजबूत प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, हम एक राष्ट्र, प्रेम और सौहार्द का गीत गाते हैं, मगर वहीं हमारे ही बीच के कुछ लोग उस राष्ट्रभाव और एकता के बंधन को अपनी संकीर्ण, जड़ और हिंसक प्रवृति के कारण खंडित करते देखे जाते हैं। फिर वह जाति और जेंडर की संकीर्ण मानसिकता ही क्यों न हो। जबकि इस कसौटी पर नाकाम समाज और देश अपने न्यायपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। यों भी किसी देश की उन्नति उसके नागरिकों के आपसी सहयोग व सौहार्द से होती है। जब आम नागरिक ही सामाजिक रूढ़ियों, जातिगत भेदभाव की बंदिशों से घिरा होगा तो हम किस राष्ट्र का विकास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था कि 'कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक उसके लोगों की सोच या उनका काम संकीर्ण रहेगा'। यह एक देश और समाज के बनने के लिए एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए।

शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, उसमें आत्मसम्मान, प्रेम, आजादी, सौहार्द, भाईचारे, समानता का भाव जगाती है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आपसी सौहार्द से अधिक जातिगत तो कभी सामाजिक लिंग यानी जेंडर के मसले पर तो कभी क्षेत्रगत वैमनस्य का भाव देखने को मिलता है। यह भाव कभी श्रेष्ठता के झूठे बोध की ग्रंथि से तो कभी हीनता बोध की ग्रंथि से ग्रसित मिलता है। दोनों ही स्थितियों में यह समाज को खोखला और नई पीढ़ी को वैमनस्य के भाव से भर रहा है। यह वैमनस्य का भाव किताबी शिक्षा से अधिक व्यावहारिक शिक्षा और ज्ञान से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसे अपने हाल में या यथास्थिति में छोड़ देने के नतीजा यह होगा कि राजस्थान जैसी कितनी ही घटनाएं घटित होती रहेंगी और एक व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता पूरे समाज और राष्ट्र को कठघरे में खड़ा करती रहेगी।

हम इस सच से भी वाकिफ हैं कि हमारे समाज की इस जड़ मानसिकता को खाद पानी देने का काम राजनीति ने ही किया है। दरअसल, राजनीति इसी व्यवस्था को हथियार बनाकर अपना वोट बैंक तैयार करती है। यही वोट बैंक फिर समाज में राजनीति के समीकरण तैयार करता है और जड़ संकीर्ण मानसिकता को पैदा करता है। एक ओर समाज में जाति व्यवस्था के टूटने की बात की जाती है तो दूसरी ओर जाति के भीतर उप-जातियां अधिक मजबूत बनकर उभर रही हैं। यह हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ही हिस्सा है कि हम समाज और जातिगत व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर समाज बदलता है तो वर्चस्वशाली जातियों की जातिगत राजनीति भी टूटने लगेगी और जड़ मानसिकताएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन यह एक आम आदमी का दिवास्वप्न ही है, क्योंकि आज भी राजनीति में वर्चस्वशाली समूह अपनी सुविधा के मुताबिक मुद्दे उभरने देते हैं और उसके हल की खोज करते हैं।

कथनी-करनी

'अण्णा का आईना' (संपादकीय, 1 सितंबर) पढ़ा। इस विषय में यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के गुरु अण्णा हजारे हैं। एक समय प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए जब अण्णा हजारे ने अपना आंदोलन किया था, तब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन का संचालन भी किया था। तब आंदोलन के समय ही केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने की भी घोषणा की थी। बाद में इसी पार्टी ने दिल्ली राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ कर जीता और फिर सरकार भी बनाई थी। वहीं केजरीवाल जब सच्चाई एवं ईमानदारी की कसमें खाने के बाद भी आज जब नैतिकता भूल बैठे हैं तो अण्णा हजारे उनसे नाराज हैं।

कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ थे, तब अण्णा हजारे उनकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए थे, पर आज के समय में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से अण्णा हजारे काफी नाराज है। यही कारण है उन्होंने एक चिट्ठी भी केजरीवाल को लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार की आबकारी नीति की आलोचना की और कहा कि आपकी पार्टी आजकल गलत नीति पर चल रही है... सरकार का शराब को बढ़ावा देना और रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना, दोनों ही एक तरह से गलत काम है। इनसे आम आदमी पंगु एवं खोखला हो रहा है।

हम तो यही कहेंगे कि जब आज के समय अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं तो उन्हें अपनी ख्याति और साख का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अण्णा हजारे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं, की बात को ध्यान रखकर अपनी छवि पर लगते दाग को धोने का अवश्य प्रयास करना चाहिए।

- मनमोहन राजावत राज, शाजापुर, मप्र

किसका विकास

एक्र सर्वे के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है। इस खबर को पढ़ने के बाद हर संवेदनशील भारतीय का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है, पर विचार और विमर्श का विषय है कि अन्य तीन हिस्से कौन हैं। क्या देश के अन्य आत्महत्या करने वालों के विषय में चिंता और चिंतन नहीं होना चाहिए? आखिर कोई भी इंसान आत्महत्या क्यों करे?

एक अन्य खबर पुर्तगाल से आई जहां इलाज में देरी के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के बाद विभाग के मंत्री ने पदत्याग कर दिया। कहने का आशय यह कि असल वजह है जिम्मेदारी से भागना। अगर हमारे देश में भी जवाबदेही तय हो और नैतिक आधार को सर्वोपरि मानकर फैसले लिए जाएं तो शायद देश के किसी नागरिक को आत्महत्या करने की आवश्यकता ही न पड़े। हर जान कीमती है, रमेश हो या रियाज, आशा हो या अफसा, हर वर्ग जरूरी है दिहाड़ी मजदूर हो या किसान। व्यवस्था की भेंट कोई भी चढ़ता है तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है।

- मनोज, मेरठ, उप्र

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

वक्त का तकाजा

आज के समय हर क्षेत्र में तेजी से खपत बढ़ रही है। मोबाइल ऐप ने इस काम को और भी आसान बना दिया है। चाहे खाने-पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, आजकल सब कुछ घर बैठे ही उपलब्ध कराया जा सकता है। दवाइयों को घर तक उपलब्ध कराने के लिए भी ऐसे कई ऐप हैं जो वृद्ध एवं असहाय लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुए हैं। आज से दस साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ई-कामर्स इतनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा। लेकिन इस क्रांति का एक चिंताजनक पहलू जरूरत से ज्यादा बढ़ती खपत भी है।

लोगों की बढ़ती आय और ई-कामर्स की आसान दुनिया ने लोगों को खपत के मामले में लापरवाह बना दिया है और उन्हें अपने द्वारा मंगाई गई वस्तु भी जल्द से जल्द चाहिए। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें उनका सामान दो-तीन घंटे से लेकर दिन के अंत तक मिल जाए। ऐसे में ई-कामर्स कंपनिया अपने वितरण प्रबंधकों पर जल्द से जल्द वितरण करने का दबाव बनाती हैं। हाल ही में जोमैटो द्वारा दस मिनट में डिलीवरी करने की घोषणा इस बात का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में वितरण कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना अपनी परवाह किए अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में वे किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। अन्य कई तरह के नुकसान भी हो सकतेहैं।

इसलिए हमें अपनी जरूरत से ज्यादा हो रही खपत पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वितरण कर्मचारी 'गिग वर्कर्स' की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई बीमा या अन्य सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में भारत सरकार को जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेना होगा। आज यह एक विकल्प ही नहीं बल्कि समय की मांग है।

- विवेक चौबे, हावड़ा

सियासी आंकड़े

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अठारह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में समाहित करने संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने सरकार के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश की अठारह ऐसी जातियां हैं, जिन पर हमेशा राजनीतिक दलों की निगाह टिकी होती हैं। इन जातियों को 2005 में मुलायम सिंह यादव ने, 2016 में अखिलेश यादव और 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने संबंधित अधिसूचना जारी की थी।

दरअसल यह एक राजनीतिक कलाबाजी अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की इन अठारह जातियों में निषाद केवट मल्लाह, राजभर, भर बाथम, नोनिया जातियों की आबादी कुल मिलाकर बारह फीसद है, जिनको सभी राजनीतिक अपने पाले में करना चाहते हैं। इस प्रकरण में सिर्फ बसपा का स्पष्ट मत रहा है कि अगर बिना आरक्षण बढ़ाए बारह आबादी को ओबीसी से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। यह अनुसूचित जाति वर्ग के हितों पर कुठाराघात होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरक्षण के बावजूद सार्वजनिक महकमों से लेकर लगभग हर स्तर पर अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी आज भी न्यायसंगत स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में किसी तरह मिल सके उनके अधिकारों में ही कटौती की जाने लगेगी या उनका हिस्सा कम किया जाने लगेगा तो इसे कैसे देखा जाएगा?

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से रुखसत होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दो प्रतिद्वंद्वी चेहरे आमने-सामने आए। कांग्रेस नेतृत्व पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आजाद के घर उनसे मिलने के लिए अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि नेताओं के इस कदम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित और निराश किया है। कुमारी शैलजा ने सवाल किया कि जब एक शख्स ने पार्टी छोड़ दी है तो उनसे मिलने जाने का क्या औचित्य है।

बेबाक बोल

कांग्रेस में पिछले दो दशक में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। भारतीय राजनीति में जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो संगठनात्मक स्तर पर लोकतांत्रिक कवायद से बेपरवाह हो जाता है। आलाकमान का वचन ही शासन होता है। कभी शीर्ष के बल पर शीर्ष में रखे गए नेता जितनी तेजी से कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं उतनी तेजी से तो पार्टी में सुधार संभव नहीं दिखता। इन नेताओं ने 2014 से पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस की मांग नहीं की थी क्योंकि इन्हें सत्ता में अहम भागीदारी मिली थी तो संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी शायद विपक्षी दलों का काम समझ लिया गया था। आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। कल तक दरबारी का बिल्ला लगा रखे नेताओं के बागी बोल पर बेबाक बोल।

भाग दरबारी

मुकेश भारद्वाज

गुल भी मानिंद-ए-खार हैं अब तो
नंग-ए-फस्ल-ए-बहार हैं अब तो
- नामी नादरी

कांग्रेस के लिए यह समय राजनीतिक विपन्नता का है। राजनीतिक शक्ति के संसाधन में वह अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि यह समय पार्टी के उन लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होगा जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है। अभी कांग्रेस महज दो जगहों पर सत्ता में है। पार्टी को अपने नेताओं के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय संघर्ष के लिए उत्साहित करने के। लेकिन, संघर्ष शब्द आदर्श रूप से जितना आकर्षक लगता है, व्यावहारिक रूप से उतना ही मुश्किल।

केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद जितनी जल्दी जी-23 का जन्म हुआ वह उतना भी आश्चर्यजनक नहीं था। लंबे समय से जनता से दूर नेताओं के लिए सबसे आसान काम था, चिट्ठी लिख कर पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जताना। दूसरी ओर, सबसे मुश्किल काम था, जनता के बीच जाकर उनकी नाराजगी दूर करना। चिट्ठी लिखी गई, मीडिया को दी गई और बहुचर्चित हुई। कांग्रेस को उपदेशों की झड़ी के साथ पार्टी छोड़ने वालों की लड़ी लग गई। जो कल तक खुद 'राग दरबारी' सप्तम सुर में गा रहे थे, आज वे कह रहे हैं कि कांग्रेस सुरक्षाकर्मियों (इशारा शायद केबी बायजू की ओर था जो राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा के पूर्व सदस्य हैं) और चपरासियों के हवाले है। जरा सोचिए, दरबार की सुरक्षित कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के लिए सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए कितनी घृणा है। आज गुलाम नबी आजाद उस खेमे के मुरीद हो रहे हैं जिसने राजनीति में इसी कथित सामंती संभ्रांत मानसिकता को तोड़ा है। आजाद की सामंती सुर की भाषा ही उनकी अचकन पर लगा उनकी पहचान बताने वाला बिल्ला उचक-उचक कर दिखा रही है।

इसके पहले अपनी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होते ही कपिल सिब्बल के अंदर भी बगावत की क्रांति आई और वे कांग्रेस को छोड़ कर समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन गए। अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती का मैदान है। वहां चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को बहुत मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष में है और वहां आम आदमी पार्टी का उभार तेजी से हो रहा है तो कांग्रेस को मुकाबले में रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करने से अच्छा है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो। आनंद शर्मा ने हिमाचल में चुनौतियों का हिमालय देख आरोप और उपदेश का आसान रास्ता चुना।

चुनावों में लगातार मिल रही पार्टी की हार के बाद मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से नाराज हैं। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिख कर अपनी नाराजगी दिखाई। अब इनकी नाराजगी दूर करने का मौका आ गया है। कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे में आम चुनाव का एलान कर दिया है। पार्टी का संदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वह राहुल गांधी हों या कोई और। अब, वे सभी नेता जिन्हें लगता है कि राहुल इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं उन्हें अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी भी जा चुकी है। सीताराम केसरी को शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनौती दी थी। सोनिया गांधी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी।

डूबती हुई नाव से सबसे पहले वही भागते हैं जिनमें जहाज खेने का जज्बा न बचा हो। अभी दरबारी पुराण छेड़ कर सवाल उठाने वाले लोग वहीं हैं जो नब्बे के दशक में मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस में उभरे। इन नेताओं का संबंध कभी भी जमीनी राजनीति से नहीं रहा है। इन सबने कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर अपनी सुविधाजनक राजनीति की आलीशान इमारत बनाई। राहुल गांधी की अयोग्यता की दलील देने वाले सभी हुनरमंद नेता हैं जो कांग्रेस के आधार पर ही स्थापित हुए।

अब जब बना-बनाया आधार खिसक गया है तो इनके पास क्षमता नहीं है कि अपना आधार बनाने के लिए संघर्ष करें। कांग्रेस में लंबे समय से तो कोई आधार बनाने के लिए गया ही नहीं। आधार बनाने का सारा काम ऊपर से ही हुआ। ये सभी ऊपर से ही डाले गए नेतृत्व थे। नेतृत्व ने ही इन्हें उठा कर मंत्रिमंडल में लिया। ये हमेशा शीर्ष पर शीर्ष की बदौलत ही रहे। आज जब इनके पांवों ने जमीन मांगी तो हवा में लटकने का सारा दोष भी शीर्ष पर ही डाल रहे।

राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस की कमान उन्हें तब मिली जब यह चौतरफा संकटों से घिर चुकी थी। अब उनके पास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में चले जाने की सुविधा है नहीं। विरासती नेता का आरोप उन्हें झेलना है तो इस विरासत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं की मानी जा रही है। दूर से तो राहुल गांधी की कोशिश ऐसी टीम खड़ी करने की दिख रही है जो जमीन से जुड़ी हुई संघर्षशील हो। राहुल संगठन का ढांचा भी दुरुस्त करने की कवायद में दिख रहे हैं। इन सब में सिर्फ आसमानी दलील वाले बेजमीनी नेता कहीं से भी योग्य नहीं ठहरते हैं। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। हर चुनावी हार के बाद नेताओं की पार्टी छोड़ने की सुविधाजनक दलील शुरू हो जाती है।

चाहे वे अशोक गहलोत हों या दिग्विजय सिंह, इन नेताओं में इस तरह का संकट नहीं दिखता है। सत्ता से दूर रहने की हताशा तो स्वाभाविक है लेकिन इनके पास अपनी बनाई जमीन है तो वापसी की उम्मीद भी रहती है। संकट में वे ज्यादा दिखे जो कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर स्थापित किए गए। जो कभी सत्ता के गलियारे में आसमान से टपके और अब सत्ता के लिए कहां जाएं की सोच पर अटके हैं।

भाजपा लगातार दूसरी पारी खेल रही है और आगे भी उसका भविष्य उज्ज्वल ही दिख रहा है। चुनाव सुधार के नाम पर चुनावी चंदे का भी सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये लोग वैसे शाही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की गरीबी के दिन नहीं देखे थे। ऐसी स्थिति में चाहे कपिल सिब्बल हों या गुलाम नबी आजाद, अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं।

पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठा रहे नेता आगे नजीर तभी बनेंगे जब वे सांगठनिक चुनाव का हिस्सा बन कांग्रेस में सुधार को लेकर अपनी गंभीरता दिखाएं। अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और सिर्फ प्रक्रियागत दोष निकाला तो यही माना जाएगा कि आप कांग्रेस के बने रहने के खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि उसका खेल ही खराब कर देना चाहते हैं। जैसे कि सारे विपक्षी दल चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। वहीं, दिल्ली व पंजाब में उनकी जीत हो जाती है तो फिर उन्हें विपक्ष में कोई खामी नजर नहीं आती है। यानी हार के पहले ही आरोपों का प्रहार करने का रास्ता आप बना लेना चाहते हैं।

कांग्रेस के बागी नेता संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि आप में और विपक्ष में इतना ही फर्क है कि वे पार्टी के बाहर हैं और आप अंदर। अगर आपने चुनावों में हिस्सा लिया और 23 वोट ही हासिल कर लिए तो भी आप अपनी चिंताओं को वैधानिकता दे पाएंगे। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप कोई नया रास्ता नहीं बनाना चाहते, सिर्फ पिछले दरवाजे से कुर्सी, बंगला ही सुरक्षित रखना चाहते हैं।

राजपाट

गहराया संकट

झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता शुक्रवार को तब और बढ़ गई जब राज्यपाल रमेश बैस रांची से दिल्ली चले गए। राजभवन के सूत्रों ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया पर माना यही जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से मंत्रणा करने के मकसद से गए हैं। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला जल्द करने का आग्रह किया था। बैस ने एक तो यह बात मान ली थी कि चुनाव आयोग की सिफारिश उन्हें मिल चुकी है। दूसरे उन्होंने फैसला दो-तीन दिन में करने का भरोसा भी दे दिया था। यह बात अलग है कि राज्यपाल पर फैसला करने के लिए कानूनन समय-सीमा की कोई बाध्यता नही है। चुनाव आयोग ने माना है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए निजी लाभ के लिए फैसला किया था। इस नाते उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना तो तय ही माना जा रहा है। दुविधा बस इसे लेकर है कि उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है या नहीं? बताते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से ऐसी कोई सिफारिश नही की है। बहरहाल पहले चर्चा थी कि हेमंत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने दो मोर्चों पर रणनीति बनाई है। एक तो यूपीए के विधायकों को दल-बदल से बचाने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है। दूसरे पांच सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बहुमत दिखाने की उनकी योजना है। वैसे इस तरह का संकट मनमोहन सरकार के दौर में एनएसी का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर भी आया था। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा था दूसरी तरफ मनमोहन सरकार ने कानून बदलकर एनएसी अध्यक्ष के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था। झारखंड के 81 सदस्यीय सदन में फिलहाल झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद का एक यानी यूपीए के कुल 49 सदस्य हैं। भाजपा की अपनी सदस्य संख्या 26 और सहयोगी आजसू के दो सदस्य हैं। यूपीए को डर है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की दशा में भाजपा उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त कर खुद सरकार बना सकती है। यह बात अलग है कि अभी तक महाराष्ट्र की तर्ज पर उसे झारखंड में कोई एकनाथ शिंदे नहीं मिल पाया है। हालांकि कांग्रेस में सेंध आसान दिख रही थी पर पार्टी अपने विधायकों को बुरी नजर से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी तरह झामुमो में भी टूट का खतरा फिलहाल तो टल गया ही दिखता है। लेकिन हकीकत तो राज्यपाल के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगी कि सियासी घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा।

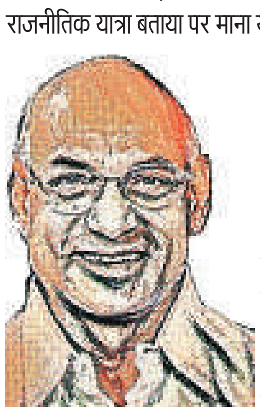

गले में फांस

केसीआर को पटना में पत्रकारों ने उलझा दिया। विपक्षी मोर्चे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस समय केंद्र की सरकार और भाजपा के सबसे प्रबल विरोधी हैं। वे 2024 की तैयारी को अभी से अंजाम देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के बाद वही एक चेहरा हैं जो भाजपा को कड़ी चुनौती देने की बात कहते हैं। लेकिन तेलंगाना में भाजपा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। इसलिए केसीआर के सामने अपना अस्तित्व बचाने का भी संकट है। तभी तो पटना में एलान किया कि वे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन पत्रकारों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। सवाल दाग दिया कि क्या वे प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। केसीआर ने फरमाया कि इसका फैसला करने वाले वे कौन होते हैं। यह फैसला सब दल मिलकर करेंगे। दुविधा तो यही है कि विपक्षी एका हो पाए इससे पहले ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सवाल गैर भाजपा विपक्ष के गले की फांस बन जाता है। कांग्रेस को अछूत मान भी लें तो भी बाकी सारे गैर भाजपाई विरोधी दल एकजुट हो कहां पा रहे हैं।

बात जिम्मेदारी की...

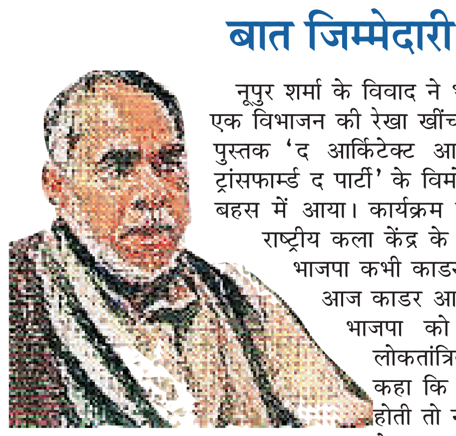

नूपुर शर्मा के विवाद ने भाजपा से जुड़े बुद्धिजीवियों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी है। हाल ही में अजय सिंह की पुस्तक 'द आर्किटेक्ट आफ न्यू बीजेपी : हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफार्म्ड द पार्टी' के विमोचन समारोह में यह मुद्दा फिर बीच बहस में आया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने कहा कि भाजपा कभी काडर आधारित पार्टी नहीं थी, यह न तो आज काडर आधारित है और न आगे होगी। उन्होंने भाजपा को जनमानस पर आधारित और लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में रखा। राय ने कहा कि अगर भाजपा काडर आधारित पार्टी होती तो नूपुर शर्मा का इस्तीफा नहीं होता या वे प्रवक्ता ही नहीं नियुक्त होतीं। राय ने यहां तक कहा कि अगर नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया तो उनके बयान की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा अध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह व जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। हालांकि, राम बहादुर राय की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मौन ही रखा।

(संकलन : मृणाल वल्लरी)

आप में कुछ काला है

यह सियासत का वह सच है जिसने सफेद होने के हर दावे को झूठ बना दिया है। सियासत किसी मुल्क के दायरे में बंधी नहीं होती न ही किसी सूबे की मिल्कियत। लिहाजा हिंदुस्तान की राजधानी के इलाकाई सूबे की सियासी सफेदी पर बहस चली तो हर परत काली निकली। अलग बात है कि सूबाई हुकूमत के उस पार खड़े सियासी खिलाड़ियों के गले में टंगी सफेदी मशीन वाले तमगे की चमक ज्यादा चटक हो गई है। बेशक दिल्ली की शराब नीति के पीछे कानूनी खामियां हों मगर मयखानों के इर्द-गिर्द उठे बवंडर में खामियों का गुबार कम नहीं। कीचड़ कुछ इस कदर उछाली गई कि हर चेहरा काला नजर आने लगा। सबसे अलग दिखने वाली सियासी जमात को राजपूती खून का वास्ता देना पड़े तो शक की सुई का थम जाना लाजिम है। 'आप' तो पहले से ही उन भगोड़ों में शुमार हैं जो हर फर्जी शिकायत पर माफीनामा लिए खड़े मिले। आने वाले महीनों की सियासी तपिश आज ही महसूस होने लगी है।

–एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

सत्ता बनाम भ्रष्टाचार

इतिहासकार लार्ड एक्टन ने उन्नीसवीं सदी में कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णत: भ्रष्ट करती है। इतिहास के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति वे बने जो सत्ता के शिखर पर रहे। इस हिसाब से राज्यों की छोटी सत्ता के मुकाबले केंद्र की बड़ी सत्ता के भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा है। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ, आयकर विभाग आदि ने विपक्षी सरकारों का भ्रष्टाचार तो उजागर कर दिया। मगर क्या इनमें इतनी कूवत है कि वे देश की सबसे बड़ी सरकार के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर सकें? सत्ताधारी राजग सरकार में कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं। मगर क्या उनके सभी विधायक और सांसद ईमानदार हैं जबकि उनमें से कई आपराधाकि रेकार्ड वाले हैं।

–बृजेश माथुर, बृज विहार, गाजियाबाद।

आपके पत्र

आम का जवाब बबूल

समस्त देशवासियों को मालूम है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर किस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप से दिल्ली सहित देश की जनता को जरूर निराशा हुई होगी। जांच के नतीजे तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फौरी तौर पर जो बात सामने नजर आई, विशेषकर छींटाकशी के दरमियान, वह यह थी कि बात हो रही थी आम की जवाब दिए जा रहे थे बबूल के बारे में। आप क्या परोस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जनता वही सुनेगी तो यह गलतफहमी है। सही सवाल तो है कि अगर स्कूली व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो फिर अफसरों, मंत्रियों के कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं? भ्रष्टाचार की जांच की आंच पड़ने मात्र से अस्मिता की पहचान की याद दिलाने की नौबत क्यों आई?

–मुकेश कुमार मनन, पटना।

कठघरे में क्रांति

कहां अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और अब उन्हीं आरोपों के कठघरे में हैं। असंगत और बचकाना बातें करके जिस तरह केजरीवाल मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि वे भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित हैं। अगर ऐसा न होता तो वे तत्काल सिसोदिया को मंत्रिमंडल से हटा देते। धारा-302 के तहत दर्ज मामलों में से बहुत से मामले साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होते तो क्या 302 के तहत मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएं? हमें तो नहीं लगता कि केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जगह अपनी आम आदमी पार्टी को प्रतिस्थापित कर पाएंगे, सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है।

–राधेश्याम मिश्र, लखनऊ।

एकतरफा कार्रवाई

इन दिनों विभिन्न जांच एजंसियों की कार्यशीलता बढ़ गई है। इसका परिणाम है कि बड़ी मात्रा में काला धन भी बाहर आ रहा है। यह कार्यशीलता मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही दिख रही है। इसलिए इसका एक राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही जांच एजंसियों का अति सक्रिय हो जाना इसका ताजा उदाहरण है। वहीं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) जैसी संवैधानिक संस्था की अकर्मण्यता भी हमारे सामने है। देश में कोयला खनन और टू-जी घोटाले हुए जो सीएजी की रपटों से उजागर हुए थे। अब उस तरह की किसी रिपोर्ट से कोई हंगामा नहीं होता है।

–दल सिंह खरत, गाजीपुर, दिल्ली।

कायाकल्प

आम आदमी पार्टी का यह कायाकल्प भारतीय राजनीति के लिए दुखद है। अब जनता विकल्प की किन बातों पर भरोसा करेगी। इधर कुआं तो उधर खाई में से एक को चुनना होगा। इससे अच्छा तो यह होता कि आम आदमी पार्टी न तो स्थापित होती और न सपना दिखता।

–अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

कई खूबियां बनाती हैं नौसेना के युद्धपोत विक्रांत को खास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दो फुटबाल मैदानों के आकार के बराबर एक फ्लाइट डेक, 18 मंजिल की ऊंचाई, एक दिन में 16,000 चपाती बना सकने वाले रसोई के उपकरण, समुद्र में हर पल नजर रखने वाली प्रणाली, 2,500 किलोमीटर लंबी केबल जैसी विशेषताएं भारत के स्वदेश निर्मित पहले विमानवाहक पोत 'आइएनएस' विक्रांत को खास बनाती हैं।

'तैरता नगर'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में 'आइएनएस विक्रांत' का जलावतरण किया और इसे 'तैरता नगर' तथा 'तैरती हवाई पट्टी' करार दिया जो 5,000 घरों को रोशन करने समान विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। इस 45,000 टन वजनी युद्धपोत को आज जब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसके फ्लाइट डेक पर एक उन्नत हल्का हेलिकाप्टर (एएलएच), एक कामोव-31 और एक मिग-29के खड़ा था। यदि किसी को जहाज के मार्ग और लाबी से गुजरना हो तो उसे लगभग 12 किमी चलना पड़ेगा।

युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष में नौसेना का अधिकारी।

क्षमता

2,500 किमी से अधिक की केबल
एक दिन में 16,000 चपातियां और 6,000 इडली बनाने में सक्षम स्वचालित प्रणाली।
सीटी स्कैन मशीन के साथ पूरी तरह कार्यात्मक अस्पताल, देश में युद्धपोत में पहला।
दो आपरेशन थिएटर, चालक दल के 1,600 सदस्य, 2,200 से अधिक कक्ष
18 मंजिल ऊंचाई।

उपकरण

आरएएन-40एल 3डी हवाई निगरानी रडार
एमएफ-स्टार (नौसेना रडार प्रणाली)
टीएसीएन (सामरिक हवाई नौवहन प्रणाली)
रेजिस्टर-ई एविएशन काम्प्लेक्स
शक्ति ईडब्लू सूट (पोत विध्वंसक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रानिक परत)
डाइवर निगरानी प्रणाली
ईएलके-7036 वीयूएचएफ कोमिंट

लंबाई : 262.5 मीटर
चौड़ाई : 62.5 मीटर
विस्थापन : 42,800 टन
गति : 28 समुद्री मील
विद्युत उत्पादन क्षमता: 24 मेगावाट
7,500 समुद्री मील की क्रूजिंग रेंज
700 से अधिक सीढ़ियां

आइएनएस विक्रांत पूर्व सरकारों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेश निर्मित पोत 'आइएनएस विक्रांत' को राष्ट्र को समर्पित करने का श्रेय लेने के लिए केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को उचित स्थान नहीं देकर पाखंड किया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय नौसेना, उसके डिजाइन ब्यूरो और कोच्चि शिपयार्ड को बधाई दी और 'आइएनएस विक्रांत' को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को देश की समुद्री सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह ऐसी उपलब्धि है जिससे देश की मजबूती को बल मिलेगा। एक वीडियो साझा करते हुए रमेश ने यह भी कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 12 अगस्त 2013 को भारत के पहले स्वदेशनिर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को 'लांच' किया था। प्रधानमंत्री ने इसे आज बेड़े में शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत 2014 से पहले भी था। इससे जुड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया जाना 1999 के बाद की सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कृष्णा मेनन ने ब्रिटेन से इसे हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

रमेश ने कहा कि आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना भारतीय नौसेना के इंजीनियरों, अधिकारियों और कोच्चि शिपयार्ड के कर्मचारियों को समर्पित है।

शिअद ने की संगठन में सुधारों की घोषणा

चंडीगढ़, 2 सितंबर (भाषा)।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को बड़े संगठनात्मक सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि वह चुनावों में अब 'एक परिवार, एक टिकट' सिद्धांत का पालन करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि उसके आधे उम्मीदवार 50 से कम उम्र के हों। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जिन बदलावों की घोषणा की है उसकी वजह पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन एवं बादल के नेतृत्व के विरूद्ध असंतोष था। उन्होंने कहा कि यदि अगले चुनाव में शिअद सत्ता में आता है तो राज्य एवं जिला स्तर पर बोर्डों के अध्यक्ष पद पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलें। उन्होंने कहा कि सांसदों एवं विधायकों के परिवारों के सदस्यों पर इन पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष पांच-पांच साल के लगातार दो कार्यकाल के लिए पात्र होगा और फिर उसे एक कार्यकाल के लिए अवकाश लेना होगा।

नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

भाजपा के साथ पिछले महीने गठबंधन टूटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'राष्ट्रीय राजनीति' में आने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन

उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। जनता दल (एकीकृत) के मुख्यालय पर पत्रकारों के केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाने संबंधी सवालों के जवाब में नीतीश का जवाब था, 'छोड़िए ये सब बात।' वहीं, पार्टी के मुख्यालय पर लगे बड़े-बड़े पोस्टरों में से कुछ पर लिखा है 'प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा।' इन नारों से विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने 'भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ध्रुवीकरण' के तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल के दौरान केंद्र में थे। राज्य के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से महज कुछ ही घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे नीतीश ने कहा कि वह शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके एक दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परिषद की तैयारियां देखने आए हैं।

पोस्टर कर रहे अलग कहानी बयां

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

जद (एकी) के नेता नीतीश कुमार भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हों, लेकिन यहां पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं।

इनमें से कुछ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, तो कुछ में उन्हें (कुमार को) एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है, जो 2024 में बदलाव का सूत्रपात करेगा। एक पोस्टर में कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ' जुमला नहीं, हकीकत' हैं , जबकि एक अन्य में 'मन की नहीं, काम की' बात कही गई है। इस तरह इन पोस्टर में कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री देश की सेवा में जुटे हैं तो परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार बचाने में : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि एक ओर देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हुए हैं तो दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को, अपने बेटे-बेटी, भतीजे और दामाद को बचाने में जी-जान से लगी हुई हैं। नड्डा दो दिन के हरियाणा के दौर पर हैं और शुक्रवार को कैथल में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के जन-जन के कल्याण के लिए कटिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो वैचारिक पार्टी है, न राष्ट्रीय और न ही प्रादेशिक।

भारत की बंदरगाह क्षमता आठ साल में दोगुनी हुई : प्रधानमंत्री

मंगलुरू (कर्नाटक), 2 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है और यही लोगों की आकांक्षा है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भाजपा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, 'आज का भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है क्योंकि यही विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है।

ट्विटर ने जानबूझ कर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने 'जानबूझकर' भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी। राजनीतिक ट्वीट हटाने के निर्देश से संबंधित ट्विटर के दावों पर केंद्र ने कहा कि उसने सिर्फ असत्यापित खातों को ब्लाक करने के लिए कहा था। याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने जानबूझकर कानूनों का अनुपालन नहीं किया और उनकी अवज्ञा की। प्रतिवादी नंबर-2 (केंद्र) की अनुवर्ती कार्रवाई और 27 जून 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद ही याचिकाकर्ता ने अचानक सभी दिशा-निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया, जिसकी वजह वही बेहतर जानता है।'

ट्विटर ने 39 यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) को ब्लाक करने के संबंध में दायर आदेश को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ट्विटर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से संबंधित सरकारी नोटिस से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

कंपनी ने कहा कि उसके सोशल मीडिया मंच पर सामग्री साझा करने वाले लोगों को संबंधित सामग्री हटाने के लिए कहने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर भ्रम बरकरार

झारखंड के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक बने रहने को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच वहां के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। इससे एक दिन पहले सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के विधायकों ने उनसे निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। दिल्ली में वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं।

राज्यपाल की दिल्ली यात्रा से झारखंड की राजनीतिक स्थिति को लेकर अटकलों को हवा मिली है। बैस ने गुरुवार को यूपीए के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में कहा था कि वह जल्द ही सभी शंकाओं को दूर करेंगे। बहरहाल, राजभवन के अधिकारियों के मुताबिक, वह चिकित्सीय जांच के लिए 'निजी यात्रा' पर दिल्ली गए हैं।

लाभ के पद के मामले को लेकर सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना निर्णय बैस को भेज दिया था। निर्वाचन आयोग के फैसले को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है कि आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है।

यूपीए के घटक दलों ने 28 अगस्त को एक संयुक्त बयान में राज्यपाल पर मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता पर निर्णय की घोषणा में 'जानबूझकर देरी' करके राजनीतिक खरीद-फरोख्त को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था।

भारत व आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि हमने ज्ञान के क्षेत्र में अपने मजबूत एवं विविधतापूर्व सहयोग एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गति प्रदान करने पर सहमति जताई है।

दूसरी ओर, प्रधान ने इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम के साथ भी बैठक की और समग्र सामरिक सहयोग की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास भागीदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधान इन दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं।

आतंकियों ने प्रवासी मजदूर को गोली मारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर पर गोलियां चला दीं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित मुनीरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

पेज 1 का बाकी

रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और निर्वाचन सूची प्रकाशित करने की मांग की। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्तावक शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के प्रतिनिधि (डेलिगेट) होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और निर्वाचन सूची के प्रकाशन की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी और कहा कि एक के बाद एक आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, 'अगर आप देश के कोने-कोने के हर कार्यकर्ता से चाय पीते या खाना खाते समय पूछेंगे, तो वह यही कहेगा, हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम सबके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के संविधान और पूरी व्यवस्था के अनुसार होगा।

रेलवे बोर्ड ने विभिन्न भत्तों की समीक्षा के लिए कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

परिचालन खर्च बढ़ने से चिंतित रेलवे बोर्ड ने सातों जोन से 'अतिरिक्त समय अवधि', रात्रिकालीन कार्य और यात्रा तथा ईंधन एवं रखरखाव के लिए मिलने वाले भत्तों की समीक्षा करने को कहा है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने तिमाही समीक्षा बैठक में पाया कि परिचालन से जुड़े खर्चे काफी अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक सातों जोन में यह रेलवे के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत औसत वृद्धि से कहीं ऊपर है। ये जोन हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (37.9 प्रतिशत), उत्तर रेलवे (35.3 प्रतिशत), दक्षिण-मध्य रेलवे (34.8 प्रतिशत), दक्षिण-पश्चिम रेलवे (33.1 प्रतिशत), उत्तर-पश्चिम रेलवे (29 प्रतिशत), पश्चिम रेलवे (28 प्रतिशत) और उत्तर-मध्य रेलवे (27.3 प्रतिशत)। एक सवाल के जवाब में रेलवे ने कहा कि परिचालन खर्च को लेकर 2022-23 के लिए कुल बजटीय अनुमान 2.32 लाख करोड़ रुपए है। चूंकि खातों का आडिट होना बाकी है, संबंधित आंकड़े अस्थायी हैं। विभाग ने कहा कि रेलवे ने वित्त मंत्रालय के व्यय नियंत्रण और प्रबंधन पर दिए गए दिशानिर्देश को जारी किया है। विभिन्न मोर्चों पर मितव्ययिता और किफायती उपायों को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, ईंधन की खपत को अनुकूलतम बनाने के साथ माल भंडार प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड ने जोन को अपने खर्च को कम करने के लिए 'तत्काल कदम' उठाने का निर्देश दिया और महाप्रबंधकों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने को कहा।

सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

पेज 1 का बाकी

था कि नया 'निशान' समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें स्वदेशी रूप से एक विमानवाहक पोत का निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है। कुल 262 मीटर लंबा तथा 62 मीटर चौड़ा यह जहाज 28 समुद्री मील से लेकर 7500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। बीस हजार करोड़ रुपए की लागत से बना यह विमान वाहक जहाज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह देश में बने 'एडवांस्ड लाइट हेलिकाप्टर' (एएलएच) के अलावा मिग-29के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, 'यदि लक्ष्य दुरंत हैं, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत।'महिला शक्ति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ' विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा, तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है।'नौसेना का बजट बढ़ाने पर मोदी ने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता हैं। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं।'

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से फेंका, मौत

पेज 1 का बाकी

ने कहा, 'प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि घटना में एक आरोपी शामिल था। हम उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'उन्होंने कहा कि जब ट्रेन टोहाना पहुंची, तो बिलख रहे बच्चे ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

पेज 1 का बाकी

परिचालन क्षमता का प्रतीक है।भारतीय नौसेना का मूल औपनिवेशिक काल में जाता है, और एक स्वतंत्र भारत के नौसैन्य बल के रूप में अपनी पहचान धारण से पहले इसके नामकरण में पिछली कुछ शताब्दियों में कई बदलाव हुए हैं।नेवल डाकयार्ड मुंबई (एनडीएम) में विरासत दीर्घा में एक पैनल पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की और उसके जहाजों को माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में जाना जाता है। इसने कैंटन में सेंट जार्ज क्रास के साथ धारीदार ध्वज अपनाया।

सूरत से बंबई में गतिविधियों के स्थानांतरण के साथ, बांबे मरीन का गठन 1686 में किया गया था।वर्ष 1707 में, ब्रिटिश संघ के ध्वज से कैंटन में सेंट जार्ज क्रॉस को बदल दिया, और 1801 में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। साल 1830 में, बांबे मरीन का नाम बदलकर 'हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी' कर दिया गया।नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1863 से 1877 तक इसका नाम 'बांबे मरीन' रहा और इसके बाद इसका नाम 'हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1892 में नाम 'रायल इंडियन मरीन' कर दिया गया। 1934 में 'रायल इंडियन मरीन' को 'रायल इंडियन नेवी' नाम दिया गया और इसकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इसे 1935 में 'किंग्स कलर' प्रस्तुत किया गया था।वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के साथ, स्वतंत्रता के बाद, रायल इंडियन नेवी को रायल इंडियन नेवी और रायल पाकिस्तान नेवी में विभाजित कर दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ, उपसर्ग रायल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना (इंडियन नेवी) के रूप में नया नाम दिया गया।छब्बीस जनवरी 1950 से 2001 तक, भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसैन्य ध्वज के एक संशोधित संस्करण का उपयोग किया, और कैंटन में यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे से बदल दिया गया।

15 अगस्त, 2001 से, इस ध्वज को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट वाले एक सफेद ध्वज के साथ बदल दिया गया, क्योंकि पिछला ध्वज भारत के औपनिवेशिक अतीत को प्रतिबिंबित करता था और यह 2004 तक बना रहा।वर्ष 2004 के बाद से, क्रास के केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को जोड़ने के साथ ही ध्वज को सेंट जार्ज क्रास डिजाइन में वापस बदल दिया गया और 2014 में प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य - सत्यमेव जयते - को नीचे जोड़ा गया।

तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

पेज 1 का बाकी

ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीस्ता के खिलाफ दी गई तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया। पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।न्यायाधीशों ने कहा-तीस्ता एक महिला हैं। वह दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है। तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा-हमारे विचार में अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यह कहा जाना चाहिए कि जैसा कि सालिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। उस पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए।तुषार मेहता ने तीस्ता को अंतरिम जमानत न देने और मामले को गुजरात हाईकोर्ट के विचार के लिए छोड़ देने पर लगातार जोर दिया तो अदालत का सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा प्राथमिकी में और कुछ नहीं है। दोनों दिखाते हैं कि यह सच नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर भी पीठ ने सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सीलकवर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए। ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए।तीस्ता सीतलवाड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 124 लोगों को उम्रकैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ। ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। 20 साल से सरकार क्या करती रही। ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? ये हलफनामे इस मामले में दाखिल नहीं किए गए। ये पहले के मामलों में दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी।

Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

Dist. Nashik, Maharashtra State

Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHIYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/ form 03/09/2022 for detailed information.

Date : 03/09/2022 to 19/09/2022

Commissioner
Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आईये उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुती दि."

आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन L74900DL 1992PLC047055

पंजीकृत कार्यालय रू इकाई सं. 421, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, दूरभाष :+91 11 41681828,+91 11 27371334

वेब : : www.rciind.com, ई–मेल :compliance@rciind.com

31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई–वोटिंग जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के लेन–देन के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022 को प्रातः 10.30 बजे (भा.मा.स) आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों और सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों ने सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 03 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.rciind.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा सामान्य बैठकों (एसएस–2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना के नोट्स में प्रदान किए गए हैं।

सदस्यों को कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा एजीएम में मतदान के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार 27 सितंबर 2022 (09.00 पूर्वा. भा.मा.स) पर शुरू होगी और गुरुवार 29 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

श्री गौरव शाह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 46647), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2022 तक या उससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के साथ अपने पंजीकृत ई–मेल के माध्यम से compliance@rciind.com पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ शेयरधारकों के रूप में अपना नाम और पते, पैन/अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रति का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

डीमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें।

ई–वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) और e-voting नेमत उंदनंस वित Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–1020–990 या 1800–224–430 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdi.co.in पर संपर्क करें।

कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
ह./–

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 सितम्बर, 2022

प्रिया रस्तोगी
(कम्पनी सचिव)

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051. बी.ओ.: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, निकट ब्रेड कैंपस, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

[illegible]

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता के नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. ऋणदाता का नाम 2. असाइनमेंट की तिथि 3. मांग सूचना दिनांक 4. रु. में देय राशि
मैसर्स साई कंस्ट्रक्शन (इसके अधिकृत साझेदार श्री तुलसी राम के माध्यम से) और श्रीमती लज्जावती पत्नी श्री तुलसी राम ... [illegible] ऋण खाता संख्या: LNDEL00615&160000154 ... [illegible]	संपत्ति 1. प्लॉट नंबर 83 ... आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर गांव ... तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ... [illegible] बंधक का नाम: श्री तुलसी राम पुत्र श्री स्वामी दीन और श्रीमती लज्जावती पत्नी श्री तुलसी राम।	1. एस्सेल फाइनेंस बिज़नेस लोन लिमिटेड 2. 18.02.2020 3. 17.08.2022 4. रु. 44,27,587/– ... 17.08.2022 तक ... [illegible]

[illegible]

स्थान: गाजियाबाद, दिनांक: 03.09.2022

अधिकृत अधिकारीः कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

द दिल्ली सेफ डिपॉजिट क. लि.

(CIN: L74899DL1937PLC000478)

पंजी. कार्यालयः 86, जनपथ, नई दिल्ली–110001 (भारत)

टेलीः 011–43580400, 23320084, 23321902

ई–मेलःdelsafe@dsdgroup.co.in, वेबः www.dsdgroup.co.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 84वीं एजीएम कोविड–19 महामारी की अनवरतता के कारण विडियो कान्फ्रेंस ("वीसी") अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने (सर्क्युलर तिथि 8.4.2022, 13.4.2020, 5.5.2020, 13.01.2021 तथा 05.5.2022) तथा सेबी ने (सर्क्युलर तिथि 12.5.2020, 15.01.2021 तथा 13.05.2022) के द्वारा सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को भेजने से छूट दी है तथा साथ हीं वर्ष 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वार्षिक आम सभा (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी है।

हम एतद्द्वारा सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा कम्पनी से अन्य सभी सूचनाओं के प्रेषण के लिये अपना ईमेल आईडी अद्यतन करा लें।

कृपया ध्यान रहे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति सदस्यों को एजीएम के दौरान वितरित नहीं की जाएगी।

डिमैटिरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयर धारकों से आग्रह है कि वे अपनी ईमेल पता, बैंक मैन्डेट्स तथा मोबाइल नं. को अद्यतन करने के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स से सम्पर्क करें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपना नाम, फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र की प्रति (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन्ड कॉपी, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी प्रस्तुत कर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट–बिग शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना i) ईमेल आईडी तथा ii) बैंक मैन्डेट पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

वांछित दस्तावेजों के साथ उक्त विवरण बिग शेयर सर्विसेस प्रा.लि.–आरटीए के पास ईमेल आईडीः investor.del@bigshareonline.com पर भेजी जा सकती है।

कृते, द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड
हस्ता./–
विजय कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक/सीईओ
DIN-00243413

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3.9.2022

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013

सर्किल कार्यालय : कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9–बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110005

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है।

क्र.सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वर्धित मूल्य
1.	1. मैसर्स ओ.पी. टिम्बर मर्चेंट (''कर्जदार'') 2. श्री राम नारायण 3. श्रीमती राज बाई (सह–कर्जदार) ऋण खाता सं. LNCGCKKDTL0000004198 रुपये 62,40,985/– (रुपये बासठ लाख चालीस हजार नौ सौ पिचासी मात्र) 07.12.2021 तक तथा प्रयोज्य भावी ब्याज	मकान नं. 554, खेवत/खाता सं. 5413/7025 में से, खसरा नं. 12716/3490/908–910, 3582/999 (0–0–13.5) में से, फिरोज गांधी कॉलोनी–1, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित।	1. ई–नीलामी की तिथि : 20.09.2022 (3:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप.) 2. केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 19.09.2022 3. निरीक्षण की तिथि : 17.09.2022	आरक्षित मूल्य : रु. 39,50,000/– (रुपये उनतालीस लाख पचास हजार मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 3,95,000/– (रुपये तीन लाख पिचानबे हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 20,000/– (रुपये बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, गलत बयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस संचालित करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079–079–68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297. ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 19 सितम्बर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 के पास अधिकतम 19 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे पर ''कर्जदार का नाम'' की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु संविदा'' लिखना होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर–से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।
11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर–से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर–से बोली प्रक्रिया के दौरान ''10'' मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई–मेल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई–मेल द्वारा करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा।
21. अधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिह्न रहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. **अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 तथा अन्य पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला–7738039346.**
25. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खामी/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक–अप पॉवर सप्लाई तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/गुरुग्राम तिथि : 03.09.2022

ह./– (अधिकृत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

VISTAAR FINANCE

CIN: U67120K1991PTC059126, RBI पंजीकरण क्र.: B-02.00251

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नंबर 59 और 60 -23, 22nd क्रॉस, 29 मैन, BTM लेआउट, 2nd स्टेज, बैंगलोर–560076

शाखा स्थानांतरण की सूचना

बिल्डिंग नंबर प्लॉट नं.5 जी - 34ए, 2री मंज़िल, बग्गा कॉम्प्लेक्स, एन आई टी 5, फरीदाबाद - हरियाणा - 121001, स्थित शाखा कार्यालय को प्रिचालन कारणों से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सूचना एतद्वारा दी जा रही है। किसी भी दावे/बकाया शिकायत के लिए, हितधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें :

पता : विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड., 5 ई/9 बी पी, 1ली मंज़िल, एन आई टी रेलवे रोड, फरीदाबाद, हरियाणा - 121001

मोबाइल नं.: 7307873024/8923854366

ई–मेल :bm.faridabad@vistaarfinance.com durgesh.giri@vistaarfinance.com

स्थान : बैंगलोर

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
अधिकृत हस्ताक्षरी

जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

[CIN No. L65923UP2012PLC051433]

पंजीकृत कार्यालयः 19 कि.मी., हापुड़–बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश–203408

कार्यालयः प्लॉट नं. 12,लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सेक्टर–बी–1 वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, दूरभाषः (011) 40322100

वेबसाईटः www.jindalpoly.com, ईमेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com

सार्वजनिक सूचना : 10 वीं वार्षिक आम सभा

सूचित किया जाता है कि जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') की 10 वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम'') सबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 तिथि 13 मई, 2022 के साथ पठित पूर्व वर्षों में इस संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर्स 2/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा अन्य सर्क्युलर्स (यहाँ के बाद सामूहिक रूप से सर्क्युलर्स' वर्णित) के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।

उक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई–एजीएम तथा ई–वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रक्रिया से शामिल एजीएम की सूचना नियत समय पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से ऐसे सदस्यों को भेजी आएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं तथा साथ ही वह कम्पनी की वेबसाईट www. jpifcl.com तथा स्टॉक एम्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात नेशनल स्टॉक एम्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएसई) www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड www. bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के द्वारा ही एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई–वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रकिया के साथ उसके विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी, अतः सदस्यों से आग्रह है कि निम्न प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

भौतिक धारिता	जिन सदस्यों ने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अघतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त करने के लिये ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्वतः सत्यापित–प्रति तथा उनके ईमेल पते के पंजीकरण तथा उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम सूचना तथा ई–वोटिंग निर्देशों को प्राप्त करने के लिये शेयर प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्केन की गई प्रति के साथ लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज कर अपना ईमेल पता पंजीकृत अद्यतन करा लें।
भौतिक धारिता	अपने संबंधित डीपी के परामर्श से प्रक्रिया के अनुसार अपनी डिमैट खाता में विवरणों को पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र (त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

कृते जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
ह./–
घनश्याम दास सिंघल
(प्रबन्ध निदेशक)

तिथिः 01.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

सीआईएन : L22222UP2011PLC103611

पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़–बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश–203408
कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर–बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110 070
दूरभाष : (011) 40322100, **ई–मेल आईडी** : cs_uphoto@universusphotoimagings.com,
वेबसाइट : www. universusphotoimagings.com

सार्वजनिक सूचना–11वीं वार्षिक आम बैठक

यह सूचित किया जाता है कि सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित इस संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 एवं इस सम्बन्ध में गत वर्ष में जारी अन्य परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग लिमिटेड ('कंपनी') की 11 वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ई–एजीएम और ई–वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में भाग लेने के तरीके सहित 30 अगस्त, 2022 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाएगा, जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं और यह कम्पनी की वेबसाइट www.universusphotoimagings.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं, जिसका विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में ई–वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में भाग लेने के तरीके के साथ प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करेंः

भौतिक धारिता	जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किये हैं वे ई–मेल पते, मोबाइल नम्बर, पैन की स्व–सत्यापित प्रति तथा शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने हेतु तथा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई–वोटिंग निर्देश प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** लिंक पर क्लिक करके या ई–मेल आईडी **einward.ris@kfintech.com** पर निवेदन भेजकर इसे पंजीकृत करा सकते हैं।
डीमैट होल्डिंग	अपने सम्बन्धित डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड
ह./–
सुरेश कुमार
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02/09/2022

डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड

सीआईएन : L52110DL1984PLC019625

पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. 325, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

वेबसाइट : www.dirl.in | ई–मेल : deltaindltd@gmail.com | दूरभाष नं. 011–27860681

सूचना
वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे अप. में दुकान नं. 325, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 (''बैठक'') पर आयोजित की जायेगी।

बैठक आयोजित करने की सूचना सहित वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों के पास उनके पंजीकृत पते पर कोरियर द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के पास जिन्होंने अपने ई–मेल पते डिपॉजिटरी/कम्पनी के साथ पंजीकृत कराये हैं, भेज दी गयी है। सूचना सहित वित्त वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.dirl.in) तथा निरीक्षण हेतु बैठक की तिथि तक रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर व्यवसाय घण्टों के दौरान सभी कार्यदिवसों पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी उपलब्ध है।

यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''ई–वोटिंग'') द्वारा बैठक में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। सदस्य बैठक के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके अपना मतदान कर सकते हैं। कम्पनी ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ग्रहण की है। अन्य बातों के साथ–साथ बैठक आयोजित करने की सूचना की प्रति सहित यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित सम्पर्क सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं। ई–वोटिंग हेतु सम्पर्क कम्पनी की वेबसाइट www.dirl.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी तथा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ही रिमोट ई–वोटिंग/बैठक में वोटिंग के पात्र होंगे।

कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अन्य बातों के साथ–साथ evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी उपलब्ध है जो कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि सदस्य ई–वोटिंग हेतु पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी बैठक में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

रिकार्ड तिथि

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अनुसार सूचना दी जाती है कि वार्षिक आम बैठक में मतदान के पात्र सदस्यों के निर्धारण के उद्देश्य से कम्पनी ने मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को ''रिकार्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित किया है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड
ह./–
पवन कुमार मित्तल
निदेशक
DIN: 00749265

तिथि : 2.9.2022
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	**कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम**	**आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	17.12.2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72200DL2008PTC392971
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	फ्लैट नं.–1ए/6, जी/एफ देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110019 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	01.09.2022
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	गुंजन मित्तल पंजी. सं.: **IBBI/IPA-003/IP-N00361/ 2021-22/13756** **पताः ए–25ए, एलजीएफ, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024, टेली. नं.** 011–45552681, **मोबाईल नं.:** 9868476717, **ईमेल आईडीः ip.gunjanmittal@gmail.com, ibizliquidator@gmail.com**
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	30.9.2022

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है **आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड** ने 01.09.2022 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।

एतद्द्वारा **आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया** प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 30.9.2022 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 01.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

गुंजन मित्तल
आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक
आईपी पंजी. सं.: **IBBI/IPA-003/IP-N00361/ 2021-22/13756**

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड विदित)

ए–30, एस–11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली–110048

CIN: L74899DL1993PLC056421

ई–मेलः pgindustryltd@gmail.com; वेबसाईटः www.pgil.com

उन्तीसवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13.4.2022 के अनुपालन में)

कोविड–19 महामारी के अनवरत प्रसार को देखते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर तिथि 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 से साथ पठित सर्क्युलर तिथि 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा सर्क्युलर तिथि 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विडियो कान्फ्रैंस (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। इन सर्क्युलरों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की आगामी एजीएम मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 4.00 बजे अप. में वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार एफवाई 2021–2022 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसे सदस्यों को भेजे जाने की अनुमति है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पहले से ही पंजीकृत है। कम्पनी पूर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा उपलबध करा रही है।

यदि आपका ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो एफवाई 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लिये लॉगिन विवरणों के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जायेगी। यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2021–2022 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करायें।

भौतिक धारिता	ई–मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए info@masserve.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें। कृपया (यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं हो) फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ मूल निरस्त चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आरटीए (अर्थात् एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, टी–34, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली) के पास अनुरोध भेजें।
डीमैट धारिता	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराऐं। कृपया 15.9.2022 को या पूर्व उसे अद्यतन करा लें।

एजीएम की सूचना तथा एफवाई 2021–2022 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.pgil.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी।

मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
देवेन्दर कुमार
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथिः 2.9.2022
स्थानः नई दिल्ली

भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001
(सीआईएन–L67120DL1992PLC049038), फोन नंबर : 011–49800900, फैक्स : 011–49800933
ई–मेल : commodities@bharatbhushan.com वेबसाइट : www.bbinvestments.in

तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को मध्या. 12.00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी"), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और अन्य लागू सर्कुलर्स, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता बाध्यताँए दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ /सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर /पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना दिनांकित 04 अगस्त, 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ ई–मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा शुक्रवार, 02 सितम्बर, 2022 को कम्पनी के उन सदस्यों को 'प्रेषित' की जा चुकी हैं जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरियों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.bbinvestments.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई–मेल पता पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि :

क) **भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों हेतुः** कृपया विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म ISR-1, आवश्यक दस्तावेजों सहित, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3, टॉलसटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001 को अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 को भेजें। फॉर्म ISR-1 कम्पनी की वेबसाइट www.bbinvestments.in पर उपलब्ध है।

(ख) **डीमैट रूप में शेयरों के धारक हेतुः** कृपया अपना ई–मेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के पास पंजीकृत/अद्यतित करवाएं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, समय समय पर संशोधित, के नियम 20 तथा सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और संबद्ध सर्कुलर्स के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन इस ई–वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। कम्पनी ने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एनएसडीएल के साथ अनुबंध किया है। डीमैट रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग अथवा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया और विधि एजीएम की सूचना में दी गई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि :

I. रिमोट ई–वोटिंग अवधि रविवार 25 सितम्बर, 2022 को प्रातः 09.00 बजे आईएसटी पर आरंभ होगी तथा मंगलवार 27 सितम्बर, 2022 को सायं 05.00 बजे आईएसटी (दोनों दिन सम्मिलित सहित) पर समाप्त होगी, इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

II. कम्पनी ने ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की योग्यता निश्चित करने के लिए 21 सितम्बर, 2022 "कट–ऑफ" तिथि निर्धारित की है। कोई व्यक्ति, जिसका नाम, डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में, कट–ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग का हकदार होगा।

III. सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उनके द्वारा बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 ("कट–ऑफ तिथि") को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

IV. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो सदस्य एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको एजीएम में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

V. कोई व्यक्ति जो कि एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और जो कट–ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को शेयरों का धारक होता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा commodities@bharatbhushan.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति इस प्रयोजन हेतु एजीएम की सूचना का संदर्भ भी ग्रहण कर सकता है।

VI. रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह अथवा शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू'ज) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013 से नामित ई–मेल आईडी – evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा टोलफ्री नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

कम्पनी ने सुश्री कविता पम्मानी, स्वामिनी मैसर्स कविता पम्मानी ऐंड एसोशिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरीज (सदस्यता सं. एफ 6288 तथा सीपी सं. 11099) को ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

कृते एवं हिते निदेशक मंडल
भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड
हस्ता./–
निशा आहूजा
निदेशक
डीआईएन : 00001875

तिथि : 02 सितम्बर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

CIN – L52110DL1985PLC020240
Regd Office: K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016
Website : www.meenakshisteel.in Email Id : meenakshisteelindustries@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at K-27, Jiya Sarai, 1st Floor, Near IIT Gate, New Delhi 110 016 on Wednesday, 28th September, 2022 at 3.00 pm

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote e-voting)

The Remote e-voting facility shall commence on Sunday, 25th , September, 2022 from 9.00 am and end on Tuesday, 27th September, 2022 at 5.00 pm. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 21st September, 2022 (Cut off date) only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.

By order of the Board of Directors
For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Sudha Jajodia
Director
(DIN – 00376571)

Place: Mumbai
Date: September 3, 2022

FSL फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : U65100DL1994PLC058837
पंजी. कार्यालय : एम–6, द्वितीय तल, एम–ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048
कार्पोरेट कार्यालय : बी–22, सेक्टर–4, नोएडा–201301
वेबसाइट : www.fslindia.com, ई–मेल : secretarial@fsltechnologies.com
फोन : +91–120–2534067, फैक्स : +91–120–2534111

28वी वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के अनुपालन में फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड की 28वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 3.30 बजे अप. में किसी विशेष स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.fslindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के संदर्भ में एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम में ई–वोटिंग के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा मतदान की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम सूचना की नोट नं. 16 एवं 17 में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य ई–वोटिंग के लिए EVEN No 121848 का चयन कर सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जोगी। सदस्यों का मताधिकार मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 ("कट–ऑफ तिथि") को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है, वे एनएसडीएल की वेबसाईट अर्थात् https://www.evoting.nsdl.com पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर पहले मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

कम्पनी के ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, वे निम्न प्रक्रिया के अनुसार उसे पंजीकृत करा सकते हैं:

1. भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि फोलिओ नं., शेयरधारक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाईल नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैंक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी) अथवा ई–मेल पते के पंजीकरण के लिये किसी अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, बैंक विवरण, इलेक्शन कार्ड, पास्पोर्ट) से शामिल विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र secretarial1@fsltecologies.com पर भेजकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करा लें।
2. डिमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा प्रक्रिया के अनुसार तथा डीपी की सलाह से डिमैट खाता में अपना ईमेल पता पंजीकृत कराऐं।

रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें अथवा श्री अभिषेक मिश्रा, एनएसडीएल से विनिर्दिष्ट ईमेल आईडीः abhishekm@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नम्बर +91 22 24994545 पर सम्पर्क करें। सदस्यगण secretarial1@fsltecologies.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 से सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
राकेश के. जैन
निदेशक
DIN: 00050524

तिथिः 2.9.2022
स्थानः नोएडा

अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राइडर हाउस, चौथा तल, प्लॉट सं. 136, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122003
दूरभाष नं.: 91–124–4556677, सीआईएनः L67120HR1980PLCO39125
वेबसाइटः www.aravalisecurities.com, ई–मेलः info@aravalisecurities.com

42वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा रिमोट ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन–देन के लिए अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार 30 सितम्बर 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। निरंतर जारी कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय मन्त्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 एवं 17/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020 एवं दिनांक 13 अप्रैल 2020 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत कोविड–19 के कारण उपजी परिस्थिति पर विचार करते हुए कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष संकल्पों के पारित होने पर स्पष्टीकरण के संबंध में, निर्गत परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 "वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण" तथा परिपत्र सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 जो "वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में है (सामूहिक रूप में "एमएसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 जो "सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 – कोविड19 महामारी के निश्चित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अतिरिक्त छूट" के संबंध में है तथा परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 जो "कोविड–19 महामारी के कारण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के निश्चित प्रावधानों के अनुपालन से छूट" के संबंध में है (सामूहिक रूप में "सेबी परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम हेतु निर्धारित स्थल को माना जाएगा। दिनांक 3 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना की सॉफ्ट प्रतियां सदस्यों द्वारा डाउनलोड किए जाने के उद्देश्य से कंपनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर उपलब्ध हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 16 के अनुपालन अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की शेयर अन्तरण पुस्तिका शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022 से बृहस्पतिवार 29 सितम्बर 2022 (दोनों दिवस शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकार्ड लेने के उद्देश्य से बन्द रहेंगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं सूचीबद्धता अनुबन्ध के उपबन्ध 35बी के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एलएसडीएल) के माध्यम से उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमावर, 26 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य जो कट–ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2022 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और इस सूचना के निर्गमन के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, उसे कट–ऑफ तिथि के पश्चात मेल के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध कराई जायेगी और ऐसे सदस्य evoting@nsdl.co.in या आरटीए, स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जो सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 29 सितम्बर, 2022 को बैठक में भाग ले रहे हैं वे एजीएम की सूचना दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सूचना में निर्दिष्ट प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के दौरान एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। किन्तु, केवल वे ही सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है और उन्हें अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है वे एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प मतदान के पात्र होंगे।

यदि उपर्युक्त प्रारूप के किसी मतदान से सम्बन्धित कोई पूछताछ या परेशानी है तो आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") तथा सदस्यों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग हेतु विस्तृत सूचना प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रावधानित है। रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/शिकायत सुश्री रुचि श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, प्लॉट नं. 136, चौथा तल, राइडर हाउस, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122003, हरियाणा, दूरभाषः 91–124–4556677, फैक्सः 91–124–4556677, ई–मेलः companysecretary@aravalisecurities.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./–
रुचि श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 10.08.2022

सार्वजनिक सूचना

ICICI Home Finance | पंजी. कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400051

कार्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400059
शाखा कार्यालयः भू तल, 104/438, पी. रोड, सिसमऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर–208012
शाखा कार्यालयः भू तल, एल्डेको हाउस/ एल्डेको शॉपी, हॉल–1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफसी") से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन निम्नवर्णित तिथि को एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, तथापि यह उनको सुपुर्द नहीं की जा सकी और अतएव एतद्द्वारा उनको को इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	अंशु गुप्ता (ऋणधारक), श्यामा गुप्ता (सह–ऋणधारक), 75ए, सफीपुर 1, कत्री सफीपुर, हरजिन्दर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208007 LHKAN00001367968	हरजेन्द्र नगर 2, हरजेन्द्र नगर, एनए, एच. नं. 91 बी कानपुर, उत्तर प्रदेश–208007, चौहद्दीः उत्तरः तेजवीर सिंह का मकान सं. 91–ए, दक्षिणः मकान का भाग, पूर्वः 30 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट शक्ति पुरम	7.6.2022 रु. 2765054/–	2 जून, 2022
2.	अभिशेक गुप्ता (ऋणधारक), वीना जैन (सह–ऋणधारक), एच. नं. 719, अमेठिया सलेमपुर, काकारी, काकोरी लखनऊ, उत्तर प्रदेश–227107 LHLKS00001395902	माधोपुर वार्ड, कन्हिया मिडिल क्लास खसरा नं. 42 एवं 43 में स्थित मकान सं. 64, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003. चौहद्दीः उत्तरः 25 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः 12 फीट चौड़ा रोड, पूर्वः विला नं. 05, पश्चिमः विला नं. 07	7.6.2022 रु. 27,01,425/–	2 जून, 2022

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को उक्त बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

तिथिः 3 सित. 2022
स्थानः कानपुर, लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362 266.
Corporate Office : 10th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East) Mumbai-400 063. Maharashtra.

DEMAND NOTICE

UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES")

The undersigned being the **Authorized officer** of **Aditya Birla Finance Limited (ABFL)** under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) **within 60 days** from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to **ABFL**, **within 60 days** from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to **ABFL** by the said Borrower's respectively.

Sr. No.	Name and Address of the Borrower(s)	Demand Notice Date & NPA Date	Total Outstanding Dues Amount
1	**1. AVINASH MISHRA, 2. VISHNU MISHRA 3. GAYATRI DEVI MISHRA,** W/o. PREM NARAYAN MISHRA **ADD. 1 :** H. No. 570/105, Virat Nagar, Alambagh, Lucknow-226 006, U. P., ▪**Mobile No.** 97948 43579, ▪**Email :** avikushol1722@gmail.com; **ADD. 2 :** House No. 570/755, Mohalla-Pakri, Ward-Geeta Palli, Khasra No. 105, Kasimpur Pakri, Pargana-Bijnour, District : Lucknow-226 005, U. P. **LAN : ABFLLNWDSB0000135298**	17th August, 2022 & 05th July, 2022	**₹ 32,57,458/- (Rs. Thirty Two Lakh Fifty Seven Thousand Four Hundred Fifty Eight Paisa Only)** as on **16th August, 2022.**

Description of Immovable property : All that piece and parcel of property House No. 570/755, Mohalla Pakri, Ward-Geeta Pali, District Lucknow situated on Khasra No. 105, Kasimpur Pakri, Pargana-Bijnour Janpad-lucknow **Admeasuring area** 825 sq. Ft. **Bounded by - ❖Boundries - ✦East :** Road 10 ft. Personal Road; **✦West :** Plot of Basant Kumar Kapoor; **✦North :** Seller Plot; **✦South :** Seller Plot.

With further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fail to make payment to **ABFL** as aforesaid, then **ABFL** shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of **ABFL**. That please note that this is a final notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that **ABFL** shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility and costs.

Sd/-
Authorised Officer
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Place : Lunknow, Uttar Pradesh
Date : 02.09.2022

फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L51103DL1980PLC299384
पंजी. कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
फोन : +91 11 23310001-05, ईमेल : hcslndl@yahoo.co.in
वेबसाईट : www.fosterengineeringltd.com

41वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

41 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि फोस्टर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के सदस्यों की 41 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7 वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को ईमेल की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आइडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीकृत हैं।

यह कम्पनी एजीएम के किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम के सूचना का प्रेषण 01.09.2022 को पूरा कर लिया गया है।।
3. रिमोट ई–वोटिंग 23.9.2022 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
4. रिमोट ई–वोटिंग 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।
5. 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. एजीएम की सूचना कम्पनी के वेबसाईट www.fosterengineeringltd.com पर भी अपलोड की गई है तथा साथ ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड (सीएसई) की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
7. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए एनएसडीएल से सम्पर्क करें, विवरणों के लिए एनएसडीएल की वेबसाईट देखें अथवा कम्पनी के आरटीए स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ईमेल : compliance@skylinerta.com से सम्पर्क करें।
8. ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 19.9.2022 निर्धारित की गई है।
9. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से 20.9.2022 से 26.09.2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

फोस्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
अरविन्द सिंह

तिथि : 1.9.2022

प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड

CIN : L27109DL1972PLC319974
पंजी. कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
फोन : +91 11 23310001-05, ईमेल : hcslndl@yahoo.co.in
वेबसाईट : www.psteelltd.com

49वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

49 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड के सदस्यों की 49 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 702, 7 वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को ईमेल की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आइडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत हैं।

यह कम्पनी एजीएम के किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम के सूचना का प्रेषण 01.09.2022 को पूरा कर लिया गया है।
3. रिमोट ई–वोटिंग 23.9.2022 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
4. रिमोट ई–वोटिंग 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।
5. 25.9.2022 को 5.00 बजे अप. के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. एजीएम की सूचना कम्पनी के वेबसाईट www.psteelltd.com पर भी अपलोड की गई है तथा साथ ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड (सीएसई) की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
7. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए एनएसडीएल से सम्पर्क करें, विवरणों के लिए एनएसडीएल की वेबसाईट देखें अथवा कम्पनी के आरटीए स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ईमेल : compliance@skylinerta.com से सम्पर्क करें।
8. ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 19.9.2022 निर्धारित की गई है।
9. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से 20.9.2022 से 26.09.2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

प्रद्युम्न स्टील्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
एम.एल. बिरमीवाला
निदेशक

तिथि : 1.9.2022
स्थान : नई दिल्ली

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. off: 59/17, Ground Floor,Bahubali Apartments, New Rohtak Road New Delhi, 110005
CIN: L65910DL1984PLC018871 **Ph.** No. 011-32963621
Website: www.associates.net.in,**Email:** associatedfinman1984@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th Day of September, 2022 at 11:00 AM at 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi, - 110005 to transact the business as set out in AGM Notice dated 01st Day of September, 2022.

The Notice convening the 38th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-2022 have been sent to the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants and have been dispatched as per the permitted mode to those members who have not registered their e-mail id's with the company/ Depository Participants on or before 02.09.2022.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013read with the rules made thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations,2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Friday, 23rd September, 2022 being cut off date, to exercise their vote on business to be transacted at the meeting of the company. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged CDSL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. E-voting period commences on Tuesday 27th September 2022 at 09:00A.M and ends on Thursday 29th September 2022 at 05:00 P.M
2. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 29th September 2022.
3. The share transfer book of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
4. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., , 23rd September, 2022, should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.
5. The notice of AGM is also available on the company's website www.associates.net.in and www.evotingindia.com .
6. In case you have queries or issues regarding e-voting, you may referthe FAQ's and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or call the toll free no. 1800225533 or send a mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com
7. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Scrutinizer's decision on the validity of the ballot shall be final.

Pursuant to the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the company by submitting ballot forms which will be distributed at the venue of the AGM.

For **Associated Finman Limited**
Sd/-
Dhiraj Gupta
Chairman & Managing Director
DIN: 02322266

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

NEWAGE MARKETING LIMITED

Regd. off: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments, New Rohtak Road New Delhi, 110005
CIN: L51909DL1984PLC018695 Website: www.newagemarketing.in,
Email: newagemarketing1984@gmail.com Ph. No. 011-28711851

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th Day of September, 2022 at 2:30 PM at 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi, - 110005 to transact the business as set out in AGM Notice dated 01st Day of September, 2022.

The Notice convening the 38th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-2022 have been sent to the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants and have been dispatched as per the permitted mode to those members who have not registered their e-mail id's with the company/ Depository Participants on or before 02.09.2022.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Friday, 23rd September, 2022 being cut off date, to exercise their vote on business to be transacted at the meeting of the company. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged NSDL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. E-voting period commences on Tuesday 27th September 2022 at 09:00A.M and ends on Thursday 29th September 2022 at 05:00 P.M.
2. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 29th September 2022.
3. The share transfer book of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
4. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 23rd September, 2022, may obtain the login Id and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in.
5. The notice of AGM is also available on the company's website www.newagemarketing.in and www.evoting.nsdl.com.
6. In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the FAQ's and e-voting manual available at download section of www.evoting.nsdl.com or call the toll free no.1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in
7. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Scrutinizer's decision on the validity of the ballot shall be final.

Pursuant to the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the company by submitting ballot forms which will be distributed at the venue of the AGM.

For **Newage Marketing Limited**
Sd/-
Manish Arora
Chairman & Managing Director
DIN: 00373026

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्य. अभि. (ई एंड एम) एचपी-II
हैदरपुर वाटर वर्क्स, दिल्ली–110085
टेली. नं. 011–27552446–47, ईमेल आईडीः eeemhp2.djb@nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संक्षिप्त प्रेस एनआईटी सं.–03(2022–23)/ईई (ईएंडएम) एचपी–II

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	हैदरपुर वाटर वर्क्स फेज–II में रोबोटिक मशीन तकनीक द्वारा जलाशय नं. 1 की सफाई।	मद दर	रु. 63550/–	निविदा आईडीः 2022_DJB_228629-1 प्रकाशन तिथि 1 सित. 2022 17.00 बजे से	15 सित. 2022 के 2.30 अप. तक

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 316 (2022–23)

हस्ता./– (आर.पी. मीना)
कार्यपालक अभियंता (ईएंडएम) एचपी–II

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग, भूखंड सं. 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001

धारा 13 (2)के अंतर्गत मांग सचूना

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ता ने अनुसूची अंतर्गत वर्णित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्न वर्णित व्यक्ति ऋणानुबंध के लिए ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता एवं गारंटर के रूप में खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, निम्न वर्णित आपके ऋण खाता को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर, संशोधितानुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचनाओं की विषयवस्तु यही है कि आप, आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक कर चुके थे। अतः, यह वर्तमान प्रकाशन जो है वह सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निमयावली 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार आप तक सूचना प्रसारण हेतु प्रकाशित किया गया है।

ऋण खाता संख्या/ खाता, ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) का नाम तथा पता	प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूति के विवरण	मांग सूचना की तिथि/ एनपीए तिथि	मांग सूचना के अनुसार देयराशि
संपत्ति के समक्ष प्रोडक्ट–ऋण **ऋण खाता संख्याः 80001302, 80003166, 80003618, MINACS0254301, 80003620, MINACS0254601** **1. अरोड़ा सर्किट बोर्ड,** स्वामी श्री दक्ष अरोड़ा के माध्यम से, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 4/13, साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 यहां पर भीः एस–149, तृतीय तल, ब्लॉक–एस, जी. के.–I, नई दिल्ली–110048 **2. वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स,** स्वामी श्री अरुण अरोड़ा के माध्यम से, 4/13, साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र, पानी की टंकी के पास, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 यहां पर भीः एस–149, तृतीय तल, ब्लॉक–एस, जी. के.–I, नई दिल्ली–110048 **3. सुश्री नीरज अरोड़ा,** बी–15/653ए, ब्लॉक बी, गणेश नगर–II, शकरपुर, दिल्ली–110092 यहां पर भीः एस–149, तृतीय तल, ब्लॉक–एस, जी.के.–I, नई दिल्ली–110048 **4. अरुण अरोड़ा,** डी–280, आनंद विहार, शकरपुर बरमाड, शकरपुर, दिल्ली–110092 यहां पर भीः एस–149, तृतीय तल, ब्लॉक–एस, जी. के.–I, नई दिल्ली–110048 **5. दक्ष अरोड़ा,** डी–280, आनंद विहार, शकरपुर, बरमाड, शकरपुर, दिल्ली–110092 यहां पर भीः एस–149, तृतीय तल, ब्लॉक–एस, जी. के.–I, नई दिल्ली–110048	संपत्ति "एस–149, तृतीय तल (छताधिकारों के साथ), ब्लॉक–एस, जी.के.–I, नई दिल्ली–110048 " के समस्त वह भाग तथा अंश	23.08.2022 एनपीए 29.07.2022	**रु. 3,51,70,364/– (रुपये तीन करोड़ इक्यावन लाख सत्तर हजार तीन सौ चौंसठ मात्र) अर्थात् रु. 72,17,996/–** (रुपये बहत्तर लाख सत्रह हजार नौ सौ छियानबे मात्र) **अरोड़ा सर्किट** बोर्ड के ऋण खाता के लिए, **रु. 2,01,28,359/–** (रुपये दो करोड़ एक लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ उनसठ मात्र) **नीरज अरोड़ा** के ऋण खातों के लिए और रु. 78,24,009/– (रुपये अट्ठहत्तर लाख चौबीस हजार नौ मात्र) वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स, के ऋण खातों के लिए, दिनांक 16.08.22 तक बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) (टीडीएस को छोड़कर) और ब्याज के माध्यम से

आपको एतद्द्वारा **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सूचना की तिथि से 60 दिवसों की अवधि के अंदर ब्याज एवं लागत के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। भुगतान करने में विफल रहने पर **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** समस्त अथवा किसी एक अथवा एकाधिक प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कार्रवाई करेगी, जिस कार्रवाई में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर आधिपत्य ग्रहण करना सम्मिलित होगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हैं– (1) प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए विक्रय के समनुदेशन, पट्टा के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित ऋणकर्ताओं/गारंटरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर आधिपत्य ग्रहण करने की शक्ति, (2) पट्टा, समनुदेशन के माध्यम से अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने के अधिकारों सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन हाथ में लेना और प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा किया जानेवाला प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, समस्त अधिकारों एवं हस्तांतरित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतद्द्वारा उपरोक्त संदर्भित तथा **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** के पास दृष्टिबंधककृत/बंधककृत किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना, विक्रय या पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 03.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

सीआईएनः L14106UP1995PLC019017
पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर 128, नोएडा–201 304, उत्तर प्रदेश, भारत **दूरभाषः** +91 (120) 2470800,
दिल्ली कार्यालयः 'जेए हाउस', 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110 057
दूरभाषः +91 (11) 49828500, **फैक्सः** +91 (11) 26145389
कॉर्पोरेट कार्यालयः 64/4, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, जिला– गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश,
दूरभाषः +91 (0120) 4963100, 4964100 वेबसाइटः www.jalindia.com;
ई–मेलः jal.investor@jalindia.co.in

25वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी तथा बहीबन्दी आदि की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को अपराह्न 3.30 बजे ,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 5 मई, 2022 के परिपत्र के साथ पठित परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 के द्वारा अनुमत अनुसार, सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना,एजीएम नोटिस दिनांक 10 अगस्त, 2022 में निर्धारित कार्यवाहियों को निष्पादित करने के लिए आयोजित होने वाली है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए सूचना और निर्देशों को नोटिस की टिप्पणी में समझाया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेज को डाउनलोड करने के लिए लिंक वाले ईमेल संचार को 1 सितंबर, 2022 को कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनके ईमेल पते 26 अगस्त, 2022 तक कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। यह कंपनी के वेबलिंक http://jalindia.com/annualreports/ Annual_Report_for_the_Year2021-22.pdf पर उपलब्ध हैं, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ (इंडिया) लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित प्रासंगिक नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी कट–ऑफ तारीख यानी 16 दिसंबर, 2022 तक भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को एजीएम की तारीख से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ("रिमोट ई–वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग ("ई–वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने में प्रसन्नता का अनुभव करती है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

i एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाहियों को निष्पादित रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जा सकता है,
ii रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 21 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी,
iii रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (शाम 5.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी,
iv रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि शुक्रवार 16 सितंबर, 2022 होगी,
v सदस्य ध्यान दें किय क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ख) सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट फिर से डालने का हकदार नहीं होंगे, ग) 25वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने का हकदार होगा, और घ) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
vi वोटिंग अधिकार (रिमोट ई–वोटिंगध्एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के जरिए वोटिंग के लिए) की गणना कट–ऑफ तारीख को कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयर के चुकता मूल्यों पर की जाएगी।
vii ई–वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई–वोटिंग में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, आप www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध **फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू")** और ई–वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या अथवा श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को लिखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें अथवा टोल फ्री नंबर 1800225533 पर कॉल करें।
viii. शेयरधारक जो अपना ईमेल पता/बैंक खाता अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

अभौतिक धारिताः	अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण रजिस्टर/अपडेट करें।
भौतिक धारिताः	आरटीए (मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड) के साथ निर्धारित फॉर्म नंबर आईएसआर –1 और अन्य फॉर्म में विवरण info@alankit.com पर रजिस्टर/अपडेट करें। सदस्य कंपनी की वेबसाइट http:// jalindia.com/investor-servicer-request.html से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

(ix) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसार एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें **गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 से शनिवार, 24 सितबंर, 2022** (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए
संदीप सभरवाल
उपाध्यक्ष एवं कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एसीएस 8370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.09.2022

पश्चिम मध्य रेल

इंजीनियरिंग विभाग, खुली निविदा, दिनांक 30.08.2022

निम्नलिखित कार्य के लिये ई–निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना क्रमांक**– डी.आर.एम. डब्ल्यू– जे.बी.पी.–138–2022, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**– सहायक मंडल इंजीनियर ब्यौहारी उप मंडल के अधीन दो विभिन्न कार्य के बचा हुआ कार्यः **पार्ट एः** रेलवे साइडिंग बरगवाँ के लिये डस्ट प्रोटेक्शन वाल की डिजाइन, सप्लाई एवं इन्स्टालेशन का कार्य। **पार्ट बी**– रेलवे साइडिंग गोंडावली के लिये डस्ट प्रोटेक्शन वाल की डिजाइन, सप्लाई एवं इन्स्टालेशन का कार्य। **कार्य का अनुमानित मूल्य रूपये**– 1,27,36,615/–, **बयाना राशि रूपये**– 2,13,700/–, **समापन अवधि**– 03 माह, **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 15:00 बजे तक**– 15.09.2022, **निविदा खुलने का समय 15:15 बजे तिथि**– 15.09.2022, उपरोक्त ई–निविदा संपूर्ण जानकारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई–निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं कि जाएगी।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

कोरोना को है हराना, तो टीकाकरण जरूर कराना

एड्सरीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 148, ब्लॉक–21, सेक्टर–24, रोहिणी, दिल्ली–110085
CIN: U70100DL2009PTC187845, **सम्पर्क नं.** 9812022197,
ईमेल आईडीः dsp1997pnp@gmail.com

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

एड्स रीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लॉट नं. 148, ब्लॉक–21, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली–110085 में है,** आवेदक, के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली''** से **''हरियाणा राज्य''** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
एड्स रीअल ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली	हस्ता./–	हस्ता./–
तिथिः 2.9.2022	अतुल मित्तल	नितेश मित्तल
	निदेशक	निदेशक
	DIN: 03580971	DIN: 03580978

मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी–8/46, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085
CIN: U51909DL2007PTC163043, ई–मेल आईडीः macnor@yahoo.co.in

फॉर्म नं. आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी–8/46, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085 है, के मामले में ...... याचिकाकर्ता**

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 25" अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, 2वीं पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के उपरोक्त दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
मैक्नोर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता /	हस्ता /
सतीश कुमार	मंजीत दलाल
(निदेशक)	(निदेशक)
डीआईएन : 01234244	डीआईएनः 01238623

दिनांकः 02.09.2022
स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN : U32109DL2002PTC117789)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **सी–41, गली नं.03, नांगली विहार एक्सटेंशन, बपरोला, दिल्ली–110043** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **30 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

सी–41, गली नं.03, नांगली विहार एक्सटेंशन, बपरोला, दिल्ली–110043

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–

दिनांक: 02.09.2022 बीरेन्द्र कुमार (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 00740414

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: L31104DL1989PLC362504
पंजी. कार्यालयः 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली–110017
फोन नं.: 011–41834411/41834111, **ई–मेलः** info@jmg-corp.in, **वेबसाइटः** www.jmg-corp.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, जिसने सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड (सामूहिक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित) में भेजने की अनुमति दी है, के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की 33वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 12:00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 574, द्वितीय तल, मेन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली–110017 माना जाएगा।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, 33वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 21 सितंबर, 2022 से मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।
सदस्य यह भी नोट करें कि कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई–वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएगी ताकि उसके सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 को 'कट–ऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।
सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 24 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे) (भा.मा.स.) से शुरू होगी और सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (5:00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ई–वोटिंग प्रणाली प्रदान करेगी।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें। सदस्य कंपनी को info@jmg-corp.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में भी दी गयी है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नियत समय में कंपनी की वेबसाइट www.jmg-corp.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और समय–समय पर जारी सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ह./–
निशा कुमारी
(कंपनी सचिव)

दिनांकः 02 सितंबर, 2022
स्थानः नई दिल्ली

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED

(Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited)
Regd. Office : Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
CIN: L40300RJ1985PLC047105, **Email Id: globuscdl@gmail.com**
Website: www.gpgl.in

NOTICE OF THE THIRTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Seventh Annual General Meeting (AGM) of **Globus Power Generation Limited** (Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited) **(Company)** will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:30 A.M. through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in compliance of MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with the circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; and 19/2021 dated December 08, 2021 and SEBI Circular dated May 12, 2020 and May 13, 2022, without the physical presence of the Members at common place.

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, since there is no requirement of sending physical copies of Annual Report to the Members of the Company, the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the Notice of 37th AGM have been sent through e-mail to all the Members of the Company on Friday, September 2, 2022 whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 26, 2022 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. /Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report is also available on Company's Website at **www.gpgl.in**, and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com.**

The Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members of the Company and Transfer Books will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive).

Voting through Electronic Mode – In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, holding Equity shares in dematerialized or physical form as on September 20, 2022 (Cut off date), the facility to exercise their voting rights in electronic mode in the following manner in respect of the businesses proposed to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by NSDL.

- **Remote e-voting:** The Remote e-voting period will commence on Saturday, September 24, 2022 at 9:00 A.M. and end on Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond said period.
- **E-voting at the AGM:** The facility of remote e-voting shall also be available at the AGM to those members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the meeting through VC/OAVM.

Further, the manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized form, physical form & Members who have not registered their e-mail id, instructions and procedure related to login id and password for e-voting are provided in the Notice of AGM.

Any Person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice and holds shares as on cut off date i.e September 20, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** . However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting vote.

Manner of registering/updating e-mail addresses

(a) **Shares Held in physical Form:** Please send the PAN and KYC details to the Company's Registrar and transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Complex, New Delhi -110062 or email at **beetalrta@gmail.com** in duly filed and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with other relevant Forms and documents. The Company has already sent letters to the Shareholders for furnishing the required details as per SEBI Circular :SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 03, 2021.

(b) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your Depository Participant(s) to register/ update your e-mail address as per the process advise by your Depository Participant(s).

Members are requested to read carefully all the notes/ instruction set out in the Notice of AGM including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company, having phone number 011-41411071 or email at **globus@gmail.com** or to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at email id **beetalrta@gmail.com** or call at 011-29961281/82.

By Order of the Board
For **Globus Power Generation Limited**
(Formerly known as Globus Constructors and Developers Limited)
Sd/-
Abhay Khanna
Director

Date: 2nd September, 2022
Place: New Delhi

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज़ लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी–09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110088
टेलीः 011–45058963, **CIN: L74899DL1994PLC057507**
ई–मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट **www.brilliantportfolios.com**

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, किताबबंदी और रिमोट ई– वोटिंग पर जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक रविवार, 25 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

एमसीए और सेबी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, 01 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी वेबसाइट **www.brilliantportfolios.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। एजीएम के दौरान ई–वोटिंग/एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में प्रदान की जाएगी। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार की मदों से संबंधित दस्तावेज **www.brilliantportfolios.com** पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए निर्देशः

i) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, जैसा कि संशोधित है और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के अनुसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को एनएसडीएल के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है। एजीएम की कार्यवाही के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका और निर्देश नोटिस में प्रदान किया गया है।

ii) जिन शेयरधारकों के नाम कट–ऑफ तारीख यानी रविवार, 18 सितंबर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर किसी भी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि, यानी रविवार, 18 सितंबर, 2022 को शेयरधारक नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य से नोटिस को समझना चाहिए।

iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम की कार्यवाही के दौरान अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के पात्र होंगे। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले शेयरधारक भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन एजीएम की कार्यवाही के दौरान फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

iv) सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुवर्ती सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 19 सितंबर, 2022 से रविवार, 25 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण नीचे दिया गया हैः

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022–23058738 या 022–23058542–43 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज़ लिमिटेड
ह./–
(आशीष)
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 02.09.2022

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड

(पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित)
701, 7वीं मंजिल, अंसल भवन बिल्डिंग, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001
सीआईएनः U74899DL1994PLC062140, दूरभाषः 011–43587500
ईमेल आईडीः complianceofficer@shreeyamsecurities.com
वेबसाइटः www.shreeyamsecurities.com

सार्वजनिक सूचना

सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधक पंजीकरण का समर्पण

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित), सेबी पंजीकरण संख्या INP000001454, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक), विनियमनों के तहत एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।
व्यावसायिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के तहत सेबी पंजीकरण को वापस कर रहा है। इसके मद्देनजर, कोई भी पीड़ित पक्ष इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी और/या सेबी के समक्ष समर्पण के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन दे सकता है।
सेबी पंजीकरण संख्याः INP000001454
सेबी के साथ मध्यस्थ की श्रेणीः पोर्टफोलियो प्रबंधक

कृते श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता /
दीपिका सिंघवी
(कंपनी सचिव)

दिनांकः 02 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड

(पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित)
701, 7वीं मंजिल, अंसल भवन बिल्डिंग, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली–110001
सीआईएनः U74899DL1994PLC062140, दूरभाषः 011–43587500
ईमेल आईडीः complianceofficer@shreeyamsecurities.com
वेबसाइटः www.shreeyamsecurities.com

सार्वजनिक सूचना

सेबी मर्चेंट बैंकिंग पंजीकरण का समर्पण

श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड के रूप में प्रचलित), सेबी पंजीकरण संख्या INM000010726, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स), विनियमनों के तहत एक मर्चेंट बैंकर के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।
व्यावसायिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड, मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के तहत सेबी पंजीकरण को वापस कर रहा है। इसके मद्देनजर, कोई भी पीड़ित पक्ष इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर कंपनी और/या सेबी के समक्ष समर्पण के खिलाफ कोई भी अभ्यावेदन दे सकता है।
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000010726
सेबी के साथ मध्यस्थ की श्रेणीः मर्चेंट बैंकर

कृते श्रीयम सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता /
दीपिका सिंघवी
(कंपनी सचिव)

दिनांकः 02 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

पश्चिम मध्य रेल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अभिव्यक्ति की अभिरूचि

रेल परिसर के सौंदर्यीकरण में आपकी भागीदारी!

रेलवे क्षेत्र/स्टेशन अप्रोच के सौंदर्यीकरण हेतु पश्चिम मध्य रेल के • भरतपुर • बयाना • सवाईमाधोपुर • श्रीमहावीर जी • कोटा • भवानीमंडी • चौमहला • सुवासरा • विक्रमगढ़ आलोट • महिदपुर • बून्दी • मांडलगढ़ • बारां • छबड़ा गुगोर एवं सालपुरा स्टेशनों के लिए अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमंत्रित की जाती है।

ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि
12.09.2022 को 15:30 बजे तक है।
वरि. मण्डल इंजीनियर (समन्वय)मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, कोटा

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।

इस योजना से सम्बंधित किसी अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें:
9001017211, 9001017202

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट - https://wcr.indianrailways.gov.in पर जायें।

@wc_railway @wc_railway @wc_railway West Central Railway

जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड

[CIN No. L17111UP1974PLC003979]
पंजीकृत कार्यालयः 19वाँ कि.मी., हापुर–बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश–203408
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, फैक्सः (011) 40322129
टेली.: 011–40322100, ई–मेलः cs_jpoly@jindalgroup.com,
वेबसाईटः www.jindalpoly.com

सार्वजनिक सूचना : 48 वीं वार्षिक आम सभा

सूचित किया जाता है कि जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 48वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 तिथि 13 मई, 2022 के साथ पठित पूर्व वर्षों में इस संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर्स 2/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा अन्य सर्क्युलर्स (यहाँ के बाद सामूहिक रूप से सर्क्युलर्स' वर्णित) के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 3.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी।

उक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई–एजीएम तथा ई–वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रक्रिया से शामिल एजीएम की सूचना नियत समय पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सदस्यों को भेजी आएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं तथा साथ ही वह कम्पनी की वेबसाईट www.jindalpoly.com तथा स्टॉक एम्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएसई) www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड www. bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के द्वारा ही एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई–वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रक्रिया के साथ उसके विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी, अतः सदस्यों से आग्रह है कि निम्न प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

भौतिक धारिता	जिन सदस्यों ने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त करने के लिये ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्वतः सत्यापित–प्रति तथा उनके ईमेल पते के पंजीकरण तथा उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम सूचना तथा ई–वोटिंग निर्देशों को प्राप्त करने के लिये शेयर प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्केन की गई प्रति के साथ लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज कर अपना ईमेल पता पंजीकृत अद्यतन करा लें।
भौतिक धारिता	अपने संबंधित डीपी के परामर्श से प्रक्रिया के अनुसार अपनी डिमैट खाता में विवरणों को पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह एमसीए परिपत्र (त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

कृते जिन्दल पॉली फिल्म्स लिमिटेड
ह./–
सुनीत माहेश्वरी
(कम्पनी सचिव)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 02.09.2022

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

ब्लोजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**ब्लोजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	5.4.2005
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय–आरओसी–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान सं.	U45201DL2005PTC134717
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	43, कम्युनिटी सेन्टर, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	29.8.2022
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	सुश्री सीमा सालवान पताः 47, पूसा रोड, भूतल, मेट्रो पिलर 131, टेलीफोन एक्सचैंज के बगल में नई दिल्ली–110005 ईमेल आईडी : seemasalwan.advocate@gmail.com पत्राचार के लिए ईमेल पता : liquidator.bipl@gmail.com टेलीफोन नम्बरः 8130700079; 011-40622233 पंजी. संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00779/2019-2020/12478
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	28.09.2022

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है ब्लोजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड ने 29.08.2022 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा ब्लोजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 28.09.2022 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
सुश्री सीमा सालवान
परिसमापक
ब्लोजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00779/2019-2020/12478
एएफए की वैधता – 29.07.2023

तिथिः 3.9.2022
स्थानः नई दिल्ली

केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN:U23209DL1974PLC029068
पंजी. कार्यालयः 212ए, 216 एवं 222, 2रा तल, 'इन्द्रप्रकाश', 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन :+91–11–43579200, फैक्स :+91–11–23355824
ईमेल : info@kplintl.com, वेबसाइट : www.kplintl.com

वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 11.30 बजे पूर्वा., में कम्पनी के **पंजी. कार्यालय : 212ए, 216 एवं 222, 2रा तल, 'इन्द्रप्रकाश', 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001** में आयोजित की जाएगी जिसमें **कम्पनी के सदस्यों को भेजी जा रही सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा।**

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./–
करिश्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3.9.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SKYLINE INDIA LIMITED

Regd. Off.: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 India
CIN: L51909DL1996PLC075875 Website: www.skylineindia.co.in,
Email: skylineindia96@gmail.com, Ph: 011-23541110

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:00 A.M. at 1E/4, JHANDEWALAN EXTENSION, NEW DELHI 110055 INDIA to transact the business as set out in AGM Notice dated 01st September 2022. The Notice convening the 26th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-2022 have been sent to the members electronically to the e-mail ID registered by them with the Company/ Depository Participants and have been dispatched as per the permitted mode to those members who have not registered their e-mail id's with the company/ Depository Participants on or before 02.09.2022.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereof and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Friday, 23rd September, 2022 being cut off date, to exercise their vote on business to be transacted at the meeting of the company. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other than that the venue of the meeting (e-voting). The company has engaged CDSL provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. E-voting period commences on Tuesday 27th September 2022 at 09:00 A.M and ends on Thursday 29th September 2022 at 05:00 P.M
2. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on 29th September 2022.
3. The share transfer book of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
4. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut off date i.e., 23rd September, 2022, should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.
5. The notice of AGM is also available on the company's website www.skylineindia.co.in and www.evotingindia.com
6. In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the FAQ's and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or call the toll free no. 1800225533 or send a mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com
7. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Scrutinizer's decision on the validity of the ballot shall be final.

Pursuant to the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the company by submitting ballot forms which will be distributed at the venue of the AGM.

For **Skyline India Limited**
Sd/-
Rajesh Kumar Sanghi
Chairman & Managing Director
DIN: 00482040

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
शाखा कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कसारवादावाली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–400607 (महाराष्ट्र)

मांग सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत)
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना की वैकल्पिक सेवा

एतद्द्वारा निम्न वर्णितानुसार ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि, चूंकि उन्होंने आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के प्रतिभुगतान में चूक की है, इसीलिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की बहियों में उनके ऋण खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसके उपरांत, एबीएचएफएल ने उक्त ऋणकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उनसे उक्त मांग सूचनाओं में उल्लेखितानुसार उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ संपूर्ण बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए कहा गया था और उनसे मांग की गई थी। हालांकि मांग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (सरफॉएसि नियमावली) के नियम 3 के अनुसार प्रकाशन के माध्यम से भी प्रसारित की जा रही हैः

क्र. सं.	ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता एवं गारंटर/सह–गारंटर का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार/तिथि के अनुसार देयराशि
1.	**1. राजेश जैन** फ्लैट नंबर 9, जीएफ हंस विहार, सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085 **यहां पर भीः** शांति निवास राम रे गेट जींद, हरियाणा–126102, **यहां पर भीः निदेशक जे. टेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड** 410, इरोज अपार्टमेंट 56, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019, **2. अर्चना जैन** फ्लैट नंबर 9, एसएफ हंस विहार, सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली–110085, यहां पर भीः निदेशक जे. टेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 410, इरोज अपार्टमेंट 56, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019, **3. जे. टेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड** 410, इरोज अपार्टमेंट 56, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 **ऋण खाता संख्या** LNDELPHL-02150023046	04.07.2022	30.08.2022	रु. 1,25,20,778.72/– (रुपए एक करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार सात सौ अट्ठहत्तर एवं बहत्तर पैसे मात्र) 31.08.2022 तक बकाया मूलधन, बकायों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) एवं ब्याज के माध्यम से

अचल संपत्ति/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः फ्लैट सं. आई–2201 के समस्त वह भाग तथा अंश जो 22वें तल पर, क्लाउड–9, वैशाली में, क्षेत्र माप अधिक्षेत्र 2300 वर्ग फुट, भूखंड सं. आरसी–1/2, सेक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं

हम एतद्द्वारा यहां इसमें उल्लिखित ऋणकर्ता को बकाया राशि(यों) का राशि पर आकलित भावी ब्याज और लागत, शुल्कों, व्ययों, इत्यादि के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान करने में विफल रहने पर हम प्रतिभूति हित प्रवर्तित करने को स्वतंत्र होंगे, जिसमें लागत एवं परिणामों से संबंधित संपूर्ण रूप में आपके जोखिम पर प्रतिभूत परिसंपत्ति का आधिपत्य ग्रहण करने एवं उसका विक्रय करने की स्वतंत्रता सम्मिलित होगी और यह स्वतंत्रता यहीं तक सीमित नहीं होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप सभी को प्रतिबंधित किया जाता है कि आप कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। और यदि आपके द्वारा उक्त धारा का कोई उल्लंघन किया जाता है तो आपको सरफॉएसि अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निर्धारितानुसार दांडिक प्रावधानों के अनुसार तथा/अथवा इस संबंध में उपलब्ध किसी अन्य विधिक प्रावधान के अनुसार तलब किया जाएगा।
कृपया ध्यान रखें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल की बकाया देयराशियों का एबीएचएफएल द्वारा उपगत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ मिलाकर, विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय एबीएचएफएल को भुगतान कर दिया जाता है तो एबीएचएफएल द्वारा प्रतिभूति परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण अथवा विक्रय हेतु कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 03.09.2022 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गाजियाबाद, उ.प्र. **(आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)**

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

POONAWALLA HOUSING FINANCE — Apna Ghar, Apni Pehchaan
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों ने मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. ''एमएचएफएल'' अब नवनामित पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. ''पीएचएफएल'' से अपनी अचल संपत्ति/यों को बंधक रखकर संपत्तिगत सुविधा(ओं) के समक्ष आवास ऋण/ऋणानेक प्राप्त किए हैं। आपने प्रतिभुगतान में चूक की है और इसीलिए आपके ऋण/ऋणानेक खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना जो है वह बकाया धनराशियों की वसूली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई है। अतः, उस सूचना की विषयवस्तु को, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उपाय द्वारा, यहां इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।
ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

क्र. सं.	ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता, गारंटर के नाम तथा ऋण राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	मांग सूचना तिथि	देय राशि (रु.) में
1.	सुखवीर सिंह, विमलेश देवी ऋण राशिः रु. 1500000/- ऋण सं.: HF/0179/H/19/100101	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो स्वामित्वधारक आवासीय भूखंड सं. 89 के रूप में हैं, जिसकी माप 150 वर्ग गज है, जो मुस्तिल नं. 21 किला नं. 10 में से है, जो मौजा नांगला गुजरां, तहसील बढखल, जनपद फरीदाबाद में स्थित और जो भूखंड/मकान इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– शेष भाग, उत्तर– भूखंड सं. 80, पश्चिम– 15 फुट रास्ता, दक्षिण– दीगर	13.07.2022	रु. 1603421.43 (रुपए सोलह लाख तीन हजार चार सौ इक्कीस एवं तैतालिस पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 15.50% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
2.	अजीत सिंह, पवना रानी, अजय सिंह, अजय बेकरी ऋण राशिः रु. 4030000/- ऋण सं.: HL/0245/H/14/100018	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो भूखंड सं. 84 के रूप में हैं, जिसकी क्षेत्र माप 112.50 वर्ग मीटर है, जो ब्लॉक–ए, सेक्टर–47, नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर (यूपी) में स्थित है	14.07.2022	रु. 2333265/- (रुपए तेईस लाख तैंतीस हजार दो सौ पैंसठ मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 14.30% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ
3.	सुभाष, सरिता सुभाष ऋण राशिः रु. 1430500/- ऋण सं.: HF/0094/H/20/100038	बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो भूखंड सं. 26/3 के रूप में है, जो खसरा सं. 366/1 पर, क्षेत्र माप 109.62 वर्ग मीटर, बृज बिहारी कॉलोनी, मौजा उखर्रा, तहसील एवं जनपद आगरा में स्थित हैं और भूखंड इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम– अन्य संपत्ति, उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– अन्य संपत्ति	22.07.2022	रु. 1560500.65 (रुपए पंद्रह लाख साठ हजार पांच सौ एवं पैंसठ पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 9.90% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ

अतः आप ऋणकर्ता/ओं तथा सह–ऋणकर्ता/ओं/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर यहां इसमें उपरोक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगी गई राशि का पूर्ण भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूति/यों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य–विवश होंगे। कृपया ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इस बीच प्रतिबंधित किया जाता है कि आप हमारी सहमति के बिना ऊपर–संदर्भित प्रतिभूतियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

स्थानः फरीदाबाद, नोएडा, आगरा **कृते पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
दिनांकः 03.09.2022 **(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)**
प्राधिकृत कार्यालय

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013,
शाखा पताः 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

ऋण खाता सं. 7899180 एवं टीसीएफएलए0386000010952662: श्री अशोक जैन

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत ऋणदाता/टीसीएफएसएल) के पास बंधक रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) (2002 की सं. 54) की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा ले लिया गया है। निम्नलिखित अचल संपत्तियों का विक्रय दिनांक 27 सितंबर 2022 को ''जैसी है जहां है आधार'' और ''जैसी है जो है एवं वहां जो कुछ भी है एवं बिना संसाधन आधार'' पर किया जाएगा।

चूंकि प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय जो है वह प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है तथा चूंकि यहां उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों अर्थात् 1. अशोक जैन, मकान संख्या सी–7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110034, यहां पर भीः मकान संख्या 106/12, खसरा संख्या 106/12 (1–00), ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क, दिल्ली–110041, 2. अंजू जैन, मकान संख्या सी–7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110034, यहां पर भीः 11869/9, संत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, यहां पर भीः मकान संख्या 106/12, खसरा संख्या 106/12(1–00), ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क, दिल्ली–110041, 3. मैसर्स अशोका इंडस्ट्री, अपने स्वामी के माध्यम से, सी–7/298, केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110034 की ओर से धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के द्वारा मांगकृत 04.10.2021 के अनुसार ऋण खाता सं. 7899180 एवं टीसीएफएलए0386000010952662 द्वारा रु. 63,12,434/– (रुपए तिरेसठ लाख बारह हजार चार सौ चौंतीस मात्र) की एक राशि देय–भुगतेय थी।

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन के नहीं होने की स्थिति में, उक्त संपत्तियों का विक्रय, टीसीएफएसएल जिसका शाखा कार्यालय 7वां तल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में स्थित है, द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से उक्त दिनांक 27 सितंबर 2022 को अप. 2.00 बजे किया जाएगा। धराज डिमांड ड्राफ्ट के साथ संपत्तियों के क्रयार्थ मोहरबंद ई–नीलामी को टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त 26 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि धराज (रु.)
भूखंड संख्या 106/12, नयी संख्या 106/12सी, भूमि का अंश माप 425 वर्ग गज, जो कुल क्षेत्र माप 1 बीघा में से, खसरा संख्या 106/12 (1–00) में से है, जो ग्राम मुंडका, स्वर्ण पार्क के रूप में अभिज्ञात कॉलोनी, दिल्ली–110041 में स्थित है, जिसका अधिक विशिष्टतापूर्ण विवरण विक्रय विलेख दिनांकित 13.04.2004 में किया गया है जो अंजू जैन के पक्ष में निष्पादित है, भूखंड इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– भूखंड का भाग, पश्चिम– अन्य की संपत्ति, उत्तर– सड़क, दक्षिण– अन्य की संपत्ति	भौतिक	रु. 1,38,60,000/– (रुपए एक करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार मात्र)	रु. 13,86,000/– (रुपए तेरह लाख छियासी हजार मात्र)

संपत्ति का विवरण जिसे विक्रय हेतु रखा जाएगा, वह अनुसूची में दिया गया है। विक्रय को तब रोक दिया जाएगा जब उपर्युक्तानुसार देयराशि, ब्याज एवं लागतों का (विक्रय की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' को भुगतान कर दिया जाएगा अथवा उनके संतोषार्थ यह साक्ष्य दे दिया जाएगा कि ऐसे प्रतिभूत ऋण की राशि, ब्याज और लागतों का भुगतान कर दिया गया है। विक्रय कार्यवाही में, सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जिसकी इस विक्रय के संबंध में कोई ड्यूटी निर्धारित है, वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में बोलीदान नहीं कर सकेगा, बेची गई संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं कर सकेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकेगा। विक्रय जो होगा वह सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगा। ई–नीलामी जो होगी वह 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ 27 सितंबर 2022 को अप. 2.00 बजे से लेकर 3.00 बजे के मध्य पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से संचालित होगी। संपत्ति के क्रयार्थ जमा की गई सभी बोलियों के साथ, ऊपर वर्णितानुसार धरोहर राशि, **''टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.''** के पक्ष में आहरित दिल्ली में भुगतानयोग्य एक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न करनी होगी। संपत्ति का निरीक्षण 09.09.2022 को 11.00 बजे से लेकर 5.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।

टिप्पणीः इच्छुक बोलीदातागण प्राधिकृत अधिकारी श्री अयान भट्टाचार्य/श्री देवराज सिंह को ईमेल आईडी Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com/Devraj.Singh@tatacapital.com और उनके मोबाइल नं. 91 9289724441/9999316585 पर संपर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf में उपलब्ध लिंक का संदर्भ लें अथवा प्राधिकृत अधिकारी या सेवा प्रदाता–मैसर्स 4क्लोजर से संपर्क करें।

दिनांकः 03.09.2022, स्थानः दिल्ली **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)
सिंडिकेट Syndicate

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस

क्र. सं.	शाखा	ऋणी/गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	स्पीड /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीखः 27.08.2022
1.	पीलीभीत शाखा	1.श्री काशिफ हसन पुत्र श्री नसीम अहमद, मौहल्ला हविबुल्लाह खान, ज़ानुबी पुलिया, बीसलपुर, जिला पीलीभीत 2.श्री जुनैद अकबर पुत्र श्री नसीम अहमद, मौहल्ला हविबुल्लाह खान, ज़ानुबी पुलिया,बीसलपुर, जिला पीलीभीत इसके अलावा 3. श्री काशिफ हसन पुत्र श्री नसीम अहमद, दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत 4. श्री जुनैद अकबर पुत्र श्री नसीम अहमद, दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत	दुकान स्थित वार्ड नंबर 26, मौहल्ला केसरी सिंह, पीलीभीत, क्षेत्रफल 11.21 वर्गमीटर, संपत्ति श्री काशिफ हसन और श्री जुनैद अकबर दोनों पुत्र श्री नसीम अहमद के नाम, सीमायेंः—उत्तरः विक्रेता की दुकान, दक्षिणः दानिश की दुकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः शरफुद्दीन के एलआरएस का प्लॉट	डिमांड नोटिस की तारीखः 25.08.2022 नोटिस के अनुसार देय राशि रु0 1215144.00 + ब्याज व अन्य खर्चे from 01.08.2022 in Working Capital , from 23.08.2022 in TL1, from 28.07.2022 in TL2

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग/कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया/ लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप मे अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते है
आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

दिनांक 01.09.2022 स्थान : पीलीभीत प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

सिलवराडो इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U70100DL2011PTC215619)
जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी gaurav.kumar@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
गुलशन नागपाल
निदेशक
DIN: 00461209

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एसएनएसपी डिवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U45400DL2007PTC164449)
जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "**एनसीटी ऑफ दिल्ली**" से "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
युक्ति नागपाल
निदेशक
DIN: 02878920

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674
Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka New Delhi - 110067
Email:-compliance@gogiacap.com, Website:- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418888

NOTICE

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting (AGM), of members of Gogia Capital Services Limited will be held on Friday, 30th September 2022 at 10:30 A.M. at The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka, Delhi-110067, to transact the businesses given in Notice.

The copy of Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map are being sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2021-2022 will also be available on company's website www.gogiacap.com.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and as per Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September 2022 to Friday, 30th September 2022 (both days inclusive).

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at AGM is 21st September 2022.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 27th September, 2022 (9.00 am) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (5.00 pm), after which e-voting will not be allowed.

The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM Venue to the members who did not cast their votes through e-voting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

For Gogia Capital Services Limited
SD/-
Satish Gogia
Managing Director

Place: Delhi
Date: 03.09.2022

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in **Website:** www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported to be lost/misplaced/stolen and the registered shareholder/claimant therefore has requested the Company for issuance of duplicate share certificate in lieu of lost share certificate:

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos. (From - To)
0013369	SITARA DEVI jointly with SUDARSHAN AGRAWAL	16221	100	2948441-2948540

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share certificate should lodge the claim in writing with us at the above mentioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said share certificate and shall proceed to issue the duplicate share certificate pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(Nikita Chadha)
Company Secretary
Memb. No. FCS10121

New Delhi,
September 2, 2022.

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

CIN No. L74899DL1985PLC020194
Regd. Office: 4883-4884, Second Floor, Main Road,Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006
Phone No.: 011-23953204/23392222
Email: amarnath01finance@gmail.com
www.sriamarnathfinance.in

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Members of SRI AMARNATH FINANCE LIMITED will be held on Saturday, 24th day of September, 2022 at 10:00 A.M. at "**NISKAM SANKIRTAN MANDAL",19/31-32, MOTI NAGAR (BHAGAT DES RAJ CHANNA MARG), NEW DELHI-110015** to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM for Financial Year 2021-22 on September 02, 2022 through electronic mode to the members whose 'email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2021-22 is available and can be downloaded from the Company's website (www.sriamarnathfinance.in)

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014("the Rules') including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Saturday, 17th September, 2022 ("Cut-off date").

The remote E-Voting period commences on Wednesday, 21st September, 2022 (9:00 am) and ends on Saturday, 24th September, 2022 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September, 2022 to Saturday, 24th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM of 'the Company. .

'Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date ie. 17th September, 2022 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz www.sriamarnathfinance.in, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM Members are also informed that In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available at the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800222990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at the designated e-mail ids: evoting@nsdl.co.in or AmanG@nsdl.co.in or at telephone no. 022-24994545/1800-222-990.

For Sri Amarnath Finance Limited
Rakesh Kapoor
Managing Director
DIN:00216016

Date: 02.09.2022
Place: Delhi

SHYAM TELECOM LIMITED

Regd. Office : Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021, Rajasthan, India Ph.: 91-141-5100343, Fax: 91-141-5100310
Corp Office: A-60, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028
Ph.: 91-11-41411071/72, Fax: 91-11-25792194
Website : www.shyamtelecom.com, **Email :** investors@shyamtelecom.com
CIN : L32202RJ1992PLC017750

NOTICE OF THE TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting (AGM) of **Shyam Telecom Limited (Company)** will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 02:00 P.M. through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in compliance of MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with the circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; and 19/2021 dated December 08, 2021 and SEBI Circular dated May 12, 2020 and May 13, 2022, without the physical presence of the Members at common place.

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, since there is no requirement of sending physical copies of Annual Report to the Members of the Company, the Annual Report for the financial year 2021-22 along with the Notice of 29th AGM have been sent through e-mail to all the members of the Company on September 2, 2022, whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 26, 2022 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited /Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report is also available on Company's Website at **www.shyamtelecom.com**, and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India (NSE) Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively, and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members of the Company and Transfer Books will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive).

Voting through Electronic Mode – In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members, holding Equity shares in dematerialized or physical form as on September 20, 2022 (Cut off date), the facility to exercise their voting rights in electronic mode in the following manner in respect of the businesses proposed to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by NSDL.

- **Remote e-voting:** The Remote e-voting period will commence on Saturday, September 24, 2022 at 09:00 A.M. and end on Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond said period.
- **E-voting at the AGM:** The facility of remote e-voting shall also be available at the AGM to those members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the meeting through VC/OAVM.

Further, the manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized or physical form & Members who have not registered their e-mail id, instructions and procedure related to login id and password for e-voting are provided in the Notice of AGM.

Any Person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the Notice of AGM and holds shares as on cut off date i.e. September 20, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in.** However, if you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting vote.

The Members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Manner of registering/updating e-mail addresses

(a) **Shares Held in physical Form:** Please send the PAN and KYC details to the Company's Registrar and transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at G – 65, Bali Nagar, New Delhi- 110015 or email at **shankar.k@indusinvest.com** / **priti.g@indusinvest.com** in prescribed form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant documents. The Company has already sent letters to the Shareholders for furnishing the required details as per SEBI Circular: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021.

(b) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your Depository Participant(s) to register/ update your e-mail address as per the process advise by your Depository Participant(s),

Members are requested to read carefully all the notes/ instruction set out in the Notice of AGM including instruction joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company having phone number 011-41411071 or email at **shyamtelecom.cs@gmail.com** or to Company's Registrar and transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at email id **shankar.k@indusinvest.com** / **rs.kushwaha@indusinvest.com** or call at 011- 47671200/47671214.

For SHYAM TELECOM LIMITED
Sd/-
Kirti Kesarwani
(Company Secretary)

Date: 2nd September, 2022
Place: New Delhi

Best Agrolife Limited
Think Big, Think Best

बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड

CIN:L74110DL1992PLC116773
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: बी -4, भगवान दास नगर, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
फोन: 011-45803300 | ईमेल: info@bestagrolife.com | वेबसाइट: www.bestagrolife.com

कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 तथा 19/2021 एवं अन्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'परिपत्र' सन्दर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 12.30 बजे अप.(भा.मा.स.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य से माना जाएगा।
एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं संलग्न किये जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेजों (सामूहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम में भाग लेने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।
सदस्य, जिनके पास भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई-मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी और सदस्य के कम्पनी के साथ पंजीकृत पते के प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति यथाशीघ्र ई-मेल द्वारा info@bestagrolife.com अथवा info@skylinerta.com पर भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 और एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा प्राप्त कर सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। शेयरधारक अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के लिए किसी स्पष्टीकरण के मामले में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जो एनईसीएस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कंपनी को अपने एनईसीएस मैंडेट के साथ निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत कर सकते हैं, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bestagrolife.com से डाउनलोड किया जा सकता है और एनईसीएस के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अनुरोध अधिकतम 21 सितंबर, 2022 तक info@bestagrolife.com पर भेजना होगा और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जो एनईसीएस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को निर्धारित फॉर्म में मैंडेट भेज सकते हैं।
कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 21 सितंबर, 2022 निर्धारित की है और उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.bestagrolife.com पर भी उपलब्ध है।
वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.bestagrolife.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर अपलोड की जाएगी।

कृते बेस्टएग्रोलाइफ लिमिटेड
ह./–
आस्था वाही
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 सितम्बर, 2022

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं0. 2050 से 2052, दुसरा तल, प्लाजा–II, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदु राव, दिल्ली–110006
CIN- L74899DL1889PLC000004 फोनः 011-41539170
ई–मेल आईडीः investors@dcm.in, वेबसाइटः www.dcm.in

132वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के सदस्यों को सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 एवं 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 (''एमसीए परिपत्र'') और सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना एजीएम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए निमयों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियम') और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में निदेशक मंडल ने आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 132वीं एजीएम शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है।

132वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.dcm.in), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम मं शामिल एवं भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। (132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 132वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 132वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पूर्व) एवं ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा उपलब्ध करा रही है। (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 132वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं)।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में 132वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (''डीपी'') के पास पहले से ही पंजीकृत हैं।

डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई–मेल पता अपने डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 132वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए केवल अपने डीपी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं। पंजीकृत ई–मेल पते का उपयोग भविष्य में संचार भेजने के लिए भी किया जाएगा।

इसके अलावा, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनका ई–मेल पता कंपनी या आरटीए के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे 132वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 132वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना नाम, फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति एवं पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति एवं आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी कंपनी को ई–मेल investors@dcm.in या आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं या फोन नं. 011 41406149-52 पर सम्पर्क करें।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे सेबी परिपत्र सं. सेबी/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवम्बर, 2021 के साथ पठित स्पष्टीकरण परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के तहत किये गये अधिदेश के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद अपना फोलियो फ्रीज करने से रोकने के लिए अनिवार्य दस्तावेज (पैन, ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता विवरण एवं नामांकन) उपलब्ध कराएं।

कोई भी व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और 132वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारण करता है, वह 132वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर सम्पर्क कर सकते हैं या ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को ई–मेल investors@dcm.in पर लिख सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए एवं अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/–
यदविंदर गोयल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 02 सितम्बर, 2022

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162–ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली

दूरभाष एवं फैक्सः 23379308, ईमेलः delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

फा. सं.– आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामला/2022–23/824 **दिनांकः–02.09.2022**

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित तारीखों में सुनवाई के लिए नियत हैः–

क्र. सं.	मामला सं. एवं मामला शीर्षक	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम	सुनवाई की अगली तारीख	कोर्ट नं.
1.	अपील सं.86/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 9(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी (प्रीमाइनैंस सर्विसेस प्रा. लि. PAN: AAECR2265B	1. इमरान खान (डीआईएनः 07831658)	29.07.2022	3
2.	अपील सं. 159/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सोफटेज ट्रेडिंग प्रा. लि. PAN: AAMCS3133R	1. विपिन कुमार (डीआईएनः 01739899) 2. अशोक विंडल (डीआईएनः 02179778)	28.09.2022	4
3.	अपील सं. 15/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 7(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (दीयाश मार्केटिंग प्रा. लि. PAN: AADCD5415A	1 बिनोट कुमार वर्मा (डीआईएनः 00599010) 2. राजीव सिन्हा (डीआईएनः 05202016)	21.09.2022	6
4.	अपील सं. 133/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 20(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (प्रोपलेरिटि रीयल इस्टेट प्रा. लि. PAN: AADCI4017M	1 सौरभ कुमार पाण्डेय (डीआईएनः 03023575) 2. आशीष उपाध्याय डीआईएनः 05173751)	21.09.2022	6
5.	अपील सं. 134/252/ एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सनलिट ट्रैडक्स इंडिया प्रा. लि. PAN: AAKCS6857L	1. कुलदीप ठाकुर (डीआईएनः 01617211) 2. संजीव अच्चन (डीआईएनः 01618838)	21.09.2022	6
6.	अपील सं. 131/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(3), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (स्विस होलिडेस प्रा. लि. PAN: AANCS0263R	1 रोमी त्रेहान (डीआईएनः 01629882) 2. संजीव त्रेहान (डीआईएनः 01650033)	19.09.2022	5
7.	अपील सं. 28/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (साक्षी फाइनेंसियल सर्विसेस प्रा. लि0 PAN: AAACS4090D	1. राशिद कुमर (डीआईएनः 03116801) 2. मजहरूलकुरेदी (डीआईएनः 03128046) 3. विजय राज (डीआईएनः 07663311)	19.09.2022	4
8.	अपील सं. 63/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 21(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (रियलटी स्ट्रीट कंसल्टींग प्रा. लि0 PAN: AADC14017M	1. पुनीत गुप्ता (डीआईएनः 06874407) 2. आकांक्षा गुप्ता (डीआईएनः 06882396)	19.09.2022	3
9.	अपील सं. 4055/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(3), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सदगुरु प्रोपकॉन प्रा. लि0 PAN: AAFCM4651D	1. सुखदेव सिंह (डीआईएनः 00498732) 2. सुब्रता भट्टाचार्य (डीआईएनः 00570538)	15.09.2022	5
10.	अपील सं. 155/252/एन एस/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सोफटलाइट टेक्नोलोजिस प्रा. लि0 PAN: AASCS9905M	1. विजेन्दर सिंह (डीआईएनः 03629214) 2. अशोक विंडल (डीआईएनः 02179778)	14.09.2022	4
11.	अपील सं. 151/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (स्पन बिल्डटेक प्रा. लि0 PAN: AASCS6206M	1 प्रतीक कमार शर्मा (डीआईएनः 06462066) 2. नरेन्द्र कुमार शर्मा (डीआईएनः 06462226)	14.09.2022	4
12.	अपील सं. 53/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सॉई कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि0 PAN: AANCS1541A	1 बिनय प्रताप सिंह (डीआईएनः 02640082) 2. रूपा सिंह (डीआईएनः 02651497)	14.09.2022	2
13.	अपील सं. 46/252/एन डी/2022 प्रधान आयकर अधिकारी वार्ड 19(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (ओंकार ट्रेडलिंक प्रा. लि0 PAN: AAACO9444K	1 प्रदीप कुमार (डीआईएनः 01445053) 2. हरविन्दर सिंह (डीआईएनः 07550317) 3. जसदीप सिंह (डीआईएनः 07829034)	14.09.2022	2
14.	अपील सं. 37/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(3), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (सरताज इस्ट्रेट डेवलपर्स प्रा. लि0 PAN: AARCS6623F	1 अनिल टक (डीआईएनः 00534036) 2. सुनील टक (डीआईएनः 00535173)	12.09.2022	6
15.	अपील सं. 160/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी (सोलसिटी इंफ्राटैक प्रा. लि0 PAN: AASCS4173P	1 गौरव अग्रवाल (डीआईएनः 01604249) 2. स्वाति पावा (डीआईएनः 02177816)	12.09.2022	6
16.	अपील सं. 165/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(3), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड (स्काउट एक्जिम बल्डवेल प्रा. लि0 PAN: AAOCS3670H	1 कमलेश कुमार जैन (डीआईएनः 01368457) 2. कल्पना जैन (डीआईएनः 03051363) 3. गरिमा जैन (डीआईएनः 03051415) 4. राजेश मोहनभाई सेठा (डीआईएनः 03538303) 5. मयंक राय जैन (डीआईएनः 06361880)	12.09.2022	6
17.	अपील सं. 123/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 7(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(डिसेन्ट कांटेक्ट्रर प्रा०. लि0. PAN: AACCDI314P	1. समीर जैन (डीआईएनः 01603321) 2. पवन जैन (डीआईएनः 01664739) 3. स्त्रोहन सिंह (डीआईएनः 07203855)	12.09.2022	5
18.	अपील सं. 125/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 20(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(सब फेब प्रा०. लि0. PAN:AAUCS5319R	1. अभिशेक कुमार (डीआईएनः 06758597) 2. मोहम्मद अहसान (डीआईएनः 06801067)	12.09.2022	5
19.	अपील सं. 19/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(सुपरवेव इंटरनेशनल प्रा0. लि0. PAN: AASCS0819A	1.पंकज शर्मा (डीआईएनः 06372197) 2. नवनीत शर्मा (डीआईएनः 06436177	08.09.2022	5
20.	अपील सं. 153/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(स्पैसियल्टि इम्पैक्स प्रा. लि. PAN: AAFCS5588P	1. पवन गुप्ता कुमार (डीआईएनः 06741369) 2. प्रशांत गुप्ता (डीआईएनः 06741372)	07.09.2022	2
21.	अपील सं. 157/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(सन कैफे एण्ड बार प्रा०. लि0. PAN: AABCL7513P	1.कासिफ फारुख (डीआईएनः 022322546) 2. इमशान पैरे (डीआईएनः 03305860)	07.09.2022	2
22.	अपील सं.61/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 22(3), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(एसबीएम जीआरडी प्रोपमार्ट प्रा०. लि0. PAN: AAOCS1255Q	1. बलविन्दर शाह सिंह (डीआईएनः01599631) 2. जसप्रीत सिंह (डीआईएनः 02103388)	06.09.2022	5
23.	अपील सं. 169/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड 24(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एण्ड(स्टीलसन प्रोपमार्ट प्रा०. लि0 PAN: AARCS2546P	1. रवीन्द्र कुमार (डीआईएनः 03034188) . 2.विकेन्दर सिंह (डीआईएनः 06749905)	06.09.2022	6
24.	अपील सं. 54/252/एन डी/2022 आयकर अधिकारी वार्ड0 8(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी (मैसर्स ईस्टमैन वोयजीस (इंडिया) PAN: AAACE1510C	1.अमबरीस विचित्रा (डीआईएनः 00355200) 2. भुवनिश विचित्रा (डीआईएनः 00360378)	05.09.2022	5

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों/निदेशकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित मामलों में सुनवाई की उपर्युक्त तारीखों पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें, यदि उक्त कथित तिथियों में आप उपस्थित होने में विफल रहे, तो आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई होगी और फैसला ले लिया जाएगा।

हस्ता./–
(ओ.पी. रोहिल्ला)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)–3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0005/2223

गुमशुदा की तलाश

रूपा देवी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में प्रदर्शित) **नामः** रूपा देवी **पत्नीः** राघव साह **निवासीः** मकान नं. 38, टिकरी कलाँ दिल्ली जो दिनांक 18.04.2022 से थाना मुण्डका, दिल्ली के क्षेत्राधिकार से लापता है। इस संदर्भ में डी.डी. सं. 85ए दिनांक 22.04.2022 थाना मुण्डका, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार हैः–

उम्रः 40 वर्ष, **कदः** 5'2'', **रंगः** सांवला, **चेहराः** गोल, **शरीरः** पतला, **कपड़ेः** पीले रंग की कमीज और काले रंग की सलवार तथा पैरों में चप्पल पहने हुये है।

यदि किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। ई–मेल आईडी–**cic@cbi.gov.in** वेबसाइट **http://cbi.nic.in**

फोनः
011-24368638,24368641
फैक्स नं.:011-24368639
DP/418/OD/2022

थानाध्यक्ष
थाना मुण्डका, दिल्ली
बाहरी जिला, दिल्ली
दूरभाष सं. 9310677807, 7065036126

South West Pinnacle

साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L13203HR2006PLC049480

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : भूतल, प्लॉट नंबर 15, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122003
फोनः +91 124 4235400; **ईमेलः** investors@southwestpinnacle.com;
वेबसाइटः www.southwestpinnacle.com

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथि, रिमोट ई–वोटिंग और अंतिम लाभांश के संबंध में जानकारी

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है किः

1. कंपनी की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय के लेन–देन के लिए मैसर्स साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 03:00 बजे (आईएसटी) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021; 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020;17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी के परिपत्रों दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'सेबी सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुसार एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ 16वीं एजीएम की सूचना शुक्रवार, 02 सितंबर, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, केवल उन सदस्यों को, जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दी है। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
3. इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, 16वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा सामान्य बैठक और विनियमन पर जारी सचिवीय मानक–2 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण व्यवसाय और विशेष व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले और उसके दौरान अपने सदस्यों को 'रिमोट ई–वोटिंग' और 'ई–वोटिंग' सुविधा प्रदान कर रही है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, सहित एजीएम से पहले या उसके दौरान रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया के लिए निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना के भाग के रूप में प्रदान की जा रही है।
ii. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे भा.मा.स. से शुरू होगी।
iii. रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. पर समाप्त होगी।
iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि गुरुवार 22 सितंबर, 2022 है।
v. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से मानना चाहिए।
vi. सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; ग) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे; घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक दर्ज किया गया है, केवल वे ही एजीएम में वोटिंग/उसके दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
vii. जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी (स्थायी आधार पर) या कंपनी के आरटीए (अस्थायी आधार पर) अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ https:// linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर पंजीकृत करें (डीमैट रूप में 100% शेयरों के रूप में)
viii. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholder देख सकते हैं या ईमेल द्वारा एनएसडीएल से evoting@.nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।
ix. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी से investors@southwestpinnacle.com पर संपर्क कर सकते हैं।

5. इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ–साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए मैसर्स केकेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के प्रोपराइटर श्री कृष्ण कुमार सिंह को नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.southwestpinnacle.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
6. बुक क्लोजर, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के भुगतान के संबंध में विवरण

क) कंपनी अधिनियम की धारा 91 और सेबी विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, 16वीं एजीएम और वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

ख) कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.50 रुपये का अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त लाभांश यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे।

ग) संबंधित परिपत्रों के अनुसार, उन सदस्यों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है और लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

घ) तदनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते से जुड़े अपने बैंक खातों के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें ताकि कंपनी संबंधित बैंक खातों में लाभांश को समय पर जमा कर सके। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खातों के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे या तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (स्थायी आधार पर) या कंपनी के आरटीए (अस्थायी आधार पर) यानी मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को https://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करके बैंक विवरण अपडेट करें। (डीमैट रूप में 100% शेयरों के रूप में)

ङ) सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में 01 अप्रैल, 2020 से कर योग्य होगी और कंपनी को शेयरधारकों को देय लाभांश पर निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया उस संचार को देखें जो पहले ही सदस्यों को भेजा गया था और एनएसई की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट यानी www.southwestpinnacle.com पर भी उपलब्ध है।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड के आदेशानुसार
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड
ह./–
विकास जैन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00049217

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 02.09.2022

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated August 26, 2022 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

7NR RETAIL LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 21, 2012, as "7NR Retail Private Limited" as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and accordingly the name of our Company was changed to "7NR Retail Limited" pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on March 11, 2017. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to Public Limited Company was issued on March 22, 2017 by Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat.

Corporate Identification Number: L52320GJ2012PLC073076 | **Registered Office:** Godown No-1, 234/1+234/2, FP-69/3, Sadashiv Kanto, B/h Bajaj Process, Narol Chokdi, Narol, Ahmedabad – 382 405
Telephone: + 91-97271-23838; Email id: info@7nrretailltd.in | **Website:** www.7nrretailltd.in; | **Contact Person:** Ms. Prachi Chobisa, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. NIKUNJ AGRAWAL AND MR. UMANG TRIVEDI

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
6th September, 2022	15th September, 2022	20th September, 2022

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
***Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 15 (Fifteen) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ISSUE OF 11,66,95,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1/- EACH ("EQUITY SHARES") OF 7NR RETAIL LIMITED ("7NR" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1.40/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 0.40/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 16,33,73,000/- ON RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD AUGUST, 2022(THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 1.40 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 145 OF THIS FINAL LETTER OF OFFER.

ASBA	**Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!** *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blockingthe fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020,SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, and SEBI circular bearingreference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as "SEBI RightsIssue Circulars") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 datedJanuary 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as "ASBACirculars"), all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. Fordetails, see "Making of an Application through the ASBA Process" on page 148 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 151 of the Letter of Offer

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely 7NR Retail Limited– RightsIssue Suspense Escrow Demat Account (Account Number–IN30133041172945)

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Sharesin physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at leasttwo working daysprior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, September16, 2022, shall not be eligible to make an Applicationfor Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

PROCEDURE FOR APPLICATION: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.For details of procedure for application by the Resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date i.e. August 23, 2022, see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Sharesin physical form" on page 151 of the Letter of Offer.

PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: A shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARESIN PHYSICAL FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e Friday, September 16, 2022,, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e Monday, September 19, 2022. They may also communicate with the Registrar with the help of the helplinenumber (+91-44-40020710 / 0706 / 0741) and their email address (priya@cameoindia.com).

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE I.E. AUGUST 23, 2022.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM: The Dispatch of the ALOF andApplication Form for the Issue was completed on September01, 2022 by the Registrarto the Issue.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, 7NR Retail Limited Rights Issue Suspense Escrow Demat Account) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned / reversed / failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non- institutional equity shareholders in the United States.

APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBAPROCESS: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB.

Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not been titled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his / her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

a) Name of our Company, being 7NR Retail Limited;
b) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
c) Folio Number (in case of Eligible Equity Share holders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID;
d) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue
e) Number of Equity Shares held as on Record Date;
f) Allotment option – only dematerialized form;
g) Number of Equity Shares entitled to;
h) Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
i) Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
j) Total number of Equity Shares applied for;
k) Total amount paid at the rate of Rs. 1.40/- per Equity Share;
l) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
m) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
n) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
o) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
p) All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for Shareholders in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulations, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.

I/ We (i) am/ are, and the person, if any, for whose account I/ we am/ are acquiring such Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares is/ are, outside the U.S., (ii) am/ are not a "U.S. Person" as defined in ("Regulations"), and (iii) is/ are acquiring the Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulations.

I/ We acknowledge that the Company, our affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements. "

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Shareholders are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application form at will be available on the website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

LAST DATE FOR APPLICATION:

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is 20th September, 2022, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 15 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned below.

Please note that on the Issue Closing Date, (i) Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges **(the "On Market Renunciation")**; or (b) through an off-market transfer **(the" Off Market Renunciation"),** during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his / her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Shareholders.

On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading / selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE413X20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlements.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from 6th September, 2022 to 15th September, 2022 (both days inclusive).

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE413X20019 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade.

The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock- broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and the SEBI.

Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE413X20019, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants.

The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

INVESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKETRENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTSEQUITY SHARES. IF NO APPLICATION IS MADE BY THE PURCHASER OF RIGHTS ENTITLEMENTSON OR BEFORE ISSUECLOSING DATE THEN SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WILL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THEISSUE CLOSING DATE. NO RIGHTS EQUITY SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED,EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM MARKET AND THE PURCHASER WILL LOOSE THEAMOUNTPAID TO ACQUIRE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS.

FOR PROCEDUREOF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET RENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO THE HEADING TITLED "PROCEDUREFOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS" ON PAGE 148 OF THE LETTER OF OFFER.

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue

Subject to receipt of the listing and trading approvals, the Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for trading on the Stock Exchange. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Equity Shares allotted pursuant to this Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary formalities for listing and commencement of trading in the Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has received in-principle approval from the BSE through letter bearing reference number DCS/RIGHT/VJ/FIP/2292/2022-23 dated 7th June, 2022. Our Company will apply to the Stock Exchange for final approvals for the listing and trading of the Equity Shares subsequent to their Allotment. No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Equity Shares or the price at which the Equity Shares offered under this Issue will trade after the listing thereof.

The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 540615) under the ISIN: INE413X01027. The Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing / trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

The listing and trading of the Equity Shares issued pursuant to this Issue shall be based on the current regulatory framework then applicable. Accordingly, any change in the regulatory regime would affect the listing and trading schedule.

In case our Company fails to obtain listing or trading permission from the Stock Exchange, our Company shall refund through verifiable means / unblock the respective ASBA Accounts, the entire monies received / blocked within four days of receipt to intimation from the Stock Exchanges, rejecting the application for listing of the Equity Shares, and if any such money is not refunded / unblocked within four days after our Company becomes liable to repay it, our Company and every director of our Company who is an officer-in-default shall, on and from the expiry of the fourth day, be jointly and severally liable to repay that money with interest at rates prescribed under applicable law.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI

The Final Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is below Rs. 5000 Lakhs.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

As required, a copy of this Final Letter of Offer has been submitted to the BSE Limited. The Disclaimer Clause as intimated by BSE Limited to us, post scrutiny of this Final Letter of Offer is set out below:

"BSE Limited ("the Exchange") has given, vide its letter dated 7th June, 2022 permission to this Company to use the Exchange's name in this Letter of Offer as the stock exchanges on which this Company's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this Letter of Offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Company. The Exchange does not in any manner:

- Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this Letter of Offer; or
- Warrant that this Company's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; or
- Take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company;

and it should not for any reason be deemed or construed that this Letter of Offer has been cleared or approved by the Exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Company may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever.

Neither the delivery of this Final Letter of Offer nor any sale hereunder, shall under any circumstances create any implication that there has been no change in our Company's affairs from the date hereof or the date of such information or that the information contained herein is correct as of any time subsequent to this date or the date of such information. Each person who exercises Rights Entitlements and subscribes for Equity Shares, or who purchases Rights Entitlements or Equity Shares shall do so in accordance with the restrictions set out below.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS:

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circulars, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent / dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Further, this Final Letter of Offer will be sent / dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided Indian address and who have made a request in this regard. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Final Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Shareholders can access this Final Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

(i) Our Company at https://www.7nrretailltd.in/;
(ii) The Registrar at https://rights.cameoindia.com/7nrretail;
(iii) The Stock Exchanges at www.bseindia.com

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., https://rights.cameoindia.com/7nrretail) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., https://www.7nrretailltd.in/).

BANKERTO THE ISSUE AND REFUND BANK: INDUSIND BANK LIMITED

MONITORING AGENCY:Not Applicable

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ALOF.

OTHER IMPORTANTLINKS AND HELPLINE:

The Investors canvisit following links for the below-mentioned purposes:

Frequently asked questions and online / electronic dedicated Shareholders helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Shareholders: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Updation of / e-mail address / phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Updation of Indian address by way of sending an email to priya@cameoindia.com

Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: https://rights.cameoindia.com/7nrretail

Submission of self-attested PAN, client mastersheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: investor@cameoindia.com

REGISTRAR TO THE ISSUE	BANKER TO AN ISSUE
CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002 | **Tel :** +91 - 44 4002 0700 **Email:** priya@cameoindia.com | **Investor Grievance Email id:** investor@cameoindia.com **Website:** https://rights.cameoindia.com/7nrretail | **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration No:** INR000003753 | **CIN:** U67120TN1998PLC041613	**INDUSIND BANK LIMITED** 2, Zodiac Square, opp. Gurudwara, S.G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad 380054, India **Tel :** +91-8605397938 | **Email:** Karan.malik@indusind.com | **Website:** www.indusind.com **Contact Person:** Mr. Karan Patel | **CIN:** L65191PN1994PLC076333

Date: 2nd September, 2022
Place: Ahmedabad

For, 7NR Retail Limited
SD/-
Prachi Chobisa
Company Secretary

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with Stock Exchange i.e. BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and the website of the RTA i.e. Cameo Corporate Services Limited at https://rights.cameoindia.com/7nrretail. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.*

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एस एस इन्फ्रामार्ट प्राईवेट लिमिटेड (CIN:U52100DL2007PTC170504)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
युक्ति नागपाल
निदेशक
DIN: 02878920

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

जी डिजायन लैब प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में नूमिरोयूनो बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के नाम से विदित)
(CIN:U45400DL2007PTC164128)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
दीपक कपूर
निदेशक
DIN: 00462283

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

एस० जे० इन्फ्रास्ट्र क्चर प्राईवेट लिमिटेड
(CIN:U45200DL2006PTC155904)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी legal@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
दीपक कपूर
निदेशक
DIN: 00462283

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

एवन मर्कैंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ग्लोबल नॉलेज पार्क, प्लॉट नंबर 19ए और 19बी, सेक्टर–125, नोएडा–201301 (यूपी)
ई–मेलः avonsecretarial@gmail.com; वेबसाइटः www.avonmercantile.co.in
सीआईएनः L17118UP1985PLC026582

37वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन और ई–वोटिंग की सूचना के प्रेषण के समापन के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईओ सिस्टम लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') रविवार, 25 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो विजुअल संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम आयोजन की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार करने के लिए आयोजित की जाएगी। एमसीए और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना कंपनी की वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई–मेल पतों पर ई–मेल द्वारा भेजी गई है। कंपनी ने 2 सितंबर, 2022 को उक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या मास सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकृत कराएं।

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.avonmercantile.co.in) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई–वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 के अनुसार, समय–समय पर संशोधित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (''सूचीकरण विनियमावली'') के विनियम 44 के साथ और उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे 37वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकें। सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि ई–वोटिंग सुविधा के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट–ऑफ तिथि रविवार, 17 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकारी होगा।

सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी ने श्री अमित जैन (सदस्यता संख्या और सी.पी. संख्या 509349), चार्टर्ड एकाउंटेंट को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 37वीं एजीएम आयोजन की सूचना में समाविष्ट हैं।

सदस्यों के लिए वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइटः www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है या सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेज सकते हैं।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत को सुश्री दिशा सोनी, कंपनी सचिव, ई–मेल पताः avonsecretarial@gmail.com, संपर्क नंबरः 9990444408 पर प्रेषित/प्रकट/बताया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो ई–मेल के माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है, लेकिन कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है। ऐसे सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम आयोजन की सूचना की एक प्रति के लिए ई–मेल संचार के माध्यम से आरटीए को investor@masserv.com पर एक मांग भेज सकते हैं और साथ ही ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित विवरणों अर्थात् डीपी आईडी घ्घ्व क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर के साथ उसकी एक प्रति कंपनी को avonsecretarial@gmail.com पर भेज सकते हैं। यदि शेयरधारक व्यक्तिगत शेयरधारक है और डीमैट मोड में शेयर रखता है तो वह ई–वोटिंग अनुदेश में बताए गए अनुसार पासवर्ड उत्पन्न कर सकता है।

चूंकि 37वीं एजीएम का आयोजन, उक्त परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा अतः सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्राक्सीज की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एतद्द्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमावली के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की पंजिका और अंश अंतरण बहियां रविवार 18 सितंबर 2022 से लेकर के रविवार 25 सितंबर 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 37वीं एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एवन मर्कैंटाइल लिमिटेड
हस्ता./–
(दिशा सोनी)
कंपनी सचिव
एसीएसः 42944

दिनांकः 02 सितंबर, 2022
स्थानः नोएडा

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के समक्ष

ओए सं. 172/19 — दिनांकः 03.08.2022

डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड — आवेदक
विरुद्ध
स्नकेम प्रा. लि. और अन्य — प्रतिवादी

सेवा में,
प्रतिवादीगण
1. स्नकेम प्रा. लि.
2. आरएचसी होल्डिंग प्रा. लि.
3. फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्रा. लि.

प्रतिवादी सं. 1 से 3
(i) ए. 54, जनपथ, नई दिल्ली–110001
बी. रेलीगेयर बिल्डिंग, छठा तल, टावर ए, जीवाईएस सेक्ट.–125, नोएडा, जिला जी. बी. नगर, उत्तर प्रदेश
सी. प्रायस प्लेटीनम, भू तल, डी–3, डिस्ट्रि. सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक (कों) ने आपके विरुद्ध **रु. 4,51,76,849.62/– (रू. चार करोड़ इक्यावन लाख छहत्तर हजार आठ सौ उन्चास तथा पैसे बासठ मात्र)** की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 07.09.2022 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :–

(i) सभी अधिवक्ता/विवादी **"Cisco Webex"** ऐप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(ii) माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतु **"Meeting ID"** तथा **"Password"** डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः ष्कतजण्हवअण्पदष पर दैनिक कार्य सूची के अंतर्गत स्वतः प्रकाशित किया जाएगा।
(iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से **फोन नंबर 23748478** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 03 अगस्त, 2022 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार,
डीआरटी–II, दिल्ली

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered office of the company from one state to another
Before the Central Government
(REGIONAL DIRECTOR)
NORTHERN REGION

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of M/s Worldone Private Limited having its Registered Office at Plot No. 2, Sector- 32 Gurgaon, Haryana - 122001.

.... Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on Saturday, 20th of August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State of Chhatisgarh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Plot No. 2, Sector- 32 Gurgaon, Haryana - 122001.

For and on behalf of
WORLDONE PRIVATE LIMITED
Sd/-
Rajeev Jain
(Director)
DIN: 00053627
Plot No. 2, Sector-32,
Gurgaon, Haryana- 122001

Date- September 2, 2022
Place- Gurgaon

प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

CIN: L32104DL1979PLC009590
पंजी. कार्यालयः डी–1081, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025
ईमेलः cs@pel-india.in, **वेबसाईटः** www.pel-india.in
फोनः1202551556/7 **फैक्सः** 120–2524337

सूचना

क) शेयरधारकों ध्यान रहे कि कम्पनी की 43वीं वार्षिक आम सभा विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 12.00 बजे अप. में आयोजित होगी। कोविड–19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एमसीए साधारण सर्क्युलर सं. 03/2022 तिथि 5 मई, 2022 के साथ पठित एमसीए साधारण सर्क्युलर सं. 20/2020, 5 मई, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021, साधारण सर्क्युलर सं. 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा 21/2021 तिथि 14 दिसम्बर, 2021 एवं सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर सं. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div2/P/CIR/2022/079 तिथि 03 जून, 2022 के द्वारा कंपनियों को किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशा निर्देशों के अनुसार सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

ख) उक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास सूचीबद्ध है।

ग) ईमेल पता के पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

i) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नंबर पंजीकृत कराऐं।

ii) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि compliances@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट (स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा. लि.) के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नंबर प्रस्तुत करें।

घ) 43वें एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.pel-india.in स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

ड.) शेयरधारक के पास इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर रिमोटली अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों अथवा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोटली वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिये सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।

च.) 43वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को लागू होने वाले कानूनों के अनुसार नियत समय पर उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी।

प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/–
वृन्दा मोहन गुप्ता
कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
तिथिः 3 तिसम्बर, 2022

सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 365, वर्धमान प्लाजा, तीसरी मंजिल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–85
सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, दूरभाष : 011–49091417
ई–मेल : sonalmercantile@yahoo.in, वेबसाइट : www.sonalmercantile.in

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड की 37वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले प्रकार्य के लेन–देन के लिए सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. आईएसटी में आयोजित की जायेगी।

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र वर्णित तथा (सेबी) परिपत्र तिथि 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') के अनुसार, कम्पनियों को किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गयी है।

अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना तथा बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वित्त वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिन्होंने अपने ई–मेल पते उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत कराये हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sonalmercantile.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com, तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत आम बैठक के सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करते हुए एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के पात्र होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध होगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित तो रह सकते हैं किन्तु पुनः अपना मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। सदस्यों द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी/आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करायें हैं, उनसे आग्रह है कि sonalmercantile@yahoo.in पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स/आरटीए एवं कंपनी से सम्पर्क कर ईमेल आईडी अपडेट करा लें। कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित तक बंद रहेंगे। इसके पश्चात ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

1)रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतदान हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण की कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022
2)रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ होने की दिन, तिथि और समय	मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रातः (आईएसटी)
3)रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि और समय	बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी)

कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 तक कम्पनी के शेयर धारण करता है वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मतदान हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से सम्बन्धित पूछताछ के लिए www.evoting@nsdl.co.in के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ लें या टोलफ्री नं. 1800–222–990 तथा 1800 224430 पर सम्पर्क करें अथवा evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक, सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से निर्दिष्ट ई–मेल पता : evoting@nsdl.co.in अथवा दूरभाष नं. +91 22 2499 4545, 9122 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **सोनल मर्केंटाइल लिमिटेड**
ह./–
अक्षय खरे
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 सितम्बर, 2022

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

फ्लेयर रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड (CIN:U45400DL2010PTC203747)

जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट न०-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट न०-4, दयानन्द विहार, दिल्ली- 110092 के मामले में .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी ऑफ दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना **या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा हित एवं विरोध के आधारों समर्थित शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एमसीए, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी gaurav.kumar@gulshanhomz.com को भी प्रेषित करे।

आवेदक की ओर से
हस्ता०/–
दीपक कपूर
निदेशक
DIN: 00462283

तिथि : 02.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन

केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

त्रिलोकेश्वर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 207, एसीवाई-अग्रवाल सिटी स्क्वॉयर, प्लॉट नं. 1, डेस्ट. सेन्टर, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में है, के मामले में

....याचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "बिहार राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु सोमवार, 22 जून 2022, को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पते : बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

त्रिलोकेश्वर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट नं. 207, एसीवाई-अग्रवाल सिटी स्क्वॉयर, प्लॉट नं. 1, डेस्ट. सेन्टर, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

त्रिलोकेश्वर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से
(निदेशक)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 02.9.2022

कुमारकुप्पा फ्रॉन्टियर होटल्स प्रा.लि.
CIN:U55101DL2001GOI112143
पंजी. कार्याः एल-1, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 1100 बजे में होटल "द अशोक", चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को अलग से प्रेषित की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24 सितम्बर, 2022 से 28 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम तथा लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते, कुमारकुप्पा फ्रॉन्टियर होटल्स प्रा.लि.
हस्ता./–
(मनीष कुमार)
सीएफओ-इंचार्ज

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3 सितम्बर, 2022

प्रारूप संख्या आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

हॉकिश इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
(CIN :U31904HR2018PTC073487)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **दुकान संख्या–10, प्रथम तल पार्श्वनाथ सिटी मॉल, फरीदाबाद, हरियाणा–121007** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **26 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

दुकान संख्या–10, प्रथम तल पार्श्वनाथ सिटी मॉल, फरीदाबाद, हरियाणा–121007

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
हॉकिश इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दीपक सक्सेना (निदेशक)
डीआईएन : 02909102

दिनांक : 02.09.2022
स्थान : फरीदाबाद

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

शाखा – एसडी कॉलेज, गाजियाबाद (जी–0749)
शंभू दयाल कॉलेज, जी.टी. रोड, जिला – गाज़ियाबाद, यूपी – 201001
फोनरू 0120–2833350, ई–मेलः **g0749@psb.co.in**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण
1	(1) श्रीमती धनेश देवी पत्नी श्री राम निवास बंसल, निवासी मकान नं. सी–389, लाजपत नगर, साहिबाबाद गाजियाबाद, उ.प्र. –(उधारकर्ता) (2) श्री रुस्तम बंसल पुत्र श्री राम निवास बंसल, निवासीः मकान नं. सी–389, लाजपत नगर, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–(सह–उधारकर्ता) (3) श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी मकान नं. सी–389, लाजपत नगर, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–(गारंटर)	02-07-2018 / 30-08-2022	हाउसिंग ऋण खाता नं. 07491200000509 में रु. 14,11,001/- दिनांक 30.06.2018 तक और दिनांक 01.07.2018 से भविष्य का ब्याज, लागत एवं खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक (कुल बकाया रु. 1535107.50 तक)	भूतल, बिना छत के अधिकार के, मकान नं. बी–407 पर निर्मित, ब्लॉक – बी, सैक्टर–04, टीएचए, रिहायशी कॉलोनी लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. 406, पश्चिम में – 15फीट चौडी रोड, उत्तर में – मकान नं. 402, दक्षिण में – मकान नं. 408
2	(1) श्री फकरुद्दीन पुत्र मो. इशाक, मकान नं. 1785, गली नंबर–2, इस्लाम नगर, कैला भट्टा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (उधारकर्ता) (2) श्रीमती आशिमा पत्नी फखुद्दीन, निवासी मकान नं. 1785, गली नं. 2, इस्लाम नगर, कैला भट्टा, गाजियाबाद, यू.पी. (उधारकर्ता) (3) श्री सोहन पाल पुत्र सुक्कम, निवासी मकान नं. एफ–191, उदल नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. (गारंटर)	03-04-2007 / 30-08-2022	हाउसिंग ऋण खाता नं. 07491200000082 में रु. 218756/- दिनांक 31.03.2007 तक और दिनांक 01.04.2007 से भविष्य का ब्याज, लागत एवं खर्चे इत्यादि (कुल बकाया रु. 1045828/- तक)	मकान नं. 1785, गली नं. 2, इस्लाम नगर, कैला भट्टा, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – हाज़ी खैराती का मकान, पश्चिम में – मोह. नज़र का मकान, उत्तर में – 7फीट चौडी रोड, दक्षिण में – हाज़ी मुन्ना का मकान

दिनांक 30.08.2022, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ | केन्द्रीय कार्यालय–चेन्नई

ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी का दिनांक व समय-22.09.2022, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक,
(बिक्री सम्पन्न होने तक प्रत्येक 10 मिनट का स्वतः विस्तार)
ऑनलाइन आवेदन के लिए ईएमडी व बिड जमा करने की अन्तिम तिथि-21.09.2022, सायं 1:00 बजे तक
ई-नीलामी-अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6) के प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं), जमानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है", के आधार पर उपरोक्त लिखित दिनांक को ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं), जमानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति की बिक्री कर उल्लिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व ईएमडी धनराशि निम्नलिखित है। ई-नीलामी वेब पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

ऋणी/जमानतकर्ता/बंधककर्ता/नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
शाखा = मॉल रोड शाखा, 17/9, गर्ग नरोन्हा कॉम्पलेक्स, मॉल रोड, कानपुर–208001. ई–मेलः iob0478@iob.in, फोन नं. 0512–2421313, 2365565			
श्री हिमांशु गुप्ता (ऋणी व बंधककर्ता) व श्रीमती अपूर्वा गुप्ता (ऋणी व बंधककर्ता) दोनों निवासी फ्लैट नं. 302, सिल्वरलाइन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 8, सी-ब्लॉक, श्याम नगर, कानपुर–208013	सम्पत्ति के सभी भाग और हिस्से निहित फ्लैट नं. एफ–2, प्रथम तल पर, 'आकाश टॉवर' प्लॉट नं. 1/37–ए, ब्लॉक–ई, सुजात गंज, श्याम नगर कानपुर नगर, फ्लैट की चौहद्दी:–उत्तर–प्लॉट नं. 1/38, दक्षिण–प्लॉट नं. 1/37ए, पूर्व–बालकनी उसके बाद प्लॉट नं. 1/43, पश्चिम–फ्लैट नं. एफ–1 उसके बाद 12.19 मी. चौड़ी सरकारी रोड, पूरे भवन की चौहद्दी:–उत्तर–प्लॉट नं. 1/38, दक्षिण– प्लॉट नं. 1/37ए, पूर्व–प्लॉट नं. 1/43, पश्चिम–12.19 मी. चौड़ी सरकारी रोड, निर्मित क्षेत्र 112.00 वर्गमीटर है। और भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा 33.44 वर्गमीटर है।	रू. 40,20,821.13 + दिनांक 31.08.2022 तक + भविष्य की लागत ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे	रू. 40,32,000/– रू. 4,03,200/– रू. 10,000/–

ईएमडी जमा खाता विवरण–खाता का नाम–Armb Lucknow Emd Account, खाता सं.: 259402000000814, IFSC Code: IOBA0002594, शाखा कोडः 2594

*Bank's dues have priority over the Statutory dues.

नियम व शर्तों के अधिक जानकारी के लिए कृपया सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi अथवा बैंक की वेबसाइट http://www.iob.in का अवलोकन करें।

उपरोक्त सम्पत्ति निरीक्षण अथवा सम्पत्ति में भाग लेने के लिए अथवा रुचि लेने वाले खरीददार कृपया उल्लिखित सम्बंधित शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक: 02.09.2022 — स्थानः कानपुर — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

GENUS PAPER & BOARDS LIMITED

Genus energizing lives

CIN: L21098UP2012PLC048300
Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh
Ph.: 0591-2511242, | E-mail: cs@genuspaper.com | Website: www.genuspaper.com,

Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on September 02, 2022 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genuspaper.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, and applicable circulars, members holding shares as on the cut-off date i.e. September 20, 2022 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed that:

(i) The remote e-voting shall commence on Saturday, September 24, 2022 at 9.00 am (IST) and end on Monday, September 26, 2022 at 5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
(ii) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on September 26, 2022.
(iii) It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
(iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 20, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for information purposes only.
(v) Any person who has acquired shares of the Company and become member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2022 may obtain login ID and password by sending a request to the Company at cs@genuspaper.com or to the RTA at nichetechpl@nichetechpl.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing login ID and password can be used for casting vote.
(vi) The shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
(vii) Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
(viii) In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543).
(ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022- 23058738 / 022-23058542/43.
(x) The Company has appointed Ms. Komal, Practicing Company Secretary (FCS No.11636, CP No.17597) (M/s. Komal & Associates), of Delhi, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process prior to the AGM and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board
For Genus Paper & Boards Limited
Sd/-
Anuj Ahluwalia
Company Secretary

Place: Moradabad
Date : September 02, 2022

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal Lucknow
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

Ref::... **Date:...**

[Summons to Defendants Under Section 19(3) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 and 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure And Rules) 1993]

Original Application No. 1016 of 2017

STATE BANK OF INDIA
Versus .....Applicant
Balak Ram Sirohi

To, **.....Defendant/s**

1. Balak Ram Sirohi S/o Mansha Ram Sirohi, R/o B-131, FF, Parshvna Paradise, J.P. Estate Garden, Mohan Nagar, Ghaziabad - 250002

2. M/s Era Land Marks Limited, through its Authorized Person, Office at 15 Okhla Estate, New Delhi

In the above noted application you are required to file reply in the Paper Book form in Two Sets along with documents and Affidavit (if any) personally or through your dully authorized agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / dully authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **06/10/2022 at 10.30 A.M.,** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal Lucknow
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

Ref::... **Date:...**

[Summons to Defendants Under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bank Ruptcy Act, 1993 read with Rule 12 and 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure And Rules) 1993]

Original Application No. 1164 of 2019

STATE BANK OF INDIA
Versus .....Applicant
M/S M.R.K ENTERPRISES
.....Defendant/s

To,

1. M/s M.R.K. Enterprises through its Prop. Business at 13/6, T.P. Nagar, District Meerut.

2. Mr. Kapil Manchandra S/o Kashmiri Lal Manchandra R/o 37/B, Gali No. 2, Raghukul Vihar, District Meerut, U.P.

3. Mrs. Nidhi Manchandra W/o Mr. Kapil Manchandra, R/o 37/B, Gali No. 2, Raghukul Vihar, District Meerut, U.P.

4. Kashmiri Lal Manchandra S/o Ram Dhan, R/o 37/B, Gali No. 2, Raghukul Vihar, District Meerut, U.P.

5. Smt. Ritu Rani Manchandra W/o Mr. Kapil Manchandra, R/o 37/B, Gali No. 2, Raghukul Vihar, District Meerut, U.P.

In the above noted application you are required to file reply in the Paper Book form in Two Sets along with documents and Affidavit (if any) personally or through your dully authorized agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / dully authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **12/10/2022 at 10.30 A.M.,** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालयः 425, उद्योग विहार, फेज IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा)
दूरभाषः 0124–4212530/31/32, ई–मेलः customercare@shubham.co, वेबसाइटः www.shubham.co

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत 'अधिनियम' संबोधित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

आपको सूचित करना है कि आपके ऋण खाता को प्रतिभूत ऋणदाता शुभम हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–305, भूतल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–110017 (यहां इसमें इसके उपरांत 'एसएचडीएफसीएल' संबोधित) में स्थित है, के द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया गया है तथा आप अपने ऋण के विरुद्ध निर्धारित कुल बकाया राशि का एसएचडीएफसीएल को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
आप आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। अतः हम एतद्द्वारा आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर एसएचडीएफसीएल के प्रति निर्धारित अपने संपूर्ण भुगतान–दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर एसएचडीएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त होगी। ऋणकर्ताओं तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या ऋणकर्ता(ओं) के नाम	आवेदक का पता	मांग सूचना राशि एवं तिथि	सुरक्षित सम्पत्ति
1.	0CTR1910000005023621, पूजा सरोहा, जगमिंदर, दीपक कादियान	मकान सं. 488, न्यू कॉलोनी, गाबा हाउस के समीप, गुरुग्राम, हरियाणा–122001	रु. 18,63,031/– एवं 20–08–2022	फ्लैट नंबर 202, द्वितीय तल (लिफ्ट का सामना करते समय बाएं हाथ का फ्लैट), एम. एम. रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 07, खेवट/खाता नंबर 1907/2723, खसरा नंबर 3624/1246, (1–13–0) न्यू कॉलोनी, लेडी फातिमा स्कूल के समीपस्थ, नेहरू लेन के समीप, ग्राम और जनपद गुरुग्राम, हरियाणा, 122001
2.	0FBD1911000005024470, राज कुमार, अजय, कृष्णा	मकान संख्या–1041/4, ब्लॉक सी एस जी एम नगर, राहुल पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, हरियाणा – 121001	रु. 1,59,659/– एवं 20–08–2022	पूर्वी भाग प्लॉट नंबर 84, खसरा एमओ नंबर–99, किला नंबर–6/2, मौजा बडकल, तहसील और जनपद फरीदाबाद, हरियाणा–121001
3.	0KHI1608000005001732, प्रभात कुमार चौधरी, सोनी कुमारी	प्लॉट नंबर 4857, प्रथम तल, गली नंबर 24, अंसारी रोड, दरियागंज, संजीवन चिकित्सालय, मध्य दिल्ली –110002	रु. 20,19,958/– एवं 20–08–2022	पी. नं. 100 और 101, तृतीय तल, ख. सं. 51/10, 51/11, गली नंबर 8, पश्चिमी गुरु अंगद नगर हरमिंदर कॉलोनी, पटपड़गंज रोड, ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, पूर्वी दिल्ली –110092
4.	0DEL2107000005037813, संदीप आनंद, चाहत आनंद	ए1, 165, जनकपुरी, मेट्रो पिलर नंबर 619, पश्चिमी दिल्ली–110018	रु. 23,77,712/– एवं 20–08–2022	संपत्ति संख्या 351, खसरा संख्या 52/32/4, ग्राम रामपुरा की लाल डोरा आबादी, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110035
5.	0NHP2009000005029737, रवि गोस्वामी, रूबी गोस्वामी	आर.जेड. 93बी, गली नंबर 10, तुगलक. ाबाद एक्सटेंशन, सरदार बल्लभ पटेल स्कूल, दक्षिण दिल्ली – 110019	रु. 6,97,772/– एवं 20–08–2022	तृतीय तल (छताधिकारों के बिना), संपत्ति संख्या आरजेड–49 बी, खसरा संख्या 496–497, जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली दक्षिण दिल्ली –110019 में स्थित है
6.	0M0D1611000005002976, अफसाना, यूनुस अंसारी	गली नंबर 04, ईदगाह बस्ती, वार्ड नंबर 01 के समीप, मदरसा वाली गली, मुरादनगर, जनपद–गाजियाबाद–201206	रु. 7,75,482/– एवं 20–08–2022	मकान संख्या 424, खसरा नंबर 1306 ग्राम सरना मुरादनगर, मारूफ मोह–ईदगाह बस्ती, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201206
7.	SHB_1509_044970, किशोर कुमार, मधु बाला	कृष्णा विहार कॉलोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर खसरा नंबर–1969, लोनी गाजियाबाद ,यू.पी.–201003	रु. 6,88,300/– एवं 20–08–2022	प्लॉट नंबर 25, खसरा नंबर–1969, मिन कृष्णा, विहार कॉलोनी, ग्राम बेहटा हाजीपुर, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005
8.	0REW1712000005010063, सुनील कुमार, मनोज कुमार	6567, वार्ड 15, दारा तालाब हनुमान मंदिर के समीप, रेवाड़ी, हरियाणा – 123401	रु. 6,29,758/– एवं 20–08–2022	हाउस टैक्स नंबर–6572, वाका मोहल्ला बस सिताब राय, तहसील जनपद–रेवाड़ी, हरियाणा – 123401

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 02.09.2022

प्राधिकृत अधिकारी,
शुभम हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified)

शिपिंग हाउस, २४५ मदाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२१.
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp; सीआईएन: L63030MH1950GOI008033
दूरभाष: ९१-२२ २२०२६६६६, २२७७ २०००; फैक्स: ९१-२२ २२०२६९०५

एजीएम और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इस सूचना के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की ७२वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, २८ सितंबर, २०२२ को १२:०० बजे (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी:

१	०२.०९.२०२२ को ७२वीं एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के प्रेषण की तिथि (सूचना सहित, वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए निदेशकों की रिपोर्ट संलग्नक के साथ)। वार्षिक रिपोर्ट www.shipindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
२	कंपनी की ७२वीं एजीएम और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स **२४.०९.२०२२ से २८.०९.२०२२ (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे। लाभांश की रिकॉर्ड तिथि **२३.०९.२०२२** है।
३	रिमोट ई-वोटिंग अवधि - **२५.०९.२०२२ पूर्वाह्न ९:०० बजे (भारतीय मानक समय) से २७.०९.२०२२ शाम ५:०० बजे (भारतीय मानक समय)।**
४	रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ-डेट **शुक्रवार, २३.०९.२०२२** है।
५	कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से एजीएम के सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे इस दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग व्यवस्था वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य इसे https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन के तहत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN यानी १२१६६६ प्रदर्शित होगा। एजीएम से पहले या उसके दौरान ई-वोटिंग/सहायता के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में, आप एजीएम की सूचना देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से १८००१०२०९९० या १८००२२४४३० पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।
६	एजीएम की ई-सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करने वाला और २३.०९.२०२२ को शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति, 'Financials → Financial Results → Annual Reports' खंड के तहत ७२वीं वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए एससीआई की वेबसाइट www.shipindia.com पर जा सकता है।
७	ई-वोटिंग के तरीके, ईमेल आईडी / बैंक खाते को अपडेट करने, वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, लाभांश पर टीडीएस की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप 'Investors → Information for Shareholders → Notices' के तहत www.shipindia.com पर जा सकते हैं।

हस्ता/-
निदेश मंडल के आदेश से
कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
श्रीमती स्वप्निता विकास यादव
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ०२.०९.२०२२

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.

CRANEX LIMITED

CIN: L74899DL1973PLC006503
Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010
E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com
BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty-Seventh Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cranex Limited ('Company') will be held on Friday, September 30, 2022 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('DEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2021-22 will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). Notice of AGM will also be available on the Company's website at www.cranexltd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting facility (before AGM), on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id:-

(i) Members holding equity shares of the Company in demat are requested to approach their respective DP and follow the process as advised by DP to register their email ids.

(ii) Members holding Equity Shares of the Company in physical are requested to send their Folio No., Name, Contact No. email id Copy of PAN (self attested), Copy of Aadhar (Self attested) at email id of RTA that is beetalrta@gmail.com

(iii) Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call on toll free number 18001020990.

For Cranex Limited
sd/-
Renu
Company Secretary

Date:02/09/2022
Place: Delhi

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड / ENGINEERS INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd.Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066, India
ई–मेल / **e-mail:** company.secretary@eil.co.in, **दूरभाष / Phone:** 011-26762855/2580
कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT

57वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना
ई–वोटिंग / रेकार्ड तिथि की जानकारी

कम्पनी की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को अप. 03.00 बजे (आईएसटी)**, एजीएम आयोजन की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, सर्कुलर नंबर 19/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 तथा सर्कुलर नंबर 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1 /सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से **"संबद्ध सर्कुलर्स"** कहे गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर कम्पनी के सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकगण की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ 01 सितम्बर, 2022 को कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीबद्ध है अथवा जो एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के प्रयोजनार्थ अपनी ई–मेल आईडी हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड https://mailupd.alankit.com के पास अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा चुके हैं। सूचनाओं की भौतिक प्रतियां वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित डाक द्वारा उन शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं, जिनके द्वारा अनुरोध किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध कम्पनी/आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** अथवा **rta@alankit.com** पर भेज सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.engineersindia.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमानुसार पर और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेन्सी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु अनुदेश :

कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर उनके वोट डालने के अधिकार के प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों (**"ई–वोटिंग"**) द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण यहां नीचे वर्णित तिथियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (**"रिमोट ई–वोटिंग"**) का प्रयोग करते हुए अपना वोट रिमोटली डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकेंगे।

कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एजेन्सी के तौर पर एनएसडीएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

ई–वोटिंग के संबंध में जानकारी और अनुदेश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई–वोटिंग के लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। भौतिक रूप, अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई–वोटिंग का आरंभनः	**शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी)**
रिमोट ई–वोटिंग का समापनः	**सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी)**

उपरोक्त तिथि और समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को दर्ज मौजूद है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हकदार होगा।

ई–मेल पता पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि निम्नानुसार है :

- भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे कम्पनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कार्यालय पता : 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से सम्पर्क करें अथवा **rta@alankit.com** पर ई–मेल भेजें।
- अभौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट पास पंजीकृत/अद्यतन करवा लें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।
- कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है अथवा कोई सदस्य जिसने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई है और कट–ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह भी एजीएम की सूचना, जोकि कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप विधि में एनएसडीएल को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन क्रेडेन्शियल्स प्राप्त कर सकता है। ये सदस्य एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट विधि में ई–वोटिंग अनुदेशों का प्रयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्यगण यह भी नोट करें कि कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश (₹ 1/– प्रति इक्विटी शेयर), यदि सदस्यों की 57वीं एजीएम में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया, की अधिकारिता के अभिनिश्चयन के प्रयोजन हेतु **सोमवार, 5 सितम्बर, 2022** की तिथि रेकार्ड तिथि निर्धारित की गई है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई संदेह अथवा समस्या है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** में डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") तथा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह को **evoting.nsdl.co.in** पर ई–मेल भेजें। सदस्यगण टोल फ्री नंबर 18001020 990 अथवा 1800224430 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पूछताछ के लिए, आप हमसे भी नीचे दिए विवरण के अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं :

कम्पनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, फोन : 011–2610 0258, ई–मेल : company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
एस. के. पाढ़ी
कम्पनी सेक्रेटरी

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2022

कार्यालय ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0–बल्दीराय, सुलतानपुर

पत्रांक–मेमो / विज्ञापन / 2022–23 दिनांक–02–09–2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0 बल्दीराय सुलतानपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक फर्म/ठेकेदार सीलबंद निविदाएं दिनांक–08–09–2022 को अपरान्ह 02:00 बजे तक ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त निविदाएं दिनांक–08–09–2022 को ही अपरान्ह 03:00 बजे सार्वजनिक रूप में निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	जू0हा0 उमरा में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	7,93,061/–
2	प्रा0वि0 पूरे जवाहर तिवारी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	6,34,727/–
3	प्र0वि0 उमरा द्वितीय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	5,54,760/–

नोटः– नियम व शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस में देखी पढ़ी व जानी जा सकती है।

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत उमरा वि0ख0 बल्दीराय जनपद सुलतानपुर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

संख्या–481/रीडर–टी0जी0/2022 दिनांक: 01 सितम्बर, 2002

नोटिस

1. एस आर मेडिकल प्रो0 मकसूद अहमद खान पता 418/27 क गढ़ी पीर खं देवीदास मार्ग लखनऊ।
2. नजीरा खातून पता मकान सं0 431/648 मोमिन नगर कैम्पेल रोड लखनऊ।
3. मकसूद अहमद खान पता मकान सं0 431/648 मोमिन नगर कैम्पेल रोड लखनऊ।

एतद्द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि एचडीबी फा0 सर्विसेज लि0 लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नही किया गया है। अतः आप दिनॉक 16.09.2022 को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायलय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायलय में उपस्थित नही होते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नही कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

(राकेश सिंह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/ अपर कलेक्टर,लखनऊ।

फॉर्म–आईएनसी–26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) और

सरला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालयः 2,सैनिक फार्म सी–1 लेन, नई दिल्ली 110062 के मामले में, ... याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवे. दन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 31.08.2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2वीं तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के उपरोक्त दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए या वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता हैः

पंजीकृत कार्यालयः 2,सैनिक फार्म सी–1 लेन, नई दिल्ली 110062

हस्ता ./–
नाम :– रमा शंकर तिवारी
पदनाम :– कंपनी सचिव
पताः – 2, सी–1 लेन सैनिक फार्म नई दिल्ली–110062

कृते और उसकी ओर से
सरला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक – 02/09/2022
स्थानः– नई दिल्ली

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC027057
Regd. Off: 401-A, PP Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034
E-mail: stancap.delhi@gmail.com
Website: www.stancap.co.in, **Phone:** 011- 47461199

NOTICE OF CONVENING 35th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the **35th Annual General Meeting ("AGM") of Standard Capital Markets Limited ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 04.00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 13, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 (collectively referred to as "relevant Circulars") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.stancap.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of registering / updating email addresses by the Members:

- For shares held in physical form - Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com
- For shares held in demat form - Please contact your Depository Participant (DP)

Manner of casting vote(s) through e-voting :

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

For Standard Capital Markets Limited
Sd/-
Vineeta Gautam
Company Secretary

Date: 02/09/2022
Place: New Delhi

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD

Regd. Office : D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110048, Tel : 011-49025758, Fax : 011-41633812, CIN : L65929DL1991PLC043182
Website : jagsonpal.co.in, email : info@jagsonpal.co.in

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of Jagsonpal Finance & Leasing Limited will be held on **Sunday, September 25, 2022 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the ordinary businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM along with the aforesaid Annual Report on September 1, 2022.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 31st AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.jagsonpal.co.in). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (**"the Act"**) read with the relevant rules made there under, as amended from time to time, along with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**) and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 31st AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Sunday, September 18, 2022. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Thursday, September 22, 2022 at 9:00 a.m. and will remain open upto Saturday, September 24, 2022 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM

The Company has appointed Mr. Prasant Kumar Sarkar (Membership No. FCS No. 6996, C.P. No. 6534), Practising Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/ instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM are contained in the Notice of 31st AGM.

The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website of NSDL: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Sumit Kumar Ghosh, Company Secretary, e-mail to jagsonpalfinance@gmail.com. Address: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave–I, New Delhi - 110048, Contact No.: 011-41633812 / 49025758.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at info@masserv.com with a copy marked to the Company at jagsonpalfinance@gmail.com along with his / her / its relevant particulars i.e. DP ID& Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explain in e-voting instruction.

Since the 31st AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 19, 2022 to Sunday, September 25, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of 31st AGM.

For Jagsonpal Finance & Leasing Ltd
(Sumit Kumar Ghosh)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

Kothari Fermentation and Biochem Ltd.

CIN: L72411DL1990PLC042502
Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi-110017
Tel: 011-26850004, **E-Mail:** info@kothariyeast.in, **Website:** www.kothariyeast.in

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Member's of Company will be held on **Saturday, the 24th day of September, 2022 at 11:30 A.M** through Video Conferencing (**"VC"**)/Other Audio Visual Means (**"OAVM"**), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Notice is available on the website of the Company at www.kothariyeast.in and of NSDL. All the members are informed that:

1. The ordinary and the special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means.
2. Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: 1st September, 2022.
3. Date and time of commencement of e-voting: 21st September, 2022 (Wednesday) from 9:00 a.m and ending 23rd September, 2022 (Friday) at 5.00 p.m,
4. Cut-off Date (Members eligible to cast vote only if they are holding shares on this date): 17th September, 2022.
5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID & Password is also provided in the Notice of the AGM.
6. Member may note that: **a)** the remote e-voting shall not be allowed beyond 23rd September, 2022 : **b)** the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: and **c)** the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM.

For any queries, the members may contact for any grievance at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or write to the Company at info@kothariyeast.in or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id: evoting@nsdl.co.in.

For **Kothari Fermentation & Biochem Ltd.**
Silky Gupta
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 02.09.2022

NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED
Regd. Office : Plot No. 5, KH 12/8, KH-12/9, KH-12, Arjun Gali, New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093
Corporate Office : Plot No. 03, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110092
CIN: L37100DL2019PLC344788 , Website: www.nupurrecyclers.com
Email: compliance@nupurrecyclers.com, Tel: +91-8882704751

INFORMATION REGARDING 04th ANNUAL GENERAL MEETING

It is hereby informed that **04th Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of NUPUR RECYCLERS LIMITED **("the Company")** will be held on Tuesday, **September 27, 2022 at 03:00 p.m.** through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular dated May 5, 2022 read with earlier circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, January 13, 2021 and December 14, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as **"MCA Circulars"**), to transact the business set out in the Notice convening the 04th AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** circular dated May 13, 2022, read with circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (hereinafter referred to as **"SEBI Circulars"**), the Notice of the 04th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to the Members of the Company electronically, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent /Depository Participant(s) as on August 31st , 2022. A member may demand the hard copy of the same by writing us at **compliance@nupurrecyclers.com**. The Notice and aforesaid documents will also be available on the Company's website **www.nupurrecyclers.com**, on the websites of the Stock Exchange, i.e., at **www.nseindia.com** and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at **www.evotingindia.com**.

Remote e-Voting, Participation at the AGM through VC/OAVM and e- Voting at the AGM:

The Company has engaged the services of CDSL as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM and for providing e-Voting facility. Members of the Company, holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2022, may cast their vote electronically and attend the AGM. To attend the AGM through VC/OAVM, Members are requested to login at CDSL e-voting system.

Members may cast their vote through remote e-Voting at CDSL e-voting system by using their login credentials. The facility for e-Voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The manner of voting including voting remotely (remote e-Voting) by members holding shares in dematerialised mode and for Members who have not registered their email address will be provided in the Notice of this AGM.

Since, all the members of the Company are holding shares in dematerialized form, therefore they are requested to register/update their email address with the Depository Participants **("DP")** with whom they are maintaining their demat accounts by submitting forms and documents as may be required by the DP(s).

Notice of the 04th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered email address in due course.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of 04th AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting the vote through remote e-Voting before or during the AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of the AGM, Annual Report and login details for joining the 04th AGM through VC including e-voting by sending a request to the Company at compliance@nupurrecyclers.com, by providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address.

If the email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on registered email addresses of the member. Same credentials should be used for attending the AGM through VC. If the member is already registered for electronic voting, then member can use the existing login credentials for remote e-voting facility of CSDL and same credentials can also be used to attend the AGM through VC. For further details and information about registration, please refer the notice of AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533.

By Order of the Board of Directors
For Nupur Recyclers Limited
Sd/-
Shilpa Verma
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : September 03, 2022

JAY USHIN LIMITED

CIN: L52110DL1986PLC025118
Registered Office: GI-48, G T Karnal Road, Industrial Area, Delhi 110033
Email : julinvestors@jushinindia.com | Website: www.jpmgroup.co.in
Phone: 011-43147700

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E- VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 36TH Annual General Meeting ("AGM") of Jay Ushin Limited ("the Company") will be held on September 29, 2022 at 11:00 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular dated 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 19/ 2021 Dated December 12, 2021, Circular No. 2/2022, Dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")(collectively referred to as MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 to transact business set out in the Notice calling the AGM dated August 9, 2022.

The electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be send to all the members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.jpmgroup.co.in, on the website of stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the National Security Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com. The dispatch of the notice will be completed by September 3, 2022.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other applicable laws, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting before the AGM and during the AGM) of the business to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has appointed NSDL, to facilitate voting through electronic means.

Members holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date Thursday, September 22, 2022 may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of AGM through the electronic system of NSDL ('remote e- voting').

Members are hereby informed that:

i. The business as set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or e- voting at AGM.
ii. Day, Date and time of commencement of remote e – voting: Monday, 26th September, 2022at 09:00 AM(IST)
iii. Day, Date and time of end of remote e – voting: Wednesday, 28th September, 2022 at 05:00 PM(IST)
iv. Cut – off date: Thursday, September 22, 2022.
v. Any person who acquire shares of the Company and become member post- dispatch of the notice and holds shares as on cut off date Thursday, September 22, 2022 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already register with NSDL for e – voting then the existing user Id and password can be used.
vi. Once the vote on resolution is casted, the member shall not be allowed to change it.
vii. The facility of voting will also be made available during the AGM, and those member present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on resolution through remote e- voting are not barred from doing so, shall be eligible to vote through e – voting at the AGM.
viii. Members who have casted their vote through remote e- voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not cast their vote again.
ix. Persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on the cut- off date shall be entitled to avail the facility of remote e- voting or e- voting at the AGM.
x. Manner of voting for members holding share in demat form or physical form and members who have not registered their e- mail is provided in the Notice.
xi. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their e-mail addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com
xii. In case of any queries with respect to remote e-voting or e-voting at the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no.: 1800-222-990 or can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in.

For **Jay Ushin Limited**
Sd/-
Ashwani Minda
Managing Director

Date: 03/09/2022
Place: Gurugram

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई–400013
परिमंडल कार्यालयः कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय–भुग्तेय निम्नांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' एवं ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।

क्र.सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधककृत संपत्ति के विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. धराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की धराज 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री विजय सिंह (''ऋणकर्ता'') 2. श्यामवती (अब मृतक) (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNHLGUR000028307 रु. 25,93,390/– (रुपए पच्चीस लाख तिरानबे हजार तीन सौ नब्बे मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागू योग्य भावी ब्याज के साथ	फ्लैट सं. 102, प्रथम तल (आगे बाएं हाथ की ओर), क्षेत्राधिमापन 550 वर्ग फुट, जो भूखंड सं. 1074 व 1074ए पर निर्मित, गली सं. 3 में, खेवट/खाता सं. 1405/1916, खसरा सं. 6310/161(1–1–0), 157(2–13–0) में से, ग्राम गुड़गांव की राजस्व संपदा, अब महालक्ष्मी गार्डन–।।/राजेंद्र पार्क के रूप में विदित कॉलोनी, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	आरक्षित मूल्यः रु. 20,45,000/- (रुपए बीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) धरोहर राशि जमाः रु. 2,05,000/- (रुपए दो लाख पांच हजार मात्र) वृद्धिशील मूल्यः रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.Capriglobal.in/auction/ में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तेंः

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं बिना वसूली आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी आश्वस्ति एवं क्षतिपूर्ति के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारी विलेखों का अनुशीलन करने और अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ/समुचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे, द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदान हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकेंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079. 68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, ई–मेलः ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत करने होंगे और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अंकितानुसार) के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकारों को, ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे गए संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर प्लेस, नई दिल्ली–110 060 के पास अधिकतम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर ''कर्जदार का नाम'' की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री........ में भाग लेने हेतु संविदा'' लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और योग्य संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोलियां कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे संविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
11. योग्य संविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य संविदाकारों द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां ''10'' मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी समस्त बोलियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार, ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल संविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली–110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में घोषित होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहरित डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रख दिया जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) (यदि लागू है) अदा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल संविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
21. प्राधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री, बिक्री की निर्धारित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नरहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. संपत्ति में पड़ी हुयी चल वस्तु या मद (यदि कोई) विक्रय के साथ दिया जानेवाला ऑफर नहीं है।
25. अधिक विवरणों एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्री प्रार्थना सम्पत, मोबाइल नं. 7400445137/9990275365 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनीः अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार की ओर से किसी कमी/विफलता (इंटरनेट विफलता, विद्युत विफलता आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से अनुरोध है कि समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएँ/विकल्प, जैसे बैक–अप विद्युतापूर्ति तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, तैयार कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थानः दिल्ली दिनांकः 03.09.2022 **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टॉवर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई–400013
परिमंडल कार्यालयः कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9–बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय–भुग्तेय निम्नांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' एवं ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।

क्र. सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधककृत संपत्ति के विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. धराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की धराज 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री भूपेंद्र सिंह (''ऋणकर्ता'') 2. सुश्री धनवती देवी अर्थात् मुन्नी देवी (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCJPGTL0000005055 एवं LNCGCPURTL0000009209 रु. 39,56,823/– (रुपए उनतालिस लाख छप्पन हजार आठ सौ तेईस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपत्ति विवरण एमसीएस नं. 253/5 (क्षेत्र माप 4 मारला), वार्ड नं. 5, किला/एमयू नं. 219, 6/2/1 (2–0), 6/1 (2–8), 7/1/1/(0–13), 7/2/2 (3–5), शिव कॉलोनी, सोहना, गुड़गांव, हरियाणा–122003	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	**आरक्षित मूल्यः** रु. 25,15,000/- (रुपए पच्चीस लाख पंद्रह हजार मात्र) **धरोहर राशि जमाः** रु. 2,51,500/- (रुपए दो लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) **वृद्धिशील मूल्यः** रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)
2.	1. श्री राकेश अरोड़ा (''ऋणकर्ता'') 2. श्रीमती वंदना अरोड़ा 3. श्री वैभव अरोड़ा (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCCHATL0000006211 रु. 22,26,447/– (रुपए बाईस लाख छब्बीस हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपूर्ण तृतीय तल छताधिकारों के साथ जो निर्मित संपत्ति सं. 4/51 पर है जिसका क्षेत्राधिमापन 100 वर्ग गज है और जो रमेश नगर, दिल्ली–110015 में स्थित है	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	**आरक्षित मूल्यः** रु. 48,40,000/- (रुपए अड़तालीस लाख चालीस हजार मात्र) **धरोहर राशि जमाः** रु. 4,84,000/- (रुपए चार लाख चौरासी हजार मात्र) **वृद्धिशील मूल्यः** रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र)
3.	1. मैसर्स बालाजी वेजिटेबल शॉप (''ऋणकर्ता'') 2. श्री विनय कुमार 3. श्रीमती सविता देवी (सह–ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCAZDTL0000004605, LNCGCPURTL0000009200 एवं LNBLAZD000051846 रु. 29,15,544/– (रुपए उनतीस लाख पंद्रह हजार पांच सौ चौवालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	एक दूकान जो भूतल पर है जिसका प्राइवेट नंबर 02 है जो छताधिकारों के बिना, जिसका क्षेत्राधिमापन 17.65 वर्ग मीटर, निर्मित संपत्ति नगर निगम सं. 1202 के एक भाग के रूप में, वार्ड सं. VIII, इमली मोहल्ला, कूचा पाती राम, सीताराम बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– आम दीवाल और अन्य दूकानें, पश्चिम– आम दीवाल और अन्य दूकानें, उत्तर– मोहल्ला इमली, दक्षिण– आम दीवाल और संपत्ति का भाग	1. ई–नीलामी तिथिः 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ धराज जमा करने की अंतिम तिथिः 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथिः 08.10.2022	**आरक्षित मूल्यः** रु. 31,20,000/- (रुपए इकतीस लाख बीस हजार मात्र) **धरोहर राशि जमाः** रु. 3,12,000/- (रुपए तीन लाख बारह हजार मात्र) **वृद्धिशील मूल्यः** रु. 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.Capriglobal.in/auction/ में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तेंः

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं बिना वसूली आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी आश्वस्ति एवं क्षतिपूर्ति के है।
2. ई–नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।
3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारी विलेखों का अनुशीलन करने और अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ/समुचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
4. नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे, द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदान हेतु ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकेंगे।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, ई–मेलः ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत करने होंगे और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अंकितानुसार) के 10ः की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
9. इच्छुक संविदाकारों को, ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे गए संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर प्लेस, नई दिल्ली–110 060 के पास अधिकतम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर ''कर्जदार का नाम'' की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री........ में भाग लेने हेतु संविदा'' लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी सहित संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और योग्य संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोलियां कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे संविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
11. योग्य संविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य संविदाकारों द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां ''10'' मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी समस्त बोलियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेंगी।
13. ई–नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार, ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल संविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई–मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली–110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि करेगा।
14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में घोषित होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75ः राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में आहरित डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रख दिया जायेगा।
16. सफल संविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
17. सफल संविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) (यदि लागू है) अदा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।
19. सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल संविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
21. प्राधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई–नीलामी बिक्री, बिक्री की निर्धारित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नरहित होगा।
23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
24. संपत्ति में पड़ी हुयी चल वस्तु या मद (यदि कोई) विक्रय के साथ दिया जानेवाला ऑफर नहीं है।
25. अधिक विवरणों एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनीः अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार की ओर से किसी कमी/विफलता (इंटरनेट विफलता, विद्युत विफलता आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकारों से अनुरोध है कि समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएँ/विकल्प, जैसे बैक–अप विद्युतापूर्ति तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, तैयार कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थानः दिल्ली दिनांकः 03.09.2022 **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**

रुपया 79.82 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

मजबूत डालर मांग व एशियाई मुद्राओं में गिरावट के अनुरूप अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को रुपया 26 पैसे लुढ़क कर 79.82 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

मैं शीतला प्रसाद साहू पुत्र सुन्दरलाल, दिलकुशा गार्डेन, सरवेंट क्वार्टर, कैंटोनमेंट, लखनऊ उ.प्र. 206002 मेरी पुत्री के स्कूल के दस्तावेजों में नाम आकृती कुमारी अंकित है अतः सही नाम आकृती कुमारी साहू है एवं मेरा नाम शीतला प्रसाद अंकित है अतः सही नाम शीतला प्रसाद साहू है।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती अनु उपाध्याय, पत्नी श्री अशोक कुमार उपाध्याय, निवासी जी– 275 , प्रीत विहार, दिल्ली–110092 , ने अपने पिता श्री सुरेश चन्द शर्मा, माता श्रीमती रानी शर्मा, बड़ी बहनों श्रीमती सन्ध्या शर्मा व सोनिया भारद्वाज द्वारा लगातार मेरी मुवक्किल के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने व मानसिक रुप से परेशान करने की वजह से हर तरीके का रिश्ता खत्म कर दिया है। मेरी मुवक्किल के पति श्री अशोक कुमार उपाध्याय ने भी अपने इन ससुराल वालो से सारे सम्बन्ध विच्छेद कर दिए हैं मेरी मुवक्किल एव उनके पति के नाम से इन लोगो के साथ किसी भी तरीके का व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

सचिन भारद्वाज
अधिवक्ता
चै. नं. 312–ए, वैस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public through this public notice, that I, Smt. Ujjwal Jain W/o Late Sh. Vipin Kumar Jain, r/o A-21, Ashoka Enclave, Part-II, Sector-37, Faridabad, Haryana, aged around 65 years, had earlier vide public notice dated 28/09/21, published in newspaper on 6/10/2021, had severed my relations with my son namely Sh. Sidharth Jain, and had further disowned him from all my movable and immovable properties. However now I have realized that the I had done the aforesaid act of disowning my son under the influence of my relatives without knowing the true facts. Now I have realized my mistake that the said act of mine was not correct and was done under influence of my relatives who did not knew the correct facts.

By way of this public notice, I bring it to the knowledge of general public that I have revoked my said notice of 28/09/21 published in newspaper on 6/10/2021, as far as it pertains to my son Sh. Sidharth Jain. I am living happily with him and he alone is taking care of me in this old age being a dutiful son. He had all the rights and interests in all my properties and anyone dealing with him regarding my properties be construed to be dealing with me.

Sd/- **NAVEEN KOHAR**
D-3738/17 ADVOCATE
F-11, SECOND FLOOR,
LAJPAT NAGAR-III, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client(s) are purchasing the property Flat No.485A, Second Floor, with covered area 29.60 Sq. Mtrs. situated in the Housing Board Colony known at Suncity, Sector 54, Gurugram, Tehsil Wazirabad, Distt. Gurugram (Haryana), in next 10 (ten) days from the legal allottee / owner Shri Parvesh S/o Shri Azad Singh, R/o H No.31/1118, Sant Kabir Basti, Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana presently residing at Village Hazipur, Noida, Uttar Pradesh through his GPA holder, Mr. Amit Kumar Syal S/o Shri Vijay Syal, R/o E-65, Sun City Area, Sector-54, Gurugram presently residing at T-25, Windsor Court, DLF Phase-IV, Chakkarpur, Gurugram vide GPA Vasika No. 4122 Dated: 21.11.2016 registered with sub Registrar 2, Noida, Uttar Pradesh. If anybody else claiming to have any sort of right, interest, title etc. of any nature in respect of the aforesaid property or any part thereof, may put forth his/her/their claim with the undersigned along-with supporting documentary evidence within 5 days (Five) days from the date of publication of this notice.

Dr. Rajender Singh Tehlan,
(Advocate)
Mob no 9958591144
159, Shaheed Bhagat Singh Block Distt. Court, Gurugram

PUBLIC NOTICE

Public at large are hereby informed that Sh. Ashok Kumar & Sh. Adarsh Kumar both S/o Late Sh. Ram Kishore claims to be the absolute owner and in possession of **Property No.265, area measuring 250 sq. meters, Block-B, Situated at Sector-26, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.** (said property), on the basis of Mutation Letter dated 14.05.2019 issued by NOIDA Authority after the death of their father i.e. Late Sh. Ram Kishore, who was the previous owner of said property.

Now, **Sh. Ravi Awana** proposes to purchase the aforesaid property from **Sh. Ashok Kumar & Sh. Adarsh Kumar** by availing the loan facility from our client **ICICI Bank Ltd.** against the security of aforesaid property.

Any person(s) claiming any rights, title or interests whatsoever, in and over the aforesaid property or any part thereof through sale, exchange, mortgage, gift, trust, inheritance, bequest, possession, lease, lien, easement or otherwise may lodge his claims/objections with documentary proof thereof, to the undersigned, **within 14 days** from the date of publication of this notice, as otherwise **Sh. Ravi Awana** shall proceed towards the purchase and mortgage transactions with good faith, as if there are no subsisting claims/objections, and all such claims/objections not filed in time shall be deemed to have been waived & given up and shall not be binding on him and our client **ICICI Bank Ltd.**

Mohd. Raees (Advocate)
D/4458/2015
R&P Legal
Advocates & Legal Consultants
I-1693, Chittaranjan Park, New Delhi -110019;
Mobile No: 9654708907
Ph. 011-46063838, 41018803 Extn. 106

PUBLIC NOTICE

General Public are hereby informed on behalf of Mrs. Pinki Jain W/o Sh. Lal Chand Jain, R/o 69, Rishav Vihar, Delhi-110092 is the Owner and titleholder of the Residential Plot bearing No. 69, Area measuring 167.22 Sq. Yds, situated in the layout plan of Shree Rishabh Jain Co-Operative House Building Society, in the area of Village Karkardooma, colony known as Rishabh Vihar, Delhi-110092 vide Conveyance Deed dated 17.06.2002, which was duly registered with the office of Sub Registrar-VIII, Delhi as Document No. 3285 in Addl. Book No.1, Volume No.651 at Pages No.91 to 93 on 17.06.2002. In the above Conveyance Deed registered in the office of Sub Registrar-VIII, Delhi Plot Area is mentioned as 167.22 Sq. Yds is wrongly mentioned instead of Plot Area 200 Sq Yards as is mentioned 200 Sq. Yds in the Perpetual Sub-Lease Deed dated 30.01.1984, which was duly registered with the office of Sub Registrar-IV, Delhi as Document No.194 in Addl. Book No.1, Volume No.1708, Pages No.172 to 180 on 03.02.1984 in favour of Sh. Raj Narain Jain S/o Sh. Har Narain Jain. Sh. Raj Narain Jain left for heavenly abode on 10.09.1989.After the death of Sh. Raj Narain Jain, the above said plot had acquired by Sh. Sanjeev Kumar Jain S/o Sh. S.C. Jain (Bhanja of Sub- Leessee) through a registered WILL which was duly registered with the office of Sub Registrar-IV, Delhi as Document No.221 in Addl. Book No.1II, Volume No.108, Pages No.70 on 02.02.1984 and also mutated in the name of himself (i.e. Sh. Sanjeev Kumar Jain) from Delhi Development Authority vide its Mutation Letter No. F.13(69)87/SRJ/CS/2516 dated 24.04.1997. The above WILL has been lost/misplaced and for that FIR has been lodged Vide FIR/LR No. 746935/2022 dated 31.08.2022, PS Crime Branch, Delhi. I or my legal heirs or successor or assign or executor or administrator or beneficiary or anybody/Person or M/s Cressa Gadgets Private Ltd, having its registered Office at S-21, Cross River Mall,Near-CBD Ground, Shahadara, Delhi-110092. Through its Directors Sh. Ankur Jain & Sh. Abhijeet Goswami or through any body/ Company will never dispute the title, identity, Number & boundary of the captioned Property as I will mortgage the same in the Account of M/s Cressa Gadgets Private Ltd, who have applied for getting the Loan from Punjab National Bank, Mid Corporate Centre, A-Block, DDA Market, Suraj Mal Vihar, Delhi-110092 and the Board Resolution of above Company had also confirm the same. If anybody has any objection or any dispute with respect to the above, then the objection of the same may be submitted to the above bank within seven days from the date of publication of the notice.

Sd/-
Amrendra Kumar Jha
Advocate
Chamber No. B-3,
Bawa Gurucharan Singh Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

'आठ साल में मनरेगा पर खर्च किए पांच लाख करोड़'

हैदराबाद, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते आठ वर्षों में केंद्र ने मनरेगा योजना पर पांच लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें से 20 फीसद कोविड महामारी के दौरान व्यय किए गए।

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में गुरुवार को सीतारमण ने कहा कि बीते आठ वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य को 20 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी अवधि में पूरे देश में पांच लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 20 फीसद से अधिक 2020–21 के दौरान कोविड–19 के प्रकोप के वक्त खर्च किए गए। इसमें अहम मुद्दा यह है कि यदि पैसा ठीक से खर्च नहीं होने की शिकायतें आती है या आडिट रिपोर्ट में कोई टिप्पणी होती है तो तो सर्वे दल (किसी भी राज्य में) आएंगे। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सर्वे दलों को योजना को रोकने के लिए भेजा जा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोई विसंगतियां होने पर सर्वे दलों को उनमें सुधार करने के लिए भेजा जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में योजना में अनेक खामियां थीं, जिन्हें मोदी सरकार ने दूर किया और इसे अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लागू किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि के चंद्रशेखर राव की सरकार राज्य विधानसभा को सूचित किए बगैर और बजट में उल्लेख किए बगैर ऋण ले रही है।

तृणमूल कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, 80 लाख की नगदी बरामद

कोलकाता, 2 सितंबर (भाषा)।

लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले पोंजी घोटाले में कथित भूमिका को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता व हालीसहर नगर निगम के अध्यक्ष राजू साहनी को सीबीआइ ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजंसी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सीबीआइ अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और बर्धमान संमार्ग वेलफेयर ट्रस्ट पोंजी घोटाला मामले में घंटों उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपए नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है। अधिकारी ने बताया, 'हमने तृणमूल कांग्रेस के नेता राजू साहनी के आवासों की तलाशी ली और वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। हमारे अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। साहनी को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।' उन्होंने बताया कि कुछ दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि थाईलैंड में साहनी का बैंक खाता है। उन्होंने कहा, 'आशा है कि पूछताछ के दौरान हमें उनसे और सूचना मिलेगी।' घोटाले के संबंध में सीबीआइ की आर्थिक अपराध इकाई ने 2018 में मामला दर्ज किया था।

विज्ञापनों में हिंदू त्योहारों की बाधाएं दूर करने का दावा

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बेस्ट (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) की बसों पर विज्ञापन दिया है जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे–देवेंद्र फडणवीस सरकार के आने से हिंदू त्योहारों को मनाने में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया गया है।

विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के उपमुख्यमंत्री फडणवीस की तस्वीरों के अलावा भाजपा के चिह्न 'कमल' और गणेश की तस्वीरें हैं। मुंबई में जल्द ही निकाय चुनाव होने की संभावना है। 'बेस्ट' के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उपक्रम के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इसकी बसों के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन इस उद्देश्य के लिए अनुबंधित एक वाणिज्यिक एजंसी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गौरतलब है कि 'बेस्ट' शहर की सबसे बड़ी सड़क परिवहन सुविधा है, जिसके बेड़े में 3,700 बस हैं जिनसे हर दिन लगभग 30 लाख लोग यात्रा करते हैं।

उतार–चढ़ाव भरे कारोबार में सूचकांक 37 अंक मजबूत

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को उतार–चढ़ाव के बीच बीएसई सूचकांक लगभग 37 अंक की बढ़त में रहा। वैश्विक वृद्धि में नरमी और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दर बढ़ाने को लेकर चिंता के बीच बाजार में उतार–चढ़ाव रहा। कारोबारियों ने कहा कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट व विदेशी पूंजी की निकासी से भी निवेशक जोखिम लेने से बचे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक कारोबार के दौरान काफी समय तक कभी लाभ में और कभी नुकसान में रहा। अंत में यह 36.74 अंक यानी 0.06 फीसद की बढ़त के साथ 58,803.33 अंक पर बंद हुआ।

जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति ह्रषिकेश राय की पीठ ने याचिका को इसी विषय से संबंधित दूसरी लंबित याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश भी दिया है।

याचिका अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है। इससे पहले आठ अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को भी मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था। अपनी याचिका में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस और कारगर कानून न होने की सूरत में अदालत विधि आयोग को निर्देश दे कि दूसरे विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को देखने के बाद भारत के लिए भी वह उचित कानून बनाने की दिशा में अपने सुझाव और सिफारिश दे। इससे पहले 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर अदालत ने यह कदम उठाया था। याचिका में उपाध्याय ने कहा था कि आबादी का विस्फोट बम से भी ज्यादा घातक है।

अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार आबादी नियंत्रण के उपायों को देश में लागू करे।

पोषण अभियान योजना लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात अव्वल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, छोटे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में सिक्किम सबसे आगे है। 'भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण : महामारी के समय में पोषण अभियान' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 बड़े राज्यों में से 12 का क्रियान्वयन अंक 70 फीसद से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शीर्ष स्थान पर रहे। जबकि पंजाब और बिहार पोषण अभियान के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर रहे। इसमें कहा गया है कि केवल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 से 23 महीनों के 75 फीसद से अधिक बच्चों को टीका लगा है जबकि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 फीसद से कम बच्चों को टीका लगा है।

रिपोर्ट के अनुसार, पोषण अभियान के तहत कोष के उपयोग की स्थिति निचले स्तर पर है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसद से कम कोष का उपयोग हुआ है। इसमें कहा गया है, 'कर्मचारियों की नियुक्ति, उपकरणों की खरीद जैसे उपायों के माध्यम से इसके उपयोग में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है।' रिपोर्ट में पोषण अभियान के लिए जारी कोष के उपयोग में तेजी लाने और पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

ई–नीलामी दिनांक 20.09.2022 हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियों का धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्यभूदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 20.09.2022 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 18.09.2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

ई–नीलामी की तिथि व समय **20-09-2022** को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी / धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% / बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स ऑक्सीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्रा. लि., 2433, मूलत, तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज, दिल्ली–110055 गारंटर मनीषा गौर और पवन गौर, फ्लैट नं. ए–304, पार्श्वनाथ मैजेस्टिक, प्लॉट नंबर 18 ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	₹ 71,49,040/- दिनांक 19.05.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. ए–304, तृतीय तल, ब्लॉक–ए, पर्श्वनाथ मैजेस्टिक, प्लॉट नं. 18ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल (फ्लैट) 1396 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती मनीषा गौड़ और पवन गौड़ के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 78.43 लाख / ₹ 7.84 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
2	मैसर्स अर्जुन ट्रेडर्स, ई–74, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 और मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, ई–45/46ए भूतल, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली–110059	₹ 47.93 लाख (अर्जुन ट्रेडर्स) और रु. 138.72 लाख (विशाल ट्रेडर्स) (दिनांक 31.03.2022) तक (कुल रु. 186.65 लाख) और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 45–46ए, ब्लॉक ई, मनसा राम पार्क उत्तम नगर, दिल्ली–110059 में स्थित, क्षेत्रफल 154.07 वर्ग गज (128.82 वर्ग मी.) 200.00 वर्ग गज (167.00 वर्ग मी.) में से, यह सम्पत्ति श्रीमती हेमा सिंह पत्नी नेपाल सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 142.28 लाख / ₹ 14.23 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
3	मैसर्स डिजिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय ए42, सेक्टर 63, नोएडा, जिला जी बी नगर, यूपी 201301 गारंटरः मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि., पंजीकृत कॉर्यालयः प्लॉट नं. 110, ज्ञान खंड –1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010	₹ 7,40,44,363/- दिनांक 06-08-2021 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्री होल्ड सम्पत्ति जोकि पॉकेट – एफ, ईडीएम माल के पीछे, कौशाम्बी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एस 3 सिनर्जी प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 854.36 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 880.00 लाख / ₹ 88.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिष्ट मो. 9971846693
4	मैसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज (प्रोपराईटर) श्री गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल, निवासीः 127, बारी मंडी पाटिया, जिला हापुड़ – 245101 (यू.पी.) गारंटरः श्रीमती हेमलता और श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल	कैश क्रेडिट रु. 25.50 लाख दिनांक 05.02.2019 तक और होम लोन रु. 66.56 लाख दिनांक 04.09.2021 तक (प्लस भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी मकान नं. 4, खसरा नं. 2668 और 2699 का हिस्सा, मोहल्ला रामगंज, जिला हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल 104.55 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती हेमलता के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – 18' चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – 18' चौड़ा रास्ता, उत्तर में श्री देवेन्द्र कुमार जग्गी का प्लॉट नं. 6, दक्षिण में – प्लॉट नं. 3 (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 77.75 लाख / ₹ 7.80 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345
5	श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल	₹ 29.86 लाख दिनांक 31-05-2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 5–जे/27, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, द्वितीय तल, एनएच–5, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.07 लाख / ₹ 2.91 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी है: मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई–नीलामी साइट https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 पर तथा/अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई–कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर संचालित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp** तथा बैंक के पोर्टल **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक : 01-09-2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–II,

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

नियम–8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली** के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
1	श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह (उधारकर्ता), एच–22बी, नजफगढ़ रोड के पास, कुंवर सिंह नगर, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110041. सी/ओ रिचो प्रा. लि., प्लॉट नं.–72 फेज–1, उद्योग विहार गुड़गांव हरियाणा	एफ–1404, एफ–ब्लॉक, 13वां तल, टेरा एलिगेंस अलवर एक्सप्रेस हाईवे नं. 25, भिवाड़ी अलवर राजस्थान– 301019 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह के नाम पर है।	19-07-2021 / 30-08-2022	रु. 31,11,029.00 दिनांक 28.03.2022 तक और संविदात्मक दर से उक्त राशि भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित
2	श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (उधारकर्ता), बी–163, भूतल तल, सेक्टर–22, नोएडा मदर डेयरी आउटलेट के पास गौतमबुद्ध नगर यू.पी. 201301, 130 शिव मंदिर गांव के पास–धमढ़ी पोस्ट–बेलडीहा, धामराही बांका बिहार 813207 और क्वेस कॉर्पोरेशन लि., बी–1/1–1, प्रथम तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस एस्टेट मेट्रो पिलर नं. – 335 के पास, दिल्ली– 110044	जी–1506, टॉवर–जी, 14वीं मंजिल, टेरा एलिगेंस, अलवर एक्सप्रेस हाईवे नंबर 25, भिवाड़ी राजस्थान में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रशांत कुमार पुत्र पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम पर है।	28-03-2021 / 30-08-2022	रु. 31,08,134.00 दिनांक 28.03.2022 तक और संविदात्मक दर से उक्त राशि भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक : 30–08–2022, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

पंजाब नैशनल बैंक
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
पहली मंजिल, सी-13, सेक्टर - 1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.)

95 GSM MICR पेपर के 2,50,000 KGs की खरीद के लिए ई-निविदा

आई.बी.ए. अनुमोदित पेपर मिलों या उनके नामित वितरकों से खुली निविदाएं, 95 जी.एस.एम. एम.आई.सी.आर. पेपर के 2,50,000 किलोग्राम की खरीद के लिए बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता निविदा दस्तावेज देख सकते हैं जिसे बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://etender.pnbnet.in या बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इसे पंजाब नेशनल बैंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, पहली मंजिल, सी-13 सेक्टर -1, नोएडा (यू.पी.) से काम के घंटों के दौरान 03.09.2022 से 19.09.2022 तक किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से भी एकत्र किया जा सकता है।

बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 अपराह्न 01.00 बजे तक है।

(मुख्य प्रबंधक)

UNIMODE OVERSEAS LIMITED

304A/10178, III[rd] Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in
CIN No. L51909DL1992PLC048444, Tel. No. 011-43685156

NOTICE OF 30[TH] ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 30[th] Annual General Meeting of M/s UNIMODE OVERSEAS LIMITED will be held on Friday, 30[th] September, 2022 at Ravinder Plaza, III Floor, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, at 2:30 P.M. through Remote e-voting facility.

Notice of 30[th] AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022, will be send electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories participants in terms of the circular issued by the MCA and SEBI. The said Notice and Annual Report are also being hosted in the Company's Website at https://www.unimodeoverseas.in and on website of e-voting Agency-NSDL at www.evoting.nsdl.com

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, rules made there under and Regulation 44 of the SEBI- listing Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting services provided by NSDL on all resolutions set-forth in the Notice of AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 27[th] September, 2022 (09:00 A.M.) and ends on Thursday, 29[th] September, 2022 (05:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The cut-off date to be eligible to vote by electronic means is Friday 23[rd] September, 2022.

The share transfer books and Register of Members of the Company will remain close during the period from Saturday, 24[th] September, 2022 to Friday, 30[th] September, 2022 (Both day inclusive).

For UNIMODE OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Bhuwan Singh Taragi
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 02.09.2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) — कोटला मुबारकपुर (डी–0973) शाखा

139–ए, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24657200/43860050, ईमेलः d0973@psb.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत **पंजाब एंड सिंध बैंक, कोटला मुबारकपुर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 09.04.2021 जारी कर ऋणधारक/गारंटरों :–1) श्री मदनलाल, पुत्र श्री सरना राम, प्रॉप्राइटर : मै. प्रधान गार्मेन्ट्स, पता : 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **(ऋणधारक)** 2. स्वः श्रीमती जोगिन्दर कौर, पत्नी श्री मदन लाल (द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों) निवासी : 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **(गारन्टर)** 3. श्री अनिल कुमार, पुत्र सरना राम, निवासी 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **(गारन्टर को उक्त)** ूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 16,66,080.79 (रु. सोलह लाख छियासठ हजार अस्सी एवं पैसे उन्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 1 सितम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.3.2021 की रु. 16,66,080.79 तथा उस पर ब्याज के लिये **पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओ–कोटला मुबारकपुर** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

स्व. श्रीमती जोगिन्दर कौर के स्वामित्व में उप–रजिस्ट्रार–V, दिल्ली के कार्यालय के अंतर्गत दस्तावेज सं. 17615, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 11595, पेज 151–157, तिथि 31.10.2011 के रूप में विधिवत पंजीकृत एच नं. 1581/13, दूसरा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 में शामिल सम्पत्ति माप 100 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि : 01.09.2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — पंजाब एंड सिंध बैंक

दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी–29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058
फोन : 011–25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ई–मेलः leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com वेबसाईटः www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV
[नियम 8(1) देखें]
आधिपत्य सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने "दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.", प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110055 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, बैंक ने एक मांग सूचना दिनांकित 04.02.2019 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री राजीव शर्मा पुत्र स्वर्गीय मस्त राम शर्मा निवासी ए–2/128–ए, भूतल, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110035, यहां पर भीः श्री राजीव शर्मा पुत्र स्वर्गीय मस्त राम शर्मा द्वारा शिव श्रेय टूर एंड ट्रैवल्स, दूकान सं. 101, अग्रवाल मॉडर्न बाजार, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110035 को तथा बंधककर्ता एवं जमानतदार श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री राजीव शर्मा निवासी ए–2/128–ए, भूतल, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110035 को भी सूचना में उल्लिखित राषि रु. 42,16,101/- (रुपए बयालिस लाख सोलह हजार एक सौ एक मात्र) का, सूचना की तिथि से लेकर के भुगतान की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेतु लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऊपर वर्णित उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उपरोक्त नामित उधारकर्ता, बंधककर्ता, जमानतदार को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 31 अगस्त 2022 को, भौतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता, बंधककर्ता, जमानतदार को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि बंधककृत संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 42,16,101/- की एक राशि का, सूचना की तिथि से लेकर के वसूलीकरण की तिथि तक समय–समय पर इस ऋण खाता हेतु लागू अनुसार भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, और उक्त राशि की वसूली करने में बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों हेतु "दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि." के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानतदार का ध्यानाकर्षण निम्न वर्णित बंधककृत संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

विचाराधीन सम्पत्ति, एक निर्मित आवासीय डीडीए एलआईजी फ्लैट है, जो भूतल पर स्थित है।	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्वामित्वधारक डीडीए निर्मित एलआईजी फ्लैट सं. 128–ए के रूप में भूतल पर, ब्लॉक एवं पॉकेट ए–2 में, लॉरेंस रोड रेजिडेंशियल स्कीम के लेआउट प्लान, दिल्ली–110035 में स्थित है और जो उप–पंजीयक–VI ए, नई दिल्ली के पंजीकरणाधीन पड़ती है।

मीनाक्षी वत्स
प्राधिकृत अधिकारी
दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र
पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–58

दिल्ली
दिनांकः 31.08.2022

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली–110091
ई–मेलः cs8075@pnb.co.in, फोन नंबर (कार्या.): 011–22779758,22785289

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली,सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.01.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें मैसर्स गौतम केमिकल कंपनी (उधारकर्ता), कार्यालय डी–33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007, श्रीमती नीना छाबड़ा पत्नी श्री गिरीश छाबड़ा (मालिक), निवासी डी–33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007, यहाँ भी–796, शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली–110007, यहाँ भी– 27 ए/2, एम.आई.ई., बहादुरगढ़, झाझर, हरियाणा–124507, श्री गौतम छाबड़ा पुत्र गिरीश छाबड़ा (गारंटर सह बंधक), निवासीः डी –33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली–110007 को 11.02.2020 के अनुसार नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 8187003.95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र), जो कि 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचानबे पैसा मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि के साथ नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया।

उधारकर्ताध्गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे है, अतः उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अगस्त 2022 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता/गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली,सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट–ई, मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली को 11.02.2020 के अनुसार रु. 8187003.95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र) , जो कि 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार रु. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचानबे पैसा मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री गौतम छाबड़ा पुत्र श्री गिरीश छाबड़ा (गारंटर) के नाम पर दिल्ली राज्य सरकार कर्मचारी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सीसी कॉलोनी, सामने राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007 में स्थित फ्री होल्ड संपत्ति संख्या डी 33, मापक्षेत्र 200 वर्ग गज की छत के बिना पूरी दूसरी मंजिल।
सीमाबद्धः उत्तर पूर्व में: लेन, दक्षिण पूर्व में : अन्य संपत्ति
उत्तर पश्चिम में: अन्य संपत्ति, दक्षिण पश्चिम में : आतंरिक सड़क

दिनांकः 29.08.2022 स्थानः दिल्ली — अधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank — सर्किल सस्त्र केंद्रः दक्षिणी दिल्ली, ऊपरी भूतल, 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066, ईमेल आईडी– cs4168@pnb.co.in

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8 (I) देखें)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 23.06.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता मैसर्स वी के इम्पेक्स (स्वामी) श्री विनोद कुमार, एसबी151, यूजीएफ, जयपुरिया मॉल, अहिंसा खण्ड–I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, श्रीमती सुरंती देवी पत्नी श्री बानी सिंह निवासी ग्राम सिखेड़ा, पत्रालय पिलखुवा, तहसील–धौलाना, हापुड़–245304 और श्रीमती प्रीति सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी एच–1105, स्टेलर जीवन जी, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा–201306 तथा श्रीमती प्रमोद पत्नी संजय सोलंकी (गारंटर) निवासी मकान सं. 75, अमीनगर सराय, खिंदोड़ा, बागपत, यू.पी.–250609 को सूचना में अंकित, 23.06.2022 के अनुसार, राशि रु. 5,20,23,024.53/- (रुपये पांच करोड़ बीस लाख तेईस हजार चौबीस एवं तिरेपन पैसे मात्र) का राशि पर भावी ब्याज एवं व्ययों के साथ, सूचना की तिथि/उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 30 अगस्त 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 23.06.2022 के अनुसार, रु. 5,20,23,024.53/- (रुपये पांच करोड़ बीस लाख तेईस हजार चौबीस एवं तिरेपन पैसे मात्र) की एक राशि तथा पूर्ण भुगतान होने तक राशि पर आकलित भावी ब्याज एवं व्ययों हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्तियों के विवरणः

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणकर्ता का नाम (संपत्ति के स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	चिपकाई गई आधिपत्य सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी/रियों के नाम
1.	सर्किल सस्त्र दक्षिणी दिल्ली	मैसर्स वी के इम्पेक्स	(1) श्रीमती प्रमोद पत्नी संजय सोलंकी (2) श्रीमती सुरंती देवी पत्नी बानी सिंह	23.06.2022	30.08.2022	रु. 5,20,23,021.53	श्री पवन कुमार

बंधक संपत्ति का विवरण : (1) कारखाना एवं भवन जो खसरा सं. 440 मिन. खाता सं. 00149, ग्राम हवल (धौलाना मार्ग), परगना डासना, तहसील एवं जनपद–हापुड़, उत्तर प्रदेश (एल एंड टी प्रशिक्षण केंद्र के निकट), माप 6537 वर्ग मीटर जो श्रीमती प्रमोद पत्नी श्री संजय सोलंकी के नाम पर है।

(2) फर्म मैसर्स वी के इम्पेक्स, खसरा सं. 440 मिन. खाता सं. 00149, ग्राम हवल (धौलाना मार्ग), परगना डासना, तहसील एवं जनपद–हापुड़, उत्तर प्रदेश (एल एंड टी प्रशिक्षण केंद्र के निकट) के स्टॉक एवं बही ऋणों, अन्य चालू परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन

(3) संपत्ति खसरा सं. 508 मिन., ग्राम सिखेड़ा, परगना–डासना, हापुड़ जनपद गाजियाबाद, माप 2530 वर्ग मीटर, जो श्रीमती सुरंती देवी पत्नी बानी सिंह के नाम पर है

दिनांकः 30.08.2022, स्थानः हापुड़ — प्राधिकृत अधिकारी : पंजाब नैशनल बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडाः डी–211/2, सेक्टर–61, नोएडा–201301, दूरभाषः 0120.2583586, फैक्सः 0120.2583592
शाखाः प्रताप विहार गाजियाबाद, ईमेलः Pratapvihar@indianbank.co.in

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना हमारे इंडियन बैंक की संबंधित शाखा के पास निम्नलिखित ऋण खाता/तों के संदर्भ में निम्नलिखित ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा निम्नलिखित तिथियों पर प्रेषित सूचना

निम्न वर्णितानुसार, प्रतिभुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर भावी ब्याज/लागत के साथ निम्नांकित राशि के बराबर के ऋणों के प्रतिभुगतान में चूक की गई है। बैंक ने अधिनियम के तहत निम्नलिखित तिथि को सूचना निर्गत करके आपसे निम्न उल्लिखित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने का आह्वान किया। यह सूचना आपको 'पंजीकृत डाक/'कूरियर/'स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी, जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आयी है।

आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान की तिथि से ब्याज सहित नीचे उल्लिखित देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। भुगतान करने में विफल रहने पर, बैंक, यहां नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने को बाध्य होगा। यह सूचना, बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकारगत उपाय के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गई है।

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों के नाम	बंधककृत संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि
1.	1. **ऋणकर्ता/बंधककर्ताः श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह** बी–1/8/142, राजेंद्र नगर, सेक्टर–3 ब्लॉक–8, गाजियाबाद–201005 म.सं./प्लॉट नं. – 3/32 और 3/33, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र साइट – 2, मोहन नगर गाजियाबाद – 201007 बी–1, राज कमल अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 8/142, सेक्टर–3, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005 फ्लैट नंबर सी–247, टावर नंबर 12, रिवर हाइट्स सोसाइटी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद 201009 2. **सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ताः श्री सुमन सिंह पत्नी श्री श्रवण कुमार** बी–1/8/142, राजेंद्र नगर, सेक्टर–3, ब्लॉक–8, गाजियाबाद – 201005 मकान सं./प्लॉट नं. – 3/32 और 3/33, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र साइट – 2, मोहन नगर, गाजियाबाद – 201007 बी–1, राज कमल अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 8/142, सेक्टर–3, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद गाजियाबाद–201005 निवासी – फ्लैट नंबर सी–247, टॉवर नंबर 12, रिवर हाइट्स सोसाइटी राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद 201009 3. **त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार डेवलपर/प्रोमोटर/बिल्डरः मैसर्स जाविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत पताः** 90/3ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली –17 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** डी–205, श्याम पार्क एक्सटेंशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद –201007 4. **त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार स्वामीः** **क– मैसर्स एस.एस. बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड,** सी–211, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095, निदेशक– श्री दीपक कुमार रावत पुत्र स्वर्गीय राज सिंह, 3/114, सेक्टर–5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद – 201005 **ख– मैसर्स एस एम बिल्डर्स,** डी–103, अजनारा टॉवर, डी ब्लॉक मार्केट, विवेक विहार, दिल्ली–9, **साझीदारगणः** श्री दीपक कुमार रावत पुत्र स्वर्गीय राज सिंह, 3/114, सेक्टर–5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद – 201005 खाता संख्या 50317150659 इंडियन बैंक, प्रताप विहार गाजियाबाद शाखा (ई–एबी) के साथ	संपत्ति का विवरणः अपार्टमेंट नं. एएच–602 के समस्त वह भाग तथा अंश जो टॉवर/ब्लॉक–ए में 6ठवें तल पर स्थित हैं जिनका अनुमानित अधिक्षेत्र 1350 वर्ग फुट है जो कुल भूमि अधिमापन 22274 वर्ग मीटर पर निर्मित है जो खसरा सं. 146 एवं 199 पर परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद (वर्तमान में) राजनगर एक्सटेंशन के रूप में विदित, में स्थित हैं। प्रोजेक्ट का नाम "राज एम्पॉयर" है, जो इस इस प्रकार परिसीमित हैः उत्तर– स्थलानुसार दक्षिण– स्थलानुसार पूर्व– स्थलानुसार पश्चिम– स्थलानुसार	17.06.2022 रु. 37,24,916/– (रुपये सैंतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ सोलह मात्र) दिनांक 16.06.2022 के अनुसार एनपीए की तिथिः 14.06.2022 प्रेषित मांग सूचना की तिथि : 17.06.2022

दिनांकः 28.07.2022, स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आधिपत्य सूचना [धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1)]

सर्किल सस्त्र केंद्र, सर्किल कार्यालय बुलंदशहर, ईमेलः CS8212@pnb.co.in, दूरभाष सं- 8171640088

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में वर्णितानुसार मांग सूचना/एं निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को तालिका में अंकितानुसार राशि का, सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित राशि तथा पूर्णतः भुगतान होने तक अन्य व्ययों हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरणः

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	बंधककृत संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	चिपकाई गई आधिपत्य सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र प्रकाश चंद शर्मा	1. एक आवासीय भूखंड, कुल क्षेत्र माप 3160 वर्ग मीटर (0.316 हेक्टेयर), खाता सं. 211 (वर्तमान में खाता सं. 304 खेत सं. 250 क्षेत्रफल 0.164 हेक्टेयर और खेत सं. 426 क्षेत्रफल 0.152 हेक्टेयर) जो ग्राम गंगेरुवा, परगना बारन, तहसील एवं जनपद बुलंदशहर में स्थित हैं, निम्नानुसार पंजीकृतः श्री अशोक कुमार, श्री सुभाष एवं श्री ब्रजेश द्वारा श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा (1/3 भाग) और श्रीमती अनुजा कौशिक पत्नी श्री हितेश कुमार कौशिक (2/3 भाग) के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय विलेख जो है वह उप–पंजीयक 1 बुलंदशहर के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द सं. 1744 पृष्ठ 345–370 के क्रमांक 4633 पर दिनांकित 22.08.2008 को पंजीकृत है। भूखंड इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– खेत कन्हैया शर्मा, पश्चिम– नाला, उत्तर– खेत सुखपाल इत्यादि, दक्षिण– खेत राम सिंह **संपत्ति के विवरण नामाधिकार विलेख के अनुसार हैं***	21.05.2022	31.08.2022	रु. 68,77,030.24 (रुपए अड़सठ लाख सतहत्तर हजार तीस एवं चौबीस पैसे मात्र)+01.04.2022 से प्रभावी ब्याज+ अन्य लागत एवं व्यय
2.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह मैसर्स राधा गार्मेंट्स	एक आवासीय मकान, क्षेत्र माप 106.90 वर्ग मीटर जो कृष्णा नगर, बुलंदशहर में स्थित हैं, निम्नानुसार पंजीकृतः श्रीमती कला देवी पत्नी स्वर्गीय प्रभाती सिंह निवासी देवीपुरा ।। बुलंदशहर द्वारा श्री प्रदीप कुमार निवासी 119 विजय नगर, देवीपुरा ।। बुलंदशहर पिन 203001 के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय विलेख जो है वह उप–पंजीयक बुलंदशहर के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द सं. 7043 पृष्ठ 115–212 के क्रमांक 4744 पर दिनांकित 05.10.2017 को पंजीकृत है। मकान इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– मकान श्रीमती महेश्वरी देवी, पश्चिम– रास्ता 10 फुट, उत्तर– मकान श्रीमती सुनीता देवी, दक्षिण– मकान मेघ राज सिंह **संपत्ति के विवरण नामाधिकार विलेख के अनुसार हैं***	18.05.2022	31.08.2022	रु. 18,92,434.10 (रुपए अट्ठारह लाख बयानबे हजार चार सौ चौंतीस एवं दस पैसे मात्र)+ 01.05.2022 से प्रभावी ब्याज+अन्य लागत एवं व्यय
3.	स्वामी – श्रीमती राधा सिंघल महेंद्र नगर, अलीगढ़	एक आवासीय मकान सं. आई–227, क्षेत्र माप 162 वर्ग मीटर जो यमुना पुरम, बुलंदशहर में स्थित हैं, निम्नानुसार पंजीकृतः बीडीए बुलंदशहर के प्रतिनिधि द्वारा श्री सुनील कुमार सिंघल पुत्र रामेश्वर दयाल सिंह निवासी 153, हरि एन्क्लेव, बुलंदशहर के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय विलेख जो है वह उप–पंजीयक बुलंदशहर के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द सं. 3035 पृष्ठ 271–288 के क्रमांक 5572/5573 पर दिनांकित 16.12.2004 को पंजीकृत है। मकान इस प्रकार परिसीमित हैः पूर्व– 9 मीटर सड़क, पश्चिम– भूखंड सं. आई–218, उत्तर– भूखंड सं. आई–228, दक्षिण– भूखंड सं. आई–226 **संपत्ति के विवरण, नामाधिकार विलेख के अनुसार हैं***	02.03.2022	31.08.2022	रु. 33,52,076.00 (रुपए तैंतीस लाख बावन हजार छिहत्तर मात्र)+ 01.02.2022 से प्रभावी ब्याज+अन्य लागत एवं व्यय

दिनांकः 02.09.2022, स्थानः बुलंदशहर — प्राधिकृत अधिकारी, कृते पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सस्त्र प्रधान (मुख्य प्रबंधक)

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: एसीई (डीआर) परि.-III, द्वारा कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII
यमुना विहार सीवेज शोधन संयंत्र (डा. अम्बेदकर कॉलेज के समीप), दिल्ली-110094
फोन: 011-22813593, ईमेल: eecdr8@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रैस एनआईटी सं. 08(2022-23), ईई(सी)डीआर-VIII

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीवी)/ निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (रु.)	निविदा जारी की तिथि/ निविदा आईडी	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	मंडोली जेल दिल्ली के निकट वजीराबाद रोड से लगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पम्प के समीप हर्ष विहार में 3.85 एमजीडी डब्ल्यू पीएस के चारो ओर बाउण्ड्री वाल का निर्माण।	5424214/-	108500/-	1000/-	2022_DJB_228669-1 तिथि 2.9.2022	23.9.2022 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 318 (2022-23)

हस्ता./- (आर.के.जैन)
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII

"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु संयंत्र पर तैनात सीआइएसएफ जवान लापता

पालघर, 2 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में पालघर जिले के तारापुर में परमाणु विद्युत संयंत्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के एक जवान लापता होने की जानकारी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जवान मनोज यादव के लापता होने को लेकर गुरुवार को पालघर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई गई।

उन्होंने बताया कि यादव राइफल और 30 कारतूस के साथ लापता हैं। उन्होंने कहा कि कालोनी में यादव अकेले रहते थे और अन्य कर्मियों को लगा कि कुछ समय बाद वह लौट आएंगे लेकिन वहीं नहीं लौटे।

आग लगने की घटनाओं के बाद ई-वाहन बैटरी प्रावधान बदलेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई वाहन) में बार बार हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी के प्रावधान बदलने का निर्णय लिया है। प्रावधानों में बदलाव इस मामले में बनी विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है और इस प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रयोग की जा रही बैटरी की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया गया है और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।

ई वाहनों में इस साल की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आग लगने के मामले सामने आए थे और गर्मियां बढ़ने के साथ इन मामलों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समिति टाटा नरसिंह राव (निदेशक, एआरसी, हैदराबाद) की अध्यक्षता में बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार ने बैटरी संबंधी मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रारूप तैयार किया है। विशेषज्ञ समिति ने एक अक्तूबर, 2022 से नए बैटरी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है।

संशोधनों में बैटरी सेल, बीएमएस, आन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का प्रारूप, आंतरिक सेल में शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एल श्रेणी (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन) के मोटर वाहनों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। साथ ही एम श्रेणी (यात्रियों को ले जाने वाली कम से कम चार पहिया मोटर गाड़ी) और एन श्रेणी (माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन, जो माल के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है) के मोटर वाहनों की अलग आवश्यकताएं होती है। इसलिए बैटरी प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा हे।

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II

SBI
एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, फ्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली-110075
श्री रेशम सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स लैक्रेस ईटर वर्ल्ड, के-266, साइट-वी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कासना, ग्रेटर नोएडा-201310
श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, बी-401, उपकारी अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 09, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110078

विषय: गिरवी रखे हुए फ्लैट से घरेलू सामान हटाने के लिए नोटिस

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने सीएमएम आदेश, द्वारका कोर्ट, दिनांक 27.07.2022 के अनुसार 25.08.2022 को बंधक रखी गई संपत्ति (फ्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली) का भौतिक कब्जा ले लिया है।
उक्त बंधक सम्पत्ति में उपरोक्त ऋणी का घरेलू सामान नही हटाया गया जबकि कब्जे की कार्यवाही की पूर्व सूचना दी गयी थी।
अतः उपरोक्त ऋणी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपना उपरोक्त सामान बंधक सम्पत्ति से 7 दिवस के अंतर्गत उपयुक्त खर्चे भरने के पश्चात हटा लें अन्यथा इसे कानून के अंतर्गत उपयुक्त निस्तारण किया जायेगा तथा इसके खर्चे की वसूली उपरोक्त ऋणी से की जाएगी।

दिनांक 02-09-2022, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता0/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, मण्डल कार्यालय लखनऊ
(पीएनबी आईटी), प्रथम तल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ईमेल:cs8272@pnb.co.in

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002(सरफेसी एक्ट 2002) धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस

आप सभी निम्नलिखित पार्टियों को एतदद्वारा अधोहस्ताक्षरी सूचित करता है कि आप सभी के खिलाफ बैंक ने वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत कारवाई प्रारम्भ करते हुए एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आप सभी को अलग-अलग रजिस्ट्रर पोस्ट द्वारा नीचे वार्णित तिथियों को नोटिस भेजी गई थी जोकि बगैर तामील हुए वापस आ गई है। इसलिए आप सभी को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के 60 दिन के अन्दर आप संयुक्त/पृथक रूप से बकाया राशि अदा कर दें अन्यथा बैंक इस एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति बकाया राशि मय ब्याज व एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित लागत की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। यह कहना आवश्यक नही है कि बैंक के पास और कोई उपाय न होने के कारण यह सूचना बगैर किसी पूर्वाग्रह के जारी की जा रही है। ऋणियों, गारन्टर्स, बन्धककर्ताओं तथा जनसाधारण को आगाह किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कोई संव्यवहार न करें और इन सम्पत्तियों के प्रति किये गये संव्यवहार पर यदि कोई कार्य होता है, तो ब्याज सहित बैंक की बकाया राशि हेतु पहला अधिकार पंजाब नैशनल बैंक का होगा।

खाता/उधारकर्ता /जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस की रकम(रू.)
उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता-श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा, द्वारा इनके (स्वर्गीय संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा के) कानूनी उत्तराधिकारीः 1. श्री शानू, 2. श्री ऋषभ दोनों निवासी: (1.) फ्लैट नंबर 3 म.नं. 15, तृतीय तल गुरुद्वारा पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ यूपी 226004। (2) निवासी: मकान नं. 13/1/16 सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ (3) ईडी सेक्टर ए-35 कपूरथला अलीगंज लखनऊ। **जमानतकर्ता-श्री अशोक कुमार त्रिपाठी** निवासी डी-1/248, सेक्टर-एफ रिंग रोड निकट इंजीनियरिंग कॉलेज जानकीपुरम लखनऊ। खाता संख्या 873500NC00000077 और 8735009900000025 **शाखा: मामा चौराहा, लखनऊ** (873500)	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नं.-13/1/16, सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ क्षेत्र: 167.62 वर्गमीटर जोकि श्रीमती संगीता शर्मा के नाम पर है। विलेख के अनुसार चौहददी: उत्तर-मकान स.- 13/1/15, दक्षिण-मकान स.- 13/1/17 पूर्व-मकान स.- 13/1/30, पश्चिम-15 मीटर चौड़ी सड़क	02-08-2022	दि. 31.07.2022 को रू. 20,78,225.00 (रूपये बीस लाख अठात्तर हजार दो सौ पच्चीस मात्र) सहित ब्याज एवं अन्य खर्चे

आप को सलाह दी जाती है। कि - (1) मूल नोटिस/लिफाफा जो आपको सम्बोधित है तथा डाक अधिकारियों द्वारा वापस की गई है, को शाखा से प्राप्त कर लें एवं (2) सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने के लिए नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया धनराशि ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित का भुगतान कर दें।

दिनांक 02.09.2022, स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक ! (pnb, Oriental, United)

सस्त्र सेन्टर, क्षेत्रीय कार्यालय : बरेली
सी-18/बी, प्रथम तल, डी.डी. पुरम, बरेली
Ph: 0581-2520446 (Fax)
E-mail : cs8194@pnb.co.in

कब्जा धारण की सूचना

अधोहस्ताक्षरी जो कि पंजाब नैशनल बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राधि त अधिकारी है ने धारा 13(2) जिसे सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को माँग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस की दिनांक सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोर्टगेजर तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंफोर्समैंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा दिनांक 27, 28 अप्रैल एवं 2 मई 2022 को प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोर्टगेजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सौदा न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के आधीन होगा। **जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है**

क्र. सं.	ऋणी खाते का नाम व पता गारन्टर का नाम व पता शाखा का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि एवं मांग सूचना दिनांक	गिरवी रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	**ऋणी :** श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविकान्त पाण्डेय एवं श्रीमती मिथलेश पाण्डेय पत्नी श्री रविकान्त पाण्डेय **गारन्टर :** श्री धर्मेन्द्र मौर्य पुत्र श्री सोनपाल मौर्य **पीएनबी, घूरान तलैय्या, शाहजहाँपुर**	रू. 35,12,369/- + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 25.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022**	आवासीय मकान के साम्यिक बन्धक गाटा सं. 28 क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मी. श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविकान्त पाण्डेय के नाम स्थित ग्राम चिनौर, पर. व तह. सदर जिला, शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, वाल्यू सं. 10060, पेज नं. 325 से 368, क्रम सं. 4676, दिनांक 27.04.2016 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नव खरीददार राजेश वर्मा, **पश्चिम** - शेष आराजी विक्रेता, **उत्तर**- रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा, **दक्षिण** - रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा
2.	**ऋणी : मैसर्स अमन ट्रेडर्स प्रोपराइटर :** श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली **गारन्टर :** श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली, श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद एवं श्री मो. कलीम पुत्र श्री नसीम **पीएनबी, घूरान तलैय्या, शाहजहाँपुर**	रू.35,14,593.42/- + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 26.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022**	1. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 278.32 वर्ग मी. श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली के नाम स्थित ग्राम नगरिया बहाव पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 9731, पेज नं. 69 से 104, क्रम सं. 13828, दिनांक 26.10.2015 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **पश्चिम** - (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **उत्तर**- (बिकी हुई) आराजी आसिफ खान वाली, **दक्षिण** - कच्चा रास्ता 2. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 190.64 वर्ग मी. श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली के नाम स्थित जई जलालनगर, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 3335, पेज नं. 257 से 270, क्रम सं. 2977, दिनांक 01.05.2004 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नत्थू खान का मकान, **पश्चिम** - आराजी एवं हिग्गू खान का मकान, **उत्तर**-खण्डजा रास्ता, **दक्षिण** - मकान एवं आराजी रामधुन 3. आवासीय सम्पत्ति के साम्यिक बन्धक खसरा सं. 467 का भाग क्षेत्रफल 98.14 वर्ग मी. श्री मो. कलीम पुत्र श्री मो. नसीम एवं श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद के नाम स्थित ग्राम सतवान बुजुर्ग पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 8658, पेज नं. 87 से 110, क्रम सं. 2672, दिनांक 26.02.2014 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - प्रसादी एवं अन्य का मकान, **पश्चिम** - 20फिट कच्चा रास्ता, **उत्तर**- आराजी सईद खान, **दक्षिण** - आराजी सईद खान
4.	**ऋणी : मैसर्स स्काई प्रिन्टर्स प्रोपराइटर/बन्धककर्ता :** श्री फहीम अहमद पुत्र श्री नईम अहमद **गारन्टर :** श्री मो. असलम पुत्र श्री इमरान अली, श्री बजरंग लाल जांगिड़ पुत्र श्री सियोकरन जांगिड़, श्री निशहत अहमद पुत्र श्री नईम अहमद **पीएनबी, शाहजहाँपुर (यू.पी.)**	रू.14,92,364.50/- + दिनांक 01.02.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे **सूचना दिनांक 07.02.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 31.08.2022**	आवासीय मकान/प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 152.54 वर्ग मी. श्री फहीम अहमद पुत्र नईम अहमद के नाम स्थित मोहल्ला सिंजई, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, जिल्द सं. 7693, पेज नं. 93 से 130, क्रम सं. 9108, दिनांक 22.08.2012 को उप रजिस्ट्रार सदर, शाहजहाँपुर से पंजीकृत **चौहद्दी : पूरब** - नाले के बाद पक्का रास्ता, **पश्चिम** - वारिसान अमीर हसन का मकान, **उत्तर**- नत्थू वाला का मकान एवं हवलदार पाल एवं रमेश पाल, **दक्षिण** - वारिसान हरद्वारी लाल का मकान एवं हवलदार आदि

नोट : किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी के विज्ञापन को वरीयता दी जायेगी
दिनांक : 3.09.2022 — स्थान : बरेली — प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम, A Government of India Undertaking) सिंडिकेट Syndicate

सी-34, 3सरा तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, दिल्ली-24
ई-मेल : cb19208@canarabank.com
दूरभाष : 011-79676467

बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनरा बैंक की दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (सैम) शाखा, सी-34, 3सरा तल, डीडीए ऑफिस-सह-शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-1100024 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, केनरा बैंक की सैम शाखा के मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : सी-88, न्यू फ्रूट मार्केट, आजादपुर, दिल्ली-110033, जमानती : श्री अभिनव जग्गी, श्री पवन जग्गी, श्रीमती ज्योति जग्गी से मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड को स्वीकृत ऋण रु. 104,36,83,439 (रुपये एक सौ चार करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार चार सौ उनतालीस मात्र) तथा 01.10.2017 से ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 27.09.2022 को "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

1. ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण तथा पूर्ण मसौदा : औद्योगिक सम्पत्ति किला सं. 95/14 एवं 17, जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर।

चौहद्दी:
पूर्वः अन्य खाली प्लॉट, — पश्चिमः 60 फीट चौड़ी एचएसआईआईडीसी रोड
उत्तरः मैसर्स ओसराम लाइट फैक्ट्री — दक्षिणः जंती कुलान रोड

सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) होगी।
बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है।
स्थानीय स्वशासन का बकाया देय (सम्पत्ति कर, पानी सीवरेज, बिजली बिल आदि : बैंक के संज्ञान में नहीं)

2. संयन्त्र तथा मशीनरी का पूर्ण विवरण :
किला सं. 95/14 एवं 17(6-13), जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित भूमि पर संयन्त्र तथा मशीनरी, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स यूनाइटेड कोल्ड चेन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर ।
मशीनरी के लिये आरक्षित मूल्य रु. 83,00,000/- (रुपये तिरासी लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 8,30,000/- (रुपये आठ लाख तीस हजार मात्र) है।
बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणभार/बकाया नहीं है।
नोट : सम्पत्ति तथा मशीनरी एक साथ बेची जायेगी।

जमा धरोहर राशि 23.09.2022 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जायेगी। सम्पत्ति का निरीक्षण 20.09.2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 3.30 बजे अप. तक अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (https://www.canarabank.com) तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://indianbankseauction.com में प्रावधानित लिंक "ई-ऑक्शन" का सन्दर्भ लें या अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक, सैम शाखा, सी-34, IIIरा तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली-1100024, दूरभाष नं. 011-79676467, 9653220988, 8979872232 से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।

तिथि : 2 सितम्बर, 2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — केनरा बैंक

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL — LIC HOUSING FINANCE LTD)

पंजीकृत कार्यालयः बॉम्बे लाईफ बिल्डिंग, दूसरा तल, 45/47, वीर नरीमन रोड, मुम्बई-400001
बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 सीआईएनः L65922MH1989PLC052257

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। **जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:**

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	बंधक/चार्ज्ड संपत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	आवेदकः मिस अरूणा दास (ऋण खाता सं.14011051533)	प्लॉट नं. डी-21, दूसरी मंजिल, अशोका एन्क्लेव, पार्ट-1, फरीदाबाद, हरियाणा से युक्त सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। क्षेत्रफल 615 वर्ग फीट। निम्नानुसार घिरा है:- उत्तरः सड़क दक्षिणः अन्य की भूमि पूर्वः प्लॉट नं. डी 20 पश्चिमः प्लॉट नं. डी 22	30.05.2022	01.09.2022	रू.4,94,038.21 (चार लाख चौरानबे हजार अड़तीस रूपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) प्लस उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है
दिनांकः 01/09/2022 स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

बलात्कार के दोषियों को अब रहना पड़ सकता है आखिरी सांस तक जेल में

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

आजीवन कारावास की अवधि के निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रस्तावित नीति में नाबालिग के साथ बलात्कार एवं समूहिक बलात्कार, आतंक और नशीले पदार्थों के अवैध व्यवसाय में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को अब आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न अधिनियमों में आजीवन कारावास से दंडित बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2012 की नीति लागू है। वर्तमान में प्रदेश के 131 जेलों में 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है, उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आतंकी गतिविधियों और नाबालिगों से बलात्कार के अपराधियों का कारावास 14 वर्ष में समाप्त नहीं होगा। मध्यप्रदेश में ऐसे अपराधियों को अंतिम सांस तक कारावास में ही रहने का प्रावधान किया गया है।

अधिकारी ने बताया, 'ऐसे अपराधियों में विभिन्न अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए दोषी, नाबालिग से बलात्कार के दोषी, सामूहिक बलात्कार के दोषियों, जहरीली शराब बनाने, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों, दो या दो से अधिक प्रकरण में हत्या के दोषी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।'

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,
केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001,
मोन : 8283810870, 9971720088,
ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक 12.08.2022 को इस समाचार पत्र (जनसत्ता) में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को विशेष रूप से उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना एवं श्री अमिताभ प्रकाश सक्सेना (क्र.सं. 1) और श्री सुखदेव राव पुत्र श्री विट्ठल राव (क्र.सं. 2)** की सम्पत्तियों की ई-नीलामी की तिथि 20.09.2002 के स्थान पर संशोधित ई-नीलामी की तिथि **20.09.2022** पढ़ा जाए। शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली,
9/90, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110001

शुद्धिपत्र

दिनांक 10.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा करमपुरा शाखा के कर्जदार **मैसर्स केमरी फुटवियर इंडिया (क्र.सं. 1), की सम्पत्ति प्रथम तल, ए-1/155 पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं।**
इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है
शेष अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली,
9/90, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली 110001

शुद्धिपत्र

दिनांक 24.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा ओल्ड राजिंदर नगर के कर्जदार **मैसर्स एन.वी टेक्सटाइल्स (क्र.सं. 5), की सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 11830, भूतल, खसरा नं. 3712/2529, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक 2-ए, बस्ती रैघर, सत नगर, करोल बाग, दिल्ली-110005 में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं।**
इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है
शेष अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

मुंबई : महिला से मारपीट का वीडियो आने पर मनसे के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के तीन कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर उस वीडियो के प्रसारित होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वे एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से कथित तौर पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। 28 अगस्त को हुई इस घटना को लेकर गुरुवार को पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था। पुलिस के कहा, महिला ने मनसे के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में उसकी दुकान के सामने एक विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए खंभा स्थापित करने पर आपत्ति जताई थी।

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम, A Government of India Undertaking) सिंडिकेट Syndicate

सामान्य प्रशासन अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, सी-2, प्रथम तल, महालक्ष्मी मॉल, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

परिसर की आवश्यकता

शाखा/कार्यालय के लिए निम्न स्थानों पर द्विस्तरीय बोली के प्रणाली के तहत स्वीकृत व्यावसायिक स्थान के लिए मालिकों से प्रस्ताव आमंत्रित है। बैंक के विनिर्देशानुसार इसके निर्माण हेतु भूतल 25 किलोवाट लोड के साथ तैयार होना चाहिए।
क्षेत्र का नामः 1. मालीवाड़ा चौक, गाजियाबाद, क्षेत्रफल (वर्गफीट) 2000 - 2500.
विवरण बैंक की वैबसाइट http://www.canarabank.com पर प्रकाशित किया गया है।
आवश्यक आवेदन फार्म उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17.09.2022 दोपहर 3 बजे तक और निविदा खुलने की तिथि 19.09.2022 अपराहन 4 बजे है। इसके अलावा यदि कोई सुचना, शुद्धि पत्र, संशोधन होगा तो बैंक की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। बैंक बिना कारण बताए आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सम्पत्ति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।

स्थानः गाजियाबाद। दिनांक 03.09.2022 — सहायक महाप्रबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मंडल सस्त्रा केन्द्र,
प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	(क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामित्व का नाम	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
पीएनबी फव्वारा चौक - गुरूग्राम (018800) **युवा मोटर्स प्रा. लि.** पताः 149/2, ऊपरी भूतल, फ्लैट नं. 1 सी, गाँव देवली, नई दिल्ली-110062 और: प्लॉट नं. 29, नीलम बाटा रोड, एनएच 1, एनआईटी फरीदाबाद-121001, हरियाणा गारंटरः श्री गिरीश कुमार अग्रवाला, पताः मकान नं. 924, सेक्टर-15, अर्बन ईस्टेट, फरीदाबाद-121007 श्रीमती सविता देवी अग्रवाला, पताः मकान नं. 924, सेक्टर-15, अर्बन ईस्टेट, फरीदाबाद - 121007	21.02.2022 / रु. 14,62,09,599.69 दिनांक 31.01.2022 तक प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार / 29.04.2022 / सांकेतिक	भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. 29, नीलम बाटा रोड, एनएच - 1, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स युवा मोटर्स प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज (सम्पत्ति नीलामी आईडी : PUNB083450006)	रु. 1304.00 लाख / रु. 130.40 लाख (26-09-2022) / रु. 5,00,000/-	27.09.2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एव तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com & www.pnbindia.in** देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 03.09.2022, स्थान : गुरूग्राम — प्रतिभूति लेनदार मो. 8527977711, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या 19-क.वि.-नई दिल्ली-2022-23 — **दिनांक : 01.09.2022**

वरिष्ठ मंडल वि. अभि./क. वि., डी.आर.एम. ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान	एमटीसी-एसआरई सेक्शन पर एल-जिंग नंबर 41, 43, 46, 75, 78, 79, 84 एसपीएल और 84 के स्थान पर आरओबी के निर्माण के संबंध में 25 केवी एसी ओएचई संशोधन कार्य की डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग"।
2	अनुमानित लागत	रु. 17269863.67
3	बयाना राशि	रु. 236400/-
4	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अवधि	15.09.2022 (10:30 बजे)
5	ई-निविदा समापन की अंतिम तथा ई-निविदा खुलने की तारीख और समय	29.09.2022 (15:00 बजे)
6	वेबइसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	www.ireps.gov.in 2252/22

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

खबर कोना

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक ज़िले में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर आई एक महिला रैनबसेरे में अपने बच्चों के साथ।

प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान संपन्न, परिणाम सोमवार को

लंदन, 2 सितंबर (भाषा)।

कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच दौड़ के क्रम में शुक्रवार को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रचार मुख्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ के विजेता की घोषणा सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे की जाएगी। सुनक और ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों के मत पाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कई बार आमने-सामने की बहस की। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री ने अपने अभियान में तत्काल प्राथमिकता के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की बात कही। वहीं, विदेश मंत्री ट्रस ने वादा किया कि यदि वह प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही करों में कटौती करने का आदेश जारी करेंगी। सुनक अंतिम दो उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए मतदान में जहां ट्रस से आगे थे।

विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएई राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया

अबू धाबी, 2 सितंबर (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन-जायद अल-नह्यान से मुलाकात की और भारत तथा यूएई के बीच रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनकी भूमिका की सराहना की। यूएई के तीन दिनी यात्रा पर आए जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन-जायद अल-नह्यान को मेरी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद।

माओवादी भर्ती मामले में एनआइए ने तलाशी ली

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) ने माकपा द्वारा लोगों की भर्ती करने और लेवी वसूलने से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को बिहार में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। एजंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि औरंगाबाद, गया, रोहतास और पटना जिलों में आरोपियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के छह परिसर की तलाशी ली गई। अधिकारी ने बताया कि यह मामला प्रारंभ में रोहतास थाने में 12 अप्रैल को दर्ज किया गया था और बाद में 26 अप्रैल को एनआइए को सौंप दिया गया। प्रवक्ता ने कहा, 'आज की तलाशी में डिजिटल उपकरण एवं दस्तावेजों समेत अभियोजनयोग्य सामग्री बरामद एवं जब्त की गई।' उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

मुरुग मठ के महंत को पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

चित्रदुर्ग/बेंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारु को दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को, पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महंत को बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि महंत पर लगे आरोप 'गंभीर' हैं। आरोपी को शुक्रवार को एक अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की। महंत ने भगवा कपड़ों के ऊपर सफेद वस्त्र पहना था और उन्हें अदालत में व्हीलचेयर पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शरणारु पर पाक्सो अधिनियम और एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज है।

शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय हुआ विस्फोट

अफगानिस्तान : हेरात शहर की मस्जिद में धमाका, 18 की मौत

हेरात, 2 सितंबर (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में एक प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गए।

तालिबान के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। गौरतलब है कि जुमे की नमाज के दौरान आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। इस विस्फोट में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान की पश्चिम-समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए अंसारी को पूरे अफगानिस्तान में पहचाना जाता था। अंसारी को तालिबान का करीबी समझा जाता है, जिसने विदेशी बलों के वापस जाने के बाद पिछले साल देश की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके में अंसारी की मौत की पुष्टि की है। वहीं एक हेरात एंबुलेंस सेंटर के एक अधिकारी मोहम्मद दाउद मोहम्मदी ने कहा कि एंबुलेंस से 18 मृत और 21 घायलों को अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार के इस धमाके की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। *हादसे* में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे।

अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश नाकाम

हमलावर ने तान दी थी पिस्तौल, लेकिन चली नहीं

ब्यूनस आयर्स, 2 सितंबर (एपी)।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने बताया कि देश की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के घर के बाहर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। एक हमलावर ने उन पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन वह चली नहीं।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात हुई घटना के तुरंत बाद संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। राष्ट्रपति ने घटना के बाद एक राष्ट्रीय प्रसारक से कहा कि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर (गुरुवार रात) हथियार ताना। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, जबकि उसने ट्रिगर खींच दिया था। उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज 2007 से 2015 तक देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई है। संदिग्ध हमलावर उनके समर्थकों के बीच खड़ा था, जिसे घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद जिना दे बई ने बताया कि उन्होंने ट्रिगर खींचने की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के संदिग्ध को पकड़ने तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वह किसी हथियार की आवाज है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसे 1983 में देश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद की अभी तक की सबसे गंभीर घटना बताया। घटना ऐसे समय में हुई है, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनके 2007-2015 के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कथित कृत्यों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।

स्थानीय टेलीविजन चैनल पर प्रसारित घटनास्थल के वीडियो में फर्नांडीज अपने घर के बाहर समर्थकों से घिरे अपने वाहन से बाहर निकलती दिख रही हैं। तभी एक व्यक्ति पिस्तौल जैसी दिखने वाली कोई एक वस्तु लिए नजर आ रहा है। हालांकि, उपराष्ट्रपति वहां से निकलने में कामयाब रहीं। वीडियो में मौके पर मौजूद उपराष्ट्रपति के समर्थक भी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित वीडियो में हथियार फर्नांडीज के चेहरे को लगभग छूता नजर आ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर की पहचान ब्राजील के नागरिक फर्नांडो आंद्रे सबाग मोंटिएल के तौर पर हुई है। उसका कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं है। उसके पास .32-कैलिबर बर्सा पिस्तौल थी। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता व्यक्त करने और लोगों को इस घटना से उबरने का समय देने के लिए शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा की है। गौरतलब है कि एक अभियोजक ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक कार्यों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फर्नांडीज को 12 साल की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति के समर्थक उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के आसपास सड़कों पर जमा होते रहे हैं। सरकार के अधिकारियों ने इस घटना को हत्या का प्रयास बताया है।

वित्त मंत्री सर्जियो मास्सा ने कहा कि जब विचारों पर नफरत व हिंसा थोपी जाती है, तो समाज बर्बाद हो जाते हैं और आज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह हत्या का प्रयास है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार में मंत्रियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे उपराष्ट्रपति की हत्या के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।

उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के सिर पर पिस्तौल ताने हुए हमलावर (घेरे में)।

सू की को तीन साल की सजा

बैंकाक, 2 सितंबर (एपी)।

म्यांमा की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता का दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई। सैन्य शासित देश में सू की को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में इस सजा के बाद उन्हें अब और अधिक समय जेल में काटना होगा।

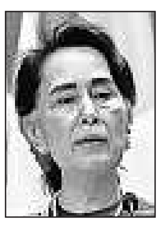

इससे पहले सू की की 'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी पार्टी' का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। सेना ने देश में 2023 में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। सू की की पूर्व सरकार के दो वरिष्ठ सदस्यों को भी मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि एक फरवरी 2021 को म्यांमा की सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और सू की तथा म्यांमा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सू की की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई।

आज श्रीलंका लौटेंगे गोटबाया

कोलंबो, 2 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शनिवार तड़के थाईलैंड से स्वदेश लौटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। राजपक्षे श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच उनके तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के नौ जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था।

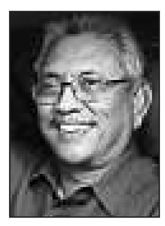

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजपक्षे शनिवार सुबह श्रीलंका लौटेंगे। हालांकि, उनकी उड़ान के बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कोलंबो के पूर्वी उपनगर मिरिहाना स्थित अपने निजी आवास में ठहरेंगे या नहीं। राजपक्षे पहले श्रीलंका वायुसेना के विमान के जरिए कोलंबो से मालदीव भागे थे। मालदीव से वह सिंगापुर रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था।

इंतजार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद की 62वीं स्थापना वर्षगांठ पर प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा में तिब्बती बच्चे।

'सार्वजनिक हित स्पष्ट हों तो निजी हितों को भी मिले जगह'

नई दिल्ली, 02 सितंबर (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जब सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से व्यक्त, अत्यावश्यक तथा अनिवार्यता का अहसास कराने वाले हों, तो निजी हितों को भी जरूरी सीमा तक जगह देनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, एक व्यक्ति के अधिकारों का अत्यधिक महत्व है और ये ऐसे मूलभूत ढांचे हैं, जिनके ऊपर हमारा कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश फलता-फूलता है। इसने कहा कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों को मनमाने ढंग से कुचला नहीं जाना चाहिए और उनमें से किसी भी कटौती की अत्यधिक सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा, 'जब सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से व्यक्त, अत्यावश्यक तथा अनिवार्यता का अहसास कराने वाला हो, तो निजी हितों को भी एक निश्चित सीमा तक जगह देनी चाहिए।' अदालत की ये टिप्पणियां उस मामले के फैसले में की गईं, जिसमें भूमि के वास्तविक स्वामित्व वाले निजी व्यक्तियों ने सड़क के निर्माण का विरोध किया था। इन लोगों ने 1976 में मुंबई की विकास योजना के प्रारम्भ में ही यातायात की बढ़ती भीड़ से बचने के लिए महाकाली गुफाओं से केंद्रीय एमआइडीसी तक उनकी भूमि से सड़क बनाए जाने का विरोध किया था।

शुभेंदु की फरियाद शीर्ष अदालत ने ठुकराई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका को दूसरे हाईकोर्ट में भेजने की मांग वाली भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों के इस विकल्प की अनुमति नहीं दे सकती।

जिस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, मामले की सुनवाई वहीं होगी। पीठ ने अधिकारी की चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका को स्थानांतरित करने से संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में विश्वास की कमी जता रहा है।

जम्मू-कश्मीर : नियुक्तियों में गड़बड़ी पर शीर्ष अदालत का नोटिस

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

उच्चतम शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर में न्यायिक संस्थानों और अदालतों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने नोटिस जारी कर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से उसके प्रशासनिक पक्ष पर जवाब तलब किया। साथ ही कहा कि इसका निरीक्षण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाए। पीठ ने कहा कि याचिका पर जवाब छह हफ्तों में दाखिल किए जाएं। गैरसरकारी संगठन 'जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फोरम' ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि न्यायिक अकादमी, विधि प्राधिकरण और जिला स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक विभिन्न न्यायिक संस्थानों में कई प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय ने कई योग्य युवाओं पर विचार नहीं किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया को अपनाने के बजाय अनुबंध और दैनिक वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया। दावे के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की और कई पद तो स्वीकृत तक नहीं थे।

याचिका में अपनी दलील के पक्ष में जिला स्तर से लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अदालत कर्मचारियों, बार संघ के सदस्यों के रिश्तेदारों के नाम तक बताए गए हैं, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में कथित रूप से लाभ पहुंचाया गया है। याचिका में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

'माडल विद्यार्थी क्लब' से बढ़ेगी रचनात्मकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइस) के तहत 'विद्यार्थी क्लबों' को 'माडल क्लब' के रूप में विकसित करेगी।

इसके तहत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के कार्यों, रुचियों, कल्पनाशक्ति, नवाचार एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक मौजूदा विद्यार्थी क्लब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव मांगा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विद्यार्थी क्लबों को माडल क्लब में विकसित करने के लिए एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। संस्थान इसके लिए 30 सितंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। एआइसीटीई ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी क्लबों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी साल विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइस) बनाई थी। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्लबों को संस्थान के अन्य क्लबों के लिए माडल के रूप में काम करना चाहिए।

सत्ता में आए तो एमएसपी पर खरीदेंगे फसलें : केजरीवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में उनकी सरकार बनने पर किसानों की पांच फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का वादा किया है।

उन्होंने कहा कि अगले साल से अगर बाजार में गेहूं, चावल, कपास, चना व मूंगफली के दाम एमएसपी से कम रहे तो सरकार इन पांच फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। वे शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर गुजरात में फसल बर्बाद होने पर 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने का भी वादा किया।

पूर्वानुमान युवा आबादी में 2011 से गिरावट से नामांकन में आ रही कमी : एनसीईआरटी

स्कूलों में नामांकन में आएगी गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एक अध्ययन में यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि 2011 से शुरू होकर 2025 तक स्कूलों में विद्यार्थियों के सकल नामांकन में 14 फीसद से अधिक गिरावट आएगी। वहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों के दाखिले में दो फीसद कमी आएगी। एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण प्रकोष्ठ (ईएसडी) के अध्ययन में कहा गया है कि 5-10 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि 2023-24 के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाखिला आबादी से जुड़ा होता है,

ऐसे में 6-11, 11-14 और 14-16 साल के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी में गिरावट का प्रभाव हर वर्ग में दाखिले पर दिखाई देता है।

'2025 तक स्कूलों में दाखिले का पूर्वानुमान एवं लक्षण' शीर्षक से रिपोर्ट में एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों को लिया गया है। अध्ययन में 21 राज्यों के एनएएस रिपोर्ट पर विचार किया गया है और 2011 के बाद से आबादी को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है और कुछ आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। 2011 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक नामांकन ऊपर की ओर गया, लेकिन 2011 के बाद से दाखिले में गिरावट आई और यह 2025 तक तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि 2011 से 2025 तक नामांकन में गिरावट की दर 14.37 फीसद रहेगी और इसमें लड़कों के दाखिले में 13.28 फीसद और लड़कियों के दाखिले में 15.54 फीसद गिरावट आएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़के एवं लड़कियों के नामांकन में गिरावट 2016 से शुरू हुई और सकल नामांकन गिरावट 9.47 फीसद रही। इसमें लड़कों के दाखिले में 8.07 फीसद और लड़कियों के नामांकन में 10.94 फीसद गिरावट आई।

नवजात की मृत्यु पर महिलाकर्मी को 60 दिन का विशेष अवकाश

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाने पर अवकाश/मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं। विभाग ने आदेश में कहा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है।' डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है, अगर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और मृत शिशु पैदा होने या शिशु की मृत्यु होने तक उसका अवकाश जारी है तो, ऐसा होने की तारीख तक कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश को उसके पास मौजूद अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

खबर कोना

चेक गणराज्य के प्राग में यूरोबास्केट ग्रुप डी बास्केटबाल मैच के दौरान फिनलैंड के खिलाफ इजराइल के जेक कोहेन चुनौती देते हुए।

जडेजा चोट के कारण एशिया कप से बाहर, अक्षर लेंगे जगह

दुबई, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण शुक्रवार को एशिया कप के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए और टीम में उनकी जगह अक्षर पटेल लेंगे। जडेजा ने भारत की टूर्नामेंट के शुरूआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा, 'अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को चुना है।' इसके अनुसार, 'रविंद्र जडेजा को दाएं पैर के घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह इस समय बीसीसीआइ की चिकित्सा टीम की देखरेख में हैं।' बयान में कहा गया, 'अक्षर पटेल को टीम में 'स्टैंडबाय' खिलाड़ियों में चुना गया था, वह जल्द ही दुबई में टीम से जुड़ेंगे।'

मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी जीत

लीस्टर, 2 सितंबर (एपी)।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीस्टर सिटी को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल प्रतियोगिता में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से मैच के आखिरी क्षणों में ही मैदान पर उतरे। जादौन सांचो के 23वें मिनट में किए गए गोल से यूनाइटेड ने बढ़त बनाई और आखिर तक उसे बरकरार रखा। यूनाइटेड ने इससे पहले लिवरपूल और साउथम्पटन को हराया था। रोनाल्डो ने 68वें मिनट में मैदान पर कदम रखा और उन्होंने इसके बाद अपनी जीवंत छाप छोड़ी। उनका बाईसिकिल किक से लगाया गया एक शाट मामूली अंतर से गोल में जाने से रह गया था। कर अपने करियर का दूसरा डब्ल्यूटीए खिताब जीता।

राष्ट्रमंडल खेल में नहीं खेल पाना निराशाजनक : नवजोत

बंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय महिला हाकी टीम की मिडफील्डर नवजोत कौर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में नहीं खेल पाना निराशाजनक था। वह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण इस प्रतियोगिता में नहीं खेल पाई थी। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी बर्मिंघम पहुंचने पर कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। भारत की तरफ से 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी नवजोत ने यहां राष्ट्रीय शिविर से इतर कहा, ' इस तरह से टीम को छोड़ना बेहद निराशाजनक था। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।' उन्होंने कहा, 'मैं इससे पहले कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने से नहीं चूकी थी इसलिए पहली बार अपने करिअर में इस तरह की परिस्थिति से पार पाना मेरे लिए आसान नहीं था।'

कल्याण ने भूटिया को हराया, पहले खिलाड़ी जो बने अध्यक्ष

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को अपने 85 साल के इतिहास में शुक्रवार को पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबालर बाइचुंग भूटिया को हराया।

सिक्किम के रहने वाले 45 वर्षीय भूटिया का नामांकन पत्र भरते समय उनके राज्य संघ का प्रतिनिधि भी प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बना था। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से हारने वाले भाजपा के राजनीतिज्ञ चौबे कभी भारतीय सीनियर टीम से नहीं खेले हालांकि वह कुछ अवसरों पर टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने हालांकि आयु वर्ग के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। भूटिया और चौबे एक समय ईस्ट बंगाल में साथी खिलाड़ी थे।

कर्नाटक फुटबाल संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक एनए हारिस ने उपाध्यक्ष के एकमात्र पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजस्थान फुटबाल संघ के मानवेंद्र सिंह को 29-5 से हराया। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने आंध्र प्रदेश के गोपालकृष्णा कोसाराजू को 32-1 से हराकर कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। कोसाराजू ने अध्यक्ष पद के लिए भूटिया के नाम का प्रस्ताव रखा था जबकि मानवेंद्र ने उसका समर्थन किया था। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों के लिए इतने ही उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध चुना गया।

एआइएफएफ के चुनाव के साथ ही भारतीय फुटबाल में पिछले कुछ महीनों में चले नाटकीय घटनाक्रम का भी पटाक्षेप हो गया। इस दौरान भारतीय फुटबाल ने दिसंबर 2020 में चुनाव न कराने के कारण पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बर्खास्त होते हुए देखा। इसके बाद प्रशासकों की समिति गठित की गई जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था। विश्व फुटबाल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने 'तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव' का हवाला देकर इस बीच भारत को निलंबित भी कर दिया था।

नई कार्यकारी समिति में जीपी पालगुना, अविजीत पाल, पी अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, आरिफ अली, के नीबौ सेखोज, लालनघिंग्लोवा हमर, दीपक शर्मा, विजय बाली और सैयद इम्तियाज हुसैन शामिल हैं।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ)

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 45 वर्षीय चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले ही तय लग रही थी क्योंकि पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुत अधिक समर्थन हासिल नहीं था।

भूटिया ने चुनाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ' मैं भारतीय फुटबाल की बेहतरी के लिए भविष्य में भी काम करता रहूंगा। कल्याण को बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह भारतीय फुटबाल को आगे लेकर जाएंगे।' उन्होंने कहा,'भारतीय फुटबाल प्रशंसकों का आभार जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं चुनाव से पहले भी भारतीय फुटबाल के लिए काम कर रहा था और आगे भी इसे जारी रखूंगा। हां मैं कार्यकारी समिति का सदस्य हूं।'

मुकाबला

स्पेन के राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर के दौरान इटली के फैबियो फोगनिनी को शाट रिटर्न करते हुए।

जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारे प्रणय

ओसाका, 2 सितंबर (भाषा)।

एचएस प्रणय को शुक्रवार को यहां विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इससे जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। इस 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने आखिर तक हार नहीं मानी लेकिन चाउ ने भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती और एक घंटा 20 मिनट तक चले इस मैच में 21-17, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। बाकी खिलाड़ियों के जल्दी बाहर होने के बाद भारत की उम्मीदें प्रणय पर ही टिकी थी।

पिछले कुछ समय से निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरू से दबदबा बना दिया था और एक समय वह 12-8 से बढ़त पर थे।

बैडमिंटन टूर्नामेंट

लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में बनाए रखा।

हांगकांग पर रेकार्ड 155 रन से जीत के साथ ही पाकिस्तान सुपर चार में

शारजाह, 2 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने एशिया कप के महत्वपूर्ण मुकाबले में शुक्रवार को हांगकांग पर 155 रन से एकतरफा जीत दर्ज करके सुपर फोर चरण में प्रवेश कर लिया और अब रविवार को उसका सामना भारत से होगा।

भारत के खिलाफ कुछ बेहतर बल्लेबाजी करने वाली हांगकांग टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी । नसीम शाह ने तीसरे ओवर में दो विकेट लिए। इसके बाद स्पिनर शादाब खान ने दो ओवर में आठ रन देकर चार और मोहम्मद नवाज ने पांच रन देकर तीन विकेट चटकाए। इससे पहले हांगकांग के गेंदबाजों ने जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में ला दिया था, उसी तरह पाकिस्तान को अच्छी शुरूआत नहीं करने दी। रिजवान और फखर जमां के लिए चौके छक्के लगाना मुश्किल हो गया था । पाकिस्तान ने पहले दस ओवर में एक विकेट पर 64 रन बनाए ।

जमां ने 41 गेंद में 53 रन बनाए जबकि खुशदिल ने 15 गेंद में 35 रन बनाकर पाकिस्तान को मजबूत स्कोर दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नाकाम रहे और नौ रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

एशिया कप क्रिकेट

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिजवान के 57 गेंद में 78 रन की मदद से दो विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 10 .4 ओवर

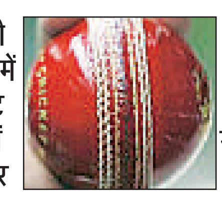

में 38 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ग्रुप ए से दूसरे स्थान पर रहकर सुपर चार में पहुंचा। टी20 प्रारूप में यह पाक की सबसे बड़ी जीत है।

राफेल नडाल ने की शानदार वापसी, स्वियातेक भी जीतीं

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

राफेल नडाल पहला सेट गंवाने और गलती से अपनी नाक को चोट पहुंचाने के बावजूद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे जबकि महिलाओं में दो बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक ने आसान जीत दर्ज की। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैबियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। इस बीच चौथे सेट में गलती से वह अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा बैठे जिससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था।

स्वियातेक ने 2017 की यूएस ओपन विजेता स्लोएन स्टीफंस को दूसरे दौर में 6-3, 6-2 से हराकर इस सत्र में अपनी डब्लूटीए टूर की 50वीं जीत दर्ज की। महिला वर्ग में पिछले साल से फाइनल में पहुंचने वाली चार खिलाड़ियों में से अब केवल छठी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ही टूर्नामेंट में बनी हुई हैं। उन्होंने दूसरे सेट में 5< ँ> —< /ँ> 1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके काया कानेपी को 2-6, 7-6 (8), 6-4 से हराया।

यूएस ओपन टेनिस

लेकिन चौथी वरीयता प्राप्त पाउला बडोसा को क्रोएशियाई पेट्रा मार्टिच से 6-7 (5), 6-1, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा।

महिला वर्ग में गुरुवार को जिन अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की उनमें जेसिका पेगुला, गार्बिने मुगुरुजा, बेलिंडा बेनसिच और विक्टोरिया अजारेंका शामिल हैं।

विजय विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत की 48 सदस्यीय टीम में

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार को आगामी आइएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुना गया। वह लंदन ओलंपिक खेलों में पोडियम स्थान हासिल करने के बाद अपने पहले बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने मिस्र के काहिरा में 12 से 25 अक्तूबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यीय भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की।

निशानेबाजी

लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल रजत पदक विजेता पिस्टल निशानेबाज ने इस साल राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। उन्होंने कंधे की गंभीर चोट के कारण ब्रेक लिया था। शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विजय ने पांच साल के अंतराल बाद प्रतिस्पर्धी निशानेबाजी में वापसी की थी। पांच बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विजय 2017 में सेना छोड़कर हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ गए थे। क्रोएशिया के ओसिजेक में 19 सितंबर से शुरू हो रही शाटगन विश्व चैंपियनशिप के लिए 24 सदस्यीय टीम पहले ही घोषित हो चुकी है।

मौजूदा टीम में कई निशानेबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे जिसमें विजय और अंजुम मोदगिल (विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता) अनुभव लेकर आएंगे।

बीसीसीआइ ने पिछले साल ई-नीलामी में खरीदा था नीरज चोपड़ा का भाला

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मृति चिन्हों के संग्रह की जब ई नीलामी हुई थी तब ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला बीसीसीआइ ने डेढ करोड़ रुपए में खरीदा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । चोपड़ा ने तोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर उनसे मुलाकात में उन्हें अपना भाला उपहार में दिया था। इस भाले समेत कई चीजों की ई नीलामी की गई जिनसे मिली रकम 'नमामि गंगे कार्यक्रम ' को गई । यह नीलामी सितंबर-अक्तूबर 2021 में हुई थी।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'बीसीसीआइ ने नीरज के भाले पर बोली लगाई थी। इसके अलावा भी कुछ और वस्तुओं पर बोली लगाई । नमामि गंगे एक नेक काम है और बोर्ड के पदाधिकारियों को लगा कि देश के प्रमुख खेल संगठनों में से एक होने के नाते यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य है ।' बीसीसीआइ ने कोरोना महामारी के दौरान भी 'पीएम केयर्स फंड' में 51 करोड़ रूपए दिए थे।

बोर्ड ने चोपड़ा के भाले के अलावा भारतीय पैरालम्पिक दल के हस्ताक्षर वाला अंगवस्त्र भी एक करोड़ रुपए में खरीदा था। चोपड़ा का भाला ई नीलामी में सबसे महंगा बिका जबकि भवानी देवी की तलवार सवा करोड़ रूपए में और पैरालम्पिक चैंपियन सुमित अंतिल का भाला एक करोड़ 20 हजार रुपए में बिका। लवलीना बोरगोहेन के मुक्केबाजी दस्ताने 91 लाख रूपए में बिके । ई नीलामी में 1348 स्मृति चिन्ह बिके जिनमें खेलों से जुड़े सामान भी थे।

विलियम्स बहनों की जोड़ी हारी | टेनिस | दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन

महिला युगल के पहले दौर में हारीं सेरेना और वीनस

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

सेरेना और वीनस विलियम्स साढे चार साल बाद जब कोर्ट पर एक साथ उतरी तो उन्होंने हर पल का भरपूर लुत्फ उठाया लेकिन विश्व टेनिस की मशहूर विलियम्स बहनों की जोड़ी को यूएस ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

विलियम्स बहनों को फ्लशिंग मीडोज में लूसी हेराडेका और लिंडा नोस्कोवा की चेक गणराज्य की जोड़ी ने 7-6 (5), 6-4 से हराया। वीनस और सेरेना जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनकी प्रतिद्वंदी भी उनका सामना करके अभिभूत थी।

ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही 17 वर्षीय नोस्कोवा ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि हमें उन दोनों का सामना करना है तो मैं अवाक रह गई। मेरे कहने का मतलब है कि वे दोनों दिग्गज है और मैं हमेशा उनकी विशेषकर सेरेना की प्रशंसक रही हूं। वह शुरू से मेरी आदर्श रही हैं।' उनकी साथी हेराडेका ने कहा, 'मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने उन पर जीत दर्ज की है। मुझे अफसोस है कि हमने उन्हें हराया है लेकिन मैं बहुत खुश भी हूं कि हमने ऐसा किया।' आर्थर ऐस स्टेडियम में इससे पहले महिला या पुरुष वर्ग में पहले दौर के युगल मैच कभी नहीं खेले गए थे लेकिन एक ही परिवार की इन दो सदस्यों के लिए यूएस ओपन के आयोजकों ने अपने नियम भी बदल दिए और दर्शकों ने भी इस मैच का भरपूर आनंद लिया। वीनस और सेरेना ने मिलकर युगल में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं।

विलियम्स बहनों ने मैच के बाद इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2013 में फ्रेंच ओपन में वे पहले दौर में बाहर हो गई थी।

विलियम्स बहनों ने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

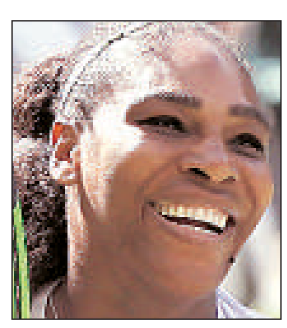

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 39, अंक 289

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।